kredoz IAS

UPPCS Mains 2025

General Studies Paper I:

Complete Question Paper with Model Answer

Section A

- **इतिहास** (Maurya Period, 19th Century Reform Movements, Extremism) — 3 **प्रश्न**
- **समाजशास्त** (Globalization, Regionalison, Illiteracy & Poverty) — 3 **प्रश्न**
- **भूगोल** (Glaciers, Mangroves, Monsoon, Sino-India Border) — 4 **प्रश्न**

Section B

- **आधुनिक भारतीय इतिहास** (Sardar Patel, 1857-1947, Germany Unification) — 3 **प्रश्न**
- **समाजशास्त** (Urbanization, Modernisation, Globalization & Family) — 3 **प्रश्न**
- **भूगोल** (Forest Resources, Continental Shelf, Frontiers & Boundaries) — 3 **प्रश्न**
- **International Issues अंतरराष्ट्रीय मुहे** (Refugees & Infiltrators) — 1 **प्रश्न**

Complete Question Paper with Model Answer

विस्तृत उत्तर
(Detailed Answer)

Download : Kredoz The learning app

UPPCS Mains 2025

General Studies Paper I

Complete Question Paper with Analysis

परिचय / Introduction

UPPCS Mains 2025 का General Studies Paper-I हाल ही में आयोजित हुआ। यह पेपर इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र और संस्कृति जैसे महत्वपूर्ण विषयों को कवर करता है। इस ब्लॉग में हम सम्पूर्ण प्रश्न-पत्र और उसका विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं।

पेपर का पैटर्न / Paper Pattern

- परीक्षा: UPPCS Mains 2025
- विषय: General Studies Paper-I
- कुल खण्ड: 2 (Section A और Section B)
- Section A: 10 प्रश्न × 8 अंक = 80 अंक
- Section B: 10 प्रश्न × 12 अंक = 120 अंक
- कुल अंक: 200

All Questions

खण्ड – अ / SECTION – A (8 Marks Each)

Q1. मौर्य काल में कला एवं प्रौद्योगिकी के विकास पर एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। Comment briefly on the development of art and technology during the Maurya period.

Q2. "उन्नसवीं शताब्दी के भारतीय सामाजिक-धार्मिक सुधार आन्दोलनों में स्त्रियों के मुद्दे एक प्रमुख चिंता का विषय थे"। स्पष्ट कीजिये। "Women's issue was a major concern in the socio-religious reform movements of 19th century India". Explain.

Q3. 'उग्रवाद उदारवादियों के विचारों और कार्य प्रणाली के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया थी'। इस कथन की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिये। 'Extremism was a reaction against the ideas and modus operandi of the moderates'. Critically explain this statement.

Q4. क्या वैश्वीकरण सांस्कृतिक एकीकरण एवं सांस्कृतिक संघर्ष दोनों को अग्रसर करता है? स्पष्ट कीजिए। Does globalization leads to both cultural integration and cultural conflict? Elucidate.

Q5. ग्रामीण भारत में विकासात्मक मुद्दों के सन्दर्भ में निरक्षरता और गरीबी के बीच क्या सम्बन्ध है? आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये। What is the relationship between illiteracy and poverty in the context of developmental issues in rural India? Critically evaluate.

Q6. आधुनिक भारत में क्षेत्रवाद चुनौती एवं अवसर दोनों है। स्पष्ट कीजिए। Regionalism in modern India is both a challenge and an opportunity. Clarify.

Q7. भारत में हिमनदों की प्रकृति में विभिन्नताओं की समीक्षा कीजिये। Examine the variations in nature of glaciers in India.

Q8. भारत में मैंग्रोव और प्रवाल भित्ति समुद्री संसाधन प्रबन्धन में किस प्रकार योगदान प्रदान करते हैं? How do India's mangroves and corals reefs contribute to marine resource management?

Q9. चीन–भारत सीमा विवाद के उद्भव, विस्तार और निहितार्थ का परीक्षण कीजिये। Examine the origin, dimensions and implications of Sino-Indian border dispute.

Q10. मानसून की उत्पत्ति के अभिनव सिद्धान्तों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये तथा मानसून पर एल-निनो के प्रभावों का विवेचन कीजिये। Examine critically the recent theories of the origin of monsoon and discuss the effects of El-nino on monsoon.

खण्ड – ब / SECTION – B (12 Marks Each)

Q11. स्वतन्त्रता पश्चात भारत के एकीकरण में सरदार पटेल की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। Critically analyse the role of Sardar Patel in the Unification of India after Independence.

Q12. "1857 से 1947 का कालखण्ड भारत के इतिहास का अत्यधिक परिवर्तन का काल था"। इस कथन का विश्लेषण कीजिए। "The period from 1857 to 1947 was a time of immense change of Indian history". Analyse this statement.

Q13. जर्मनी का एकीकरण 'राष्ट्रवाद के आदर्श' और 'यथार्थवादी शक्ति-राजनीति' के अंतर्विरोध का प्रतीक माना जाता है। इस सन्दर्भ में एकीकरण के मार्गों और उसके अंतर्राष्ट्रीय निहितार्थों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। The Unification of Germany is considered as a symbol of the contradiction between the 'ideal of nationalism' and the 'realities of power politics'. In this context, critically examine the paths of unification and its international implications.

Q14. नगरीकरण से संबद्ध समाजिक-आर्थिक समस्याओं की विवेचना कीजिए। सतत शहरी विकास हेतु कौन-से संरचनात्मक उपाय आवश्यक है? Discuss the socio-economic problems associated with urbanization. What structural measures are necessary for sustainable urban development?

Q15. भारतीय परम्परागत मूल्यों पर आधुनिकीकरण एवं पश्चिमीकरण के प्रभावों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये। Critically evaluate the impact of modernisation and westernisation on the traditional Indian values.

Q16. परिवार, विवाह एवं नातेदारी व्यवस्था पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव दिखाई देता हैं? भारतीय समाज के सन्दर्भ में इसका विश्लेषण कीजिए। What are the visible effects of globalization on family, marriage and kinship system? Analyse with reference to the Indian society.

Q17. भारत के वन संसाधनों का परीक्षण कीजिये तथा उन संरक्षण सिद्धान्तों को समझाइये जो देश की वन सम्पदा के विकास में प्रयुक्त किये जा सकते है। Examine the forest resources of India and explain the principles of conservation which could be applied to improve the forest wealth of India.

Q18. शरणार्थियों एवं घुसपैठियों में भेद कीजिए। शरणार्थियों की सुरक्षा और सहायता के लिए भारत सरकार ने कौन-से कदम उठाये है? Differentiate between refugees and infiltrators. What steps have been taken by the Government of India for the security and assistance of refugees?

Q19. "भारत का महाद्वीपीय मग्नतट खनिज और ऊर्जा का भण्डार है"। उपयुक्त उदाहरणों के साथ इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये। "India's continental shelf is a store house of mineral and energy resources". Critically examine this statement with suitable examples.

Q20. सीमान्त और सीमाओं में अन्तर स्पष्ट कीजिये और भारतीय उपमहाद्वीप से उपयुक्त उदाहरण देते हुये सीमाओं के प्रकारों पर विस्तृत विवरण प्रस्तुत कीजिये। Differentiate between frontiers and boundaries and present a detailed account on the types of boundaries giving suitable examples from Indian subcontinent.

kredoz IAS

Click here for more information of the course

Compherenshive Required Information and Knowlage to write thses Question in detailed

खण्ड – अ / SECTION – A (8 Marks Each)

Q1. मौर्य काल में कला एवं प्रौद्योगिकी के विकास पर एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। Comment briefly on the development of art and technology during the Maurya period.

प्रस्तावना

मौर्य काल (322 ईसा पूर्व – 185 ईसा पूर्व) भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम युग था। चन्द्रगुप्त मौर्य से अशोक तक इस काल में कला, स्थापत्य और प्रौद्योगिकी का अभूतपूर्व विकास हुआ। यह काल भारतीय सभ्यता की परिपक्वता का प्रतीक है।

कला का विकास

1. स्थापत्य कला (Architecture)

मौर्य काल में पत्थर के विशाल भवनों का निर्माण प्रारम्भ हुआ। इससे पूर्व लकड़ी और मिट्टी का उपयोग होता था।

- पाटलिपुत्र का राजप्रासाद — मेगस्थनीज ने इसे विश्व के सर्वश्रेष्ठ भवनों में गिना
- अशोक के स्तम्भ — चुनार के बलुआ पत्थर से निर्मित, पॉलिश की अद्भुत तकनीक
- सांची का स्तूप — बौद्ध स्थापत्य का उत्कृष्ट उदाहरण
- बराबर की गुफाएं — पत्थर काटकर बनाई गई गुफाएं, आजीवक सम्प्रदाय के लिए

2. स्तम्भ कला (Pillar Art)

अशोक के स्तम्भ मौर्य कला की सर्वोच्च उपलब्धि हैं —

- सारनाथ का सिंह शीर्ष — भारत का राष्ट्रीय प्रतीक, चार सिंहों की अद्भुत मूर्तिकला
- रामपुरवा, लौरिया-नन्दनगढ़, इलाहाबाद के स्तम्भ
- स्तम्भों पर शिलालेख — धम्म का प्रचार-प्रसार

3. मूर्तिकला (Sculpture)

- यक्ष-यक्षिणी की मूर्तियां — दीदारगंज की चामर धारिणी यक्षिणी सर्वश्रेष्ठ उदाहरण
- पत्थर पर चमकदार पॉलिश की तकनीक — मौर्य पॉलिश विश्वप्रसिद्ध

- मानवीय भावनाओं का यथार्थ चित्रण

4. चित्रकला (Painting)

- गुफाओं की दीवारों पर चित्रकारी का प्रारम्भ
- अजन्ता शैली की पूर्वपीठिका इसी काल में तैयार हुई
- विभिन्न रंगों और प्राकृतिक रंजकों का उपयोग

प्रौद्योगिकी का विकास

1. धातु प्रौद्योगिकी (Metal Technology)

- लोहे का व्यापक उपयोग — हथियार, औजार और कृषि उपकरण
- तांबे और कांसे की ढलाई में दक्षता
- अशोक स्तम्भों की धातु पॉलिश तकनीक आज भी रहस्य
- सिक्का निर्माण (Coinage) — चांदी और तांबे के पंचमार्क सिक्के

2. जल प्रबंधन प्रौद्योगिकी (Water Technology)

- सुदर्शन झील का निर्माण — चन्द्रगुप्त मौर्य के काल में, गिरनार (गुजरात)
- सिंचाई नहरों का विस्तृत जाल
- बांध और जलाशय निर्माण की उन्नत तकनीक
- कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जल प्रबंधन का विस्तृत उल्लेख

3. निर्माण प्रौद्योगिकी (Construction Technology)

- पत्थर काटने और तराशने की उन्नत तकनीक
- चुनार के पत्थर को दूर-दूर तक परिवहन
- मौर्य पॉलिश — पत्थर पर शीशे जैसी चमक, विधि आज अज्ञात
- लकड़ी से पत्थर निर्माण की ओर संक्रमण

4. कृषि प्रौद्योगिकी (Agricultural Technology)

- लोहे के हल का व्यापक उपयोग
- सिंचाई के उन्नत साधन
- अर्थशास्त्र में कृषि विभाग (सीताध्यक्ष) का उल्लेख

Kredoz IAS

- नई फसलों और बीजों का प्रयोग

5. युद्ध प्रौद्योगिकी (Military Technology)

- उन्नत शस्त्र निर्माण — तलवार, भाले, धनुष-बाण
- हाथियों का युद्ध में संगठित उपयोग
- चाणक्य के अर्थशास्त्र में सैन्य प्रौद्योगिकी का विस्तृत विवरण
- नौसेना का विकास — नाव निर्माण तकनीक

6. शिल्प एवं वस्त्र प्रौद्योगिकी

- सूती और रेशमी वस्त्र निर्माण
- मिट्टी के बर्तन — उत्तरी काली पॉलिश मृद्भाण्ड (NBPW)
- हाथीदांत और लकड़ी शिल्प का विकास

मौर्य कला की विशेषताएं

1. राजकीय संरक्षण — कला को राज्य का प्रश्रय
2. धार्मिक प्रेरणा — बौद्ध और जैन धर्म का प्रभाव
3. विदेशी प्रभाव — ईरानी (अचमेनी) और यूनानी शैली का समन्वय
4. यथार्थवाद और आदर्शवाद का संयोग
5. टिकाऊपन — पत्थर की स्थायी कला

निष्कर्ष

मौर्य काल भारतीय कला एवं प्रौद्योगिकी का आधार स्तम्भ है। अशोक के स्तम्भ, स्तूप और मौर्य पॉलिश आज भी उस युग की तकनीकी श्रेष्ठता के प्रमाण हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र उस काल की प्रशासनिक और तकनीकी उन्नति का दस्तावेज है। यह काल न केवल भारत बल्कि विश्व इतिहास में कला और प्रौद्योगिकी की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

Q2. "उन्नसवीं शताब्दी के भारतीय सामाजिक-धार्मिक सुधार आन्दोलनों में स्त्रियों के मुद्दे एक प्रमुख चिंता का विषय थे"। स्पष्ट कीजिये। "Women's issue was a major concern in the socio-religious reform movements of 19th century India". Explain.

प्रस्तावना

उन्नसवीं शताब्दी में भारत में जो सामाजिक-धार्मिक सुधार आन्दोलन उभरे, उनकी केन्द्रीय चिंता स्त्रियों की दयनीय दशा थी। सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, विधवाओं की दुर्दशा, स्त्री शिक्षा का अभाव — ये सभी मुद्दे इन सुधारकों के एजेंडे पर सर्वोच्च स्थान पर थे। औपनिवेशिक संदर्भ में पश्चिमी शिक्षा और उदारवादी विचारों के प्रभाव ने इन सुधारकों को परंपरा और आधुनिकता के बीच एक नई राह खोजने के लिए प्रेरित किया।

स्त्रियों से जुड़े प्रमुख मुद्दे और सुधार प्रयास

1. सती प्रथा का उन्मूलन

सती प्रथा — जिसमें विधवा स्त्री को पति की चिता पर जीवित जला दिया जाता था — उस युग की सबसे क्रूर सामाजिक कुप्रथा थी।

राजा राममोहन राय और **ब्रह्म समाज** ने इसके विरुद्ध सबसे प्रभावी अभियान चलाया। राममोहन राय ने शास्त्रों की पुनर्व्याख्या करके यह सिद्ध किया कि सती प्रथा का कोई धर्मसम्मत आधार नहीं है। उनके अथक प्रयासों के फलस्वरूप **1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को कानूनी रूप से प्रतिबंधित कर दिया** — यह औपनिवेशिक काल का पहला महत्त्वपूर्ण सामाजिक कानून था।

2. विधवा पुनर्विवाह

हिन्दू समाज में विधवाओं को अत्यंत कठोर जीवन जीने पर विवश किया जाता था — सिर मुंडाना, श्वेत वस्त्र, सामाजिक बहिष्कार और पुनर्विवाह पर पूर्ण प्रतिबंध।

ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने इस मुद्दे को सर्वाधिक शक्ति से उठाया। उन्होंने शास्त्रीय प्रमाणों के आधार पर विधवा पुनर्विवाह की वैधता स्थापित की और सरकार पर दबाव बनाया, जिसके परिणामस्वरूप **1856 में हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम** पारित हुआ। विद्यासागर ने स्वयं विधवा पुनर्विवाह आयोजित कर इसे सामाजिक स्वीकृति दिलाने का प्रयास किया।

प्रार्थना समाज (महाराष्ट्र) के **महादेव गोविन्द रानाडे** ने भी विधवा पुनर्विवाह आन्दोलन में सक्रिय योगदान दिया। उन्होंने **विधवा विवाह प्रतिबंधक मण्डली** की स्थापना की।

3. बाल विवाह का विरोध

अल्पायु में विवाह स्त्रियों के स्वास्थ्य और जीवन को नष्ट कर देता था। बालिका वधुएँ प्रायः युवावस्था में ही विधवा हो जाती थीं।

बाल गंगाधर तिलक और **गोपाल कृष्ण गोखले** जैसे नेताओं ने इस मुद्दे को उठाया। **बी. एम. मालाबारी** ने 1880 के दशक में बाल विवाह और जबरन वैधव्य के विरुद्ध जोरदार अभियान चलाया, जिसके परिणामस्वरूप **1891 का सम्मति आयु अधिनियम (Age of Consent Act)** पारित हुआ, जिसने लड़कियों के लिए सहमति की आयु 10 से बढ़ाकर 12 वर्ष की। यद्यपि यह पर्याप्त नहीं था, पर यह एक महत्त्वपूर्ण कदम था।

आर्य समाज के संस्थापक **स्वामी दयानन्द सरस्वती** ने भी बाल विवाह की कड़ी आलोचना की और विवाह की उचित आयु निर्धारित करने पर बल दिया।

4. स्त्री शिक्षा

स्त्रियों को शिक्षा से वंचित रखना उनकी पराधीनता का सबसे बड़ा आधार था। सुधारकों ने इसे केन्द्रीय मुद्दा माना।

ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने 1848 में पुणे में **लड़कियों के लिए पहला स्कूल** खोला — यह क्रांतिकारी कदम था। सावित्रीबाई फुले को भारत की पहली महिला शिक्षिका माना जाता है। उन्होंने जातिगत और लैंगिक दोनों भेदभावों को एक साथ चुनौती दी।

ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने बंगाल में बालिका विद्यालयों की स्थापना में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

रामकृष्ण मिशन और **ब्रह्म समाज** ने भी स्त्री शिक्षा के प्रसार में योगदान दिया।

पंडिता रमाबाई ने स्वयं एक उच्च शिक्षित महिला होने के नाते उन्नत विधवाओं और दलित महिलाओं के लिए **शारदा सदन** की स्थापना की और स्त्री स्वतंत्रता की नई परिभाषा रची।

5. पर्दा प्रथा और सामाजिक प्रतिबंधों का विरोध

स्त्रियों पर पर्दा प्रथा, घर से बाहर न निकलने की पाबंदी और सार्वजनिक जीवन से बहिष्कार उनकी स्वायत्तता को समाप्त कर देते थे।

ब्रह्म समाज ने स्त्रियों को सार्वजनिक धार्मिक सभाओं में भाग लेने का अधिकार दिलाने का प्रयास किया। **केशवचन्द्र सेन** ने स्त्री-पुरुष समानता को ब्रह्म समाज की विचारधारा का अंग बनाया।

सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा का समर्थन किया, यद्यपि वे इस विषय में अपेक्षाकृत रूढ़िवादी रहे।

6. देवदासी प्रथा और वेश्यावृत्ति का विरोध

दक्षिण भारत में देवदासी प्रथा स्त्रियों के शोषण का एक संस्थागत रूप था। **वीरेशलिंगम पंतुलु** (आंध्र) ने इसके विरुद्ध आवाज उठाई और विधवा पुनर्विवाह आन्दोलन भी चलाया।

सुधार आन्दोलनों की विशेषताएँ और सीमाएँ

विशेषताएँ

- सुधारकों ने **शास्त्रीय प्रमाणों** का सहारा लेकर कुप्रथाओं को अधर्म सिद्ध किया — अर्थात् परंपरा को ही परंपरा के विरुद्ध खड़ा किया।
- उन्होंने **औपनिवेशिक कानून** को सुधार के साधन के रूप में प्रयोग किया।
- स्त्री-सुधार को **राष्ट्रीय पुनर्जागरण** से जोड़ा — यह तर्क दिया कि एक कमज़ोर और अशिक्षित माँ श्रेष्ठ नागरिक नहीं बना सकती।

सीमाएँ

- अधिकांश सुधार आन्दोलन **उच्च और मध्यम वर्गीय पुरुषों** द्वारा संचालित थे — स्त्रियाँ स्वयं नेतृत्व में कम थीं।

- स्त्री को प्रायः **सुधार की वस्तु** माना गया, **सुधार का कर्ता** नहीं।
- **जाति और वर्ग** की सीमाएँ बनी रहीं — दलित और निम्न वर्गीय महिलाओं के मुद्दे उपेक्षित रहे (ज्योतिबा-सावित्रीबाई फुले इसके अपवाद थे)।
- **तिलक** जैसे राष्ट्रवादियों ने सहमति आयु अधिनियम का विरोध यह कहकर किया कि यह हिन्दू धर्म में विदेशी हस्तक्षेप है — इससे स्पष्ट होता है कि राष्ट्रवाद और स्त्री अधिकार हमेशा साथ नहीं चले।
- अधिकांश सुधारक **पितृसत्तात्मक ढाँचे** को चुनौती देने की बजाय उसे परिष्कृत करना चाहते थे।

निष्कर्ष

उन्नसवीं शताब्दी के सामाजिक-धार्मिक सुधार आन्दोलनों में स्त्रियों का प्रश्न केवल मानवीय करुणा का विषय नहीं था — यह एक **राजनीतिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय प्रश्न** भी था। सुधारकों को यह बोध था कि जब तक स्त्री अशिक्षित, अबला और परतंत्र है, तब तक भारत का नवजागरण अधूरा है। इन आन्दोलनों ने न केवल कुछ कानूनी सुधार दिलाए, बल्कि स्त्रियों को स्वयं अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने की एक सांस्कृतिक जमीन भी तैयार की, जो बीसवीं शताब्दी के राष्ट्रीय आन्दोलन में स्त्री भागीदारी का आधार बनी।

Q3. 'उग्रवाद उदारवादियों के विचारों और कार्य प्रणाली के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया थी'। इस कथन की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिये। 'Extremism was a reaction against the ideas and modus operandi of the moderates'. Critically explain this statement.

प्रस्तावना

भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास में 1885 से 1905 का काल **उदारवादी युग** कहलाता है, जबकि 1905 के बाद **उग्रवाद या गरम दल** का उदय हुआ। यह कथन कि "उग्रवाद उदारवादियों के विचारों और कार्यप्रणाली के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया थी" — अंशतः सत्य है, किन्तु इसे सम्पूर्ण सत्य नहीं माना जा सकता। उग्रवाद के उदय के कारण केवल उदारवादियों की विफलताओं तक सीमित नहीं थे; उसके अपने स्वतंत्र वैचारिक, सामाजिक और ऐतिहासिक आधार भी थे।

उदारवादियों की विचारधारा और कार्यप्रणाली

उग्रवाद को समझने के लिए पहले उदारवादियों की प्रकृति को जानना आवश्यक है।

उदारवादियों के प्रमुख लक्षण

नेतृत्व: दादाभाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोजशाह मेहता, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी आदि।

विचारधारा:

- ब्रिटिश न्याय और सद्भावना में अटूट विश्वास
- संवैधानिक तरीकों से क्रमिक सुधारों की माँग
- स्वशासन का लक्ष्य, किन्तु ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत

- पश्चिमी उदारवाद और लोकतंत्र में आस्था

कार्यप्रणाली:

- प्रार्थनापत्र, अर्जियाँ और प्रतिनिधिमण्डल
- भाषण, लेखन और जनमत निर्माण
- ब्रिटिश संसद में भारत के हितों की पैरवी
- **"3P की नीति"** — Prayer (प्रार्थना), Petition (याचिका), Protest (विरोध)

उग्रवाद का उदय — उदारवादियों की विफलताओं की प्रतिक्रिया के रूप में

1. उदारवादी माँगों की निरन्तर उपेक्षा

बीस वर्षों (1885-1905) की "याचना की राजनीति" के बावजूद ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को कोई ठोस राजनीतिक अधिकार नहीं दिए। **1892 का भारतीय परिषद अधिनियम** अत्यंत सीमित था। उग्रवादियों — विशेषतः **बाल गंगाधर तिलक** — ने तर्क दिया कि जो सरकार भारतीयों के हितों की परवाह नहीं करती, उससे दया की भिक्षा माँगना व्यर्थ और अपमानजनक है।

2. दादाभाई नौरोजी का 'निकासी सिद्धान्त' और आर्थिक असंतोष

स्वयं उदारवादी नेता दादाभाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक *Poverty and Un-British Rule in India* में **धन-निकासी (Drain of Wealth)** सिद्धान्त प्रस्तुत किया। इससे यह स्पष्ट हो गया कि ब्रिटिश शासन भारत के लिए कल्याणकारी नहीं, बल्कि शोषणकारी है। यदि स्वयं उदारवादियों के तर्क ब्रिटिश शासन की निर्ममता को उजागर करते थे, तो उनकी "न्यायप्रिय ब्रिटेन" में आस्था विरोधाभासी लगती थी। उग्रवादियों ने इसी विरोधाभास को पकड़ा।

3. 1905 का बंगाल विभाजन — निर्णायक मोड़

लॉर्ड कर्ज़न द्वारा बंगाल का विभाजन उदारवादी राजनीति की सबसे बड़ी पराजय थी। लम्बे विरोध-प्रदर्शनों और प्रतिनिधिमण्डलों के बावजूद सरकार ने विभाजन कर दिया। इससे यह संदेश गया कि ब्रिटिश सरकार भारतीय भावनाओं की कोई परवाह नहीं करती। तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चन्द्र पाल (लाल-बाल-पाल) ने इस घटना को उदारवादी पद्धति की अक्षमता के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया।

4. उदारवादियों का सीमित सामाजिक आधार

उदारवादी नेता मुख्यतः **अंग्रेजी पढ़े-लिखे, उच्च मध्यवर्गीय** लोग थे। उनकी राजनीति आम जनता — किसान, मजदूर, दस्तकार — तक नहीं पहुँचती थी। तिलक ने **गणपति उत्सव (1893)** और **शिवाजी उत्सव (1896)** के माध्यम से जन-आन्दोलन का नया मॉडल प्रस्तुत किया और दिखाया कि राजनीति को जनता के बीच ले जाना सम्भव है।

5. अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव

1905 में रूस-जापान युद्ध में जापान की विजय ने यह सिद्ध किया कि एशियाई राष्ट्र भी यूरोपीय शक्तियों को पराजित कर सकते हैं। इससे उग्रवादियों को यह विश्वास मिला कि भारतीयों को आत्मसम्मान और शक्ति के साथ संघर्ष करना चाहिए, न कि दीनतापूर्वक याचना।

उग्रवादियों की विचारधारा और कार्यप्रणाली

वैचारिक आधार

- **स्वराज** को तत्काल लक्ष्य घोषित करना — "स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा" (तिलक)
- ब्रिटिश साम्राज्य में कोई विश्वास नहीं — स्वशासन ब्रिटेन का उपहार नहीं, भारत का अधिकार है
- भारतीय संस्कृति, इतिहास और हिन्दू परम्परा में गर्व और आत्मविश्वास
- **आत्मशक्ति और आत्मनिर्भरता** पर बल

कार्यप्रणाली

- **बहिष्कार (Boycott)** — विदेशी वस्तुओं का त्याग
- **स्वदेशी** — देशी उद्योगों को प्रोत्साहन
- **राष्ट्रीय शिक्षा** — ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली का विकल्प
- **निष्क्रिय प्रतिरोध (Passive Resistance)** — सरकारी सहयोग से इनकार
- जनता को सीधे सम्बोधित करना

कथन की आलोचनात्मक परीक्षा

पक्ष में तर्क — कथन कहाँ तक सत्य है

यह कथन इस अर्थ में सही है कि उग्रवाद का **तात्कालिक उदय** उदारवादी विफलताओं की पृष्ठभूमि में हुआ। बंगाल विभाजन के विरुद्ध उदारवादियों की असफलता ने गरम दल को वैचारिक ईंधन दिया। उग्रवादियों ने स्वयं उदारवादी याचना-नीति को "भिक्षावृत्ति की राजनीति" कहकर नकारा।

विपक्ष में तर्क — कथन की सीमाएँ

1. उग्रवाद के स्वतंत्र वैचारिक स्रोत थे: उग्रवाद केवल उदारवाद की प्रतिक्रिया नहीं था — उसके अपने सकारात्मक दर्शन थे। **बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय** की *आनन्दमठ*, **विवेकानन्द** की शक्ति और आत्मविश्वास की विचारधारा, **अरविन्द घोष** का आध्यात्मिक राष्ट्रवाद — ये सब उग्रवाद के स्वतंत्र स्रोत थे।

2. आर्थिक और सामाजिक कारण: 1876-78 और 1896-97 के भयंकर अकालों, प्लेग महामारी (1896-97) और सरकारी दमन ने जनता में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध गहरा असंतोष भर दिया था। यह असंतोष उदारवाद की विफलता से नहीं, बल्कि ब्रिटिश शासन की क्रूरता से उत्पन्न था।

3. क्या उदारवाद पूर्णतः निष्फल था? यह भी ध्यान देने योग्य है कि उदारवादियों ने **जनमत-निर्माण, राजनीतिक चेतना का प्रसार और संस्थागत राजनीति की नींव** रखी। उग्रवादी उसी नींव पर खड़े थे। बिना उदारवादी पृष्ठभूमि के उग्रवाद का उदय सम्भव नहीं होता।

4. उग्रवाद और उदारवाद में निरन्तरता भी थी: दोनों धाराएँ पूर्णतः विपरीत नहीं थीं। **दादाभाई नौरोजी** को 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना इसी समन्वय का प्रतीक था। गोखले और तिलक के बीच मतभेद थे, किन्तु दोनों भारतीय स्वतंत्रता के पक्षधर थे।

5. 1907 का सूरत विभाजन — एकता की विफलता: सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन उग्रवाद बनाम उदारवाद की टकराहट का चरम था। किन्तु इससे दोनों पक्षों को हानि हुई — विशेषतः उग्रवादियों को, जो कांग्रेस से बाहर हो गए।

निष्कर्ष

उग्रवाद उदारवादी राजनीति की **विफलताओं का स्वाभाविक परिणाम** तो था, किन्तु यह कहना अपर्याप्त होगा कि वह **केवल** उसकी प्रतिक्रिया था। उग्रवाद के अपने स्वतंत्र दार्शनिक, सांस्कृतिक और सामाजिक आधार थे। वस्तुतः उदारवाद और उग्रवाद भारतीय राष्ट्रवाद की दो पूरक धाराएँ थीं — एक ने संस्थाएँ बनाईं, दूसरे ने जनशक्ति जगाई। **गाँधीजी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आन्दोलन ने इन दोनों धाराओं को समाहित करते हुए एक नई और अधिक प्रभावशाली राजनीतिक पद्धति का निर्माण किया।**

Q4. क्या वैश्वीकरण सांस्कृतिक एकीकरण एवं सांस्कृतिक संघर्ष दोनों को अग्रसर करता है? स्पष्ट कीजिए। Does globalization leads to both cultural integration and cultural conflict? Elucidate.

प्रस्तावना

वैश्वीकरण (Globalization) एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें पूँजी, वस्तु, सेवा, सूचना और मनुष्यों का राष्ट्रीय सीमाओं के पार प्रवाह तीव्र गति से होता है। इस प्रक्रिया का सबसे जटिल और विवादास्पद आयाम **सांस्कृतिक** है। वैश्वीकरण एक साथ दो परस्पर विरोधाभासी प्रवृत्तियाँ उत्पन्न करता है — एक ओर यह विभिन्न संस्कृतियों को एक-दूसरे के निकट लाता है **(सांस्कृतिक एकीकरण)**, और दूसरी ओर यह सांस्कृतिक अस्मिता, वर्चस्व और प्रतिरोध के कारण तनाव और संघर्ष को भी जन्म देता है **(सांस्कृतिक संघर्ष)**।

वैश्वीकरण और सांस्कृतिक एकीकरण

1. सांस्कृतिक समरूपता और 'वैश्विक संस्कृति' का उदय

वैश्वीकरण ने एक **साझा वैश्विक उपभोक्ता संस्कृति** को जन्म दिया है। मैकडोनाल्ड, स्टारबक्स, हॉलीवुड, अंग्रेजी भाषा, जींस-टी-शर्ट की पोशाक — ये सभी एक वैश्विक सांस्कृतिक मानक बनते जा रहे हैं। समाजशास्त्री **जॉर्ज रित्ज़र** ने इसे **"मैकडोनाल्डाइज़ेशन"** कहा — अर्थात् समाज के विभिन्न क्षेत्रों में दक्षता, एकरूपता और नियंत्रण के सिद्धान्तों का प्रसार।

2. संचार क्रान्ति और सांस्कृतिक आदान-प्रदान

इंटरनेट, सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म और उपग्रह टेलीविजन ने सांस्कृतिक आदान-प्रदान को अभूतपूर्व गति दी है। **कोरियाई पॉप संगीत (K-Pop)** का वैश्विक प्रसार, **बॉलीवुड** की अंतरराष्ट्रीय लोकप्रियता, **योग और आयुर्वेद** का पश्चिमी देशों में प्रसार — ये सांस्कृतिक एकीकरण के सकारात्मक उदाहरण हैं। यह एकीकरण एकतरफा नहीं, बल्कि **बहुदिशीय** भी है।

3. सांस्कृतिक संकरण (Cultural Hybridization)

समाजशास्त्री **जान नेदेर्वीन पीटर्स** के अनुसार वैश्वीकरण संस्कृतियों को नष्ट नहीं करता, बल्कि उन्हें **संकरित (Hybridize)** करता है। भारत में **फ्यूज़न संगीत, इंग्लिश-हिन्दी मिश्रित भाषा (Hinglish), पिज़्ज़ा-डोसा जैसे खाद्य संयोजन** — ये सभी सांस्कृतिक संकरण के उदाहरण हैं। यह प्रक्रिया नई, समृद्ध और जीवंत सांस्कृतिक अभिव्यक्तियाँ उत्पन्न करती है।

4. मानवाधिकार, लोकतंत्र और सार्वभौमिक मूल्यों का प्रसार

वैश्वीकरण ने **लैंगिक समानता, मानवाधिकार, पर्यावरण चेतना और लोकतांत्रिक मूल्यों** को वैश्विक मानक के रूप में स्थापित करने में सहायता की है। **#MeToo आन्दोलन** का वैश्विक प्रसार इसका सशक्त उदाहरण है। इस प्रकार वैश्वीकरण एक **नैतिक-सांस्कृतिक एकीकरण** की दिशा में भी कार्य करता है।

5. पर्यटन और प्रवासन द्वारा सांस्कृतिक समझ

अंतरराष्ट्रीय पर्यटन और प्रवासी समुदायों ने विभिन्न संस्कृतियों के बीच **व्यक्तिगत स्तर पर संवाद और समझ** को बढ़ावा दिया है। अमेरिका में भारतीय डायस्पोरा, यूरोप में अफ्रीकी समुदाय — ये सब **बहुसांस्कृतिकता (Multiculturalism)** के जीवंत उदाहरण हैं।

वैश्वीकरण और सांस्कृतिक संघर्ष

1. सांस्कृतिक साम्राज्यवाद (Cultural Imperialism)

वैश्वीकरण की सबसे तीखी आलोचना यह है कि यह वास्तव में **पश्चिमी — विशेषतः अमेरिकी — सांस्कृतिक वर्चस्व** का दूसरा नाम है। **हर्बर्ट शिलर** ने "Cultural Imperialism" की अवधारणा दी — जिसमें शक्तिशाली राष्ट्र अपनी भाषा, मूल्य, जीवनशैली और उपभोग के तरीके कमज़ोर राष्ट्रों पर थोपते हैं। हॉलीवुड, CNN, Facebook, Google — ये सब अमेरिकी सांस्कृतिक शक्ति के उपकरण हैं। इससे स्थानीय भाषाएँ, परम्पराएँ और कलाएँ हाशिये पर जा रही हैं।

2. सांस्कृतिक अस्मिता का संकट और प्रतिक्रियावादी राष्ट्रवाद

जब वैश्वीकरण स्थानीय संस्कृतियों को खतरे में डालता है, तो **सांस्कृतिक अस्मिता की राजनीति** तीव्र हो जाती है। **सैमुअल हंटिंगटन** का **"सभ्यताओं का संघर्ष" (Clash of Civilizations, 1993)** सिद्धान्त इसी तर्क पर आधारित है — कि वैश्वीकरण के बाद की दुनिया में संघर्ष वैचारिक नहीं, बल्कि **सभ्यतागत** होंगे। पश्चिम बनाम इस्लामी विश्व, पश्चिम बनाम कन्फ्यूशियाई एशिया — यह दृष्टि वैश्वीकरण को संघर्ष का जनक मानती है।

यद्यपि हंटिंगटन की आलोचना **अमर्त्य सेन** जैसे विद्वानों ने की है — उनके अनुसार संस्कृतियाँ एकरेखीय नहीं होतीं और व्यक्ति की पहचान बहुआयामी होती है — फिर भी यह तथ्य है कि वैश्वीकरण से उत्पन्न असुरक्षा ने **धार्मिक कट्टरवाद और अतिराष्ट्रवाद** को बढ़ावा दिया है।

3. भाषाई विविधता का ह्रास

UNESCO की रिपोर्टों के अनुसार वैश्वीकरण के दौर में प्रत्येक दो सप्ताह में एक भाषा लुप्त हो रही है। अंग्रेजी के वैश्विक आधिपत्य ने सैकड़ों स्थानीय भाषाओं को हाशिये पर धकेल दिया है। भाषा केवल संचार का माध्यम नहीं, बल्कि **सांस्कृतिक स्मृति और पहचान** का वाहक होती है। भाषा का लोप एक सम्पूर्ण सांस्कृतिक विश्व का लोप है।

4. धार्मिक और परम्परागत मूल्यों से टकराव

वैश्वीकरण के साथ आई उपभोक्तावादी जीवनशैली, व्यक्तिवाद और उदारवादी सामाजिक मूल्य अनेक समाजों के **पारम्परिक धार्मिक और सामुदायिक मूल्यों** से टकराते हैं। अफगानिस्तान, ईरान जैसे देशों में **पश्चिमीकरण-विरोधी** आन्दोलन, भारत में **सांस्कृतिक राष्ट्रवाद** का उभार — ये सब इस टकराहट की अभिव्यक्तियाँ हैं।

5. आर्थिक असमानता और सांस्कृतिक वंचना

वैश्वीकरण का लाभ सभी को समान रूप से नहीं मिला। **वैश्विक उत्तर (Global North)** के देश सांस्कृतिक उत्पादन और प्रसार में अग्रणी हैं, जबकि **वैश्विक दक्षिण (Global South)** के देश सांस्कृतिक उपभोक्ता की भूमिका में हैं। यह असमान सांस्कृतिक शक्ति संघर्ष और आक्रोश को जन्म देती है।

6. स्वदेशी और आदिवासी संस्कृतियों का संकट

वैश्वीकरण ने **आदिवासी और स्वदेशी समुदायों** की संस्कृतियों को सर्वाधिक खतरे में डाला है। उनकी भूमि, जीविका, भाषा और परम्पराएँ — सभी वैश्विक बाज़ार और विकास के नाम पर नष्ट हो रही हैं। यह **सांस्कृतिक हिंसा** का एक रूप है।

भारतीय संदर्भ में विश्लेषण

भारत वैश्वीकरण के दोनों पहलुओं का जीवंत उदाहरण है।

एकीकरण के उदाहरण: IT उद्योग और वैश्विक कार्यबल का एकीकरण, बॉलीवुड और भारतीय व्यंजनों की वैश्विक स्वीकृति, योग का अंतरराष्ट्रीयकरण, भारतीय डायस्पोरा द्वारा सांस्कृतिक सेतु का निर्माण।

संघर्ष के उदाहरण: वैलेंटाइन डे बनाम भारतीय संस्कृति का विवाद, अंग्रेजी के वर्चस्व से क्षेत्रीय भाषाओं को खतरा, उपभोक्तावादी संस्कृति और पारम्परिक जीवन मूल्यों का टकराव, आदिवासी संस्कृतियों का ह्रास।

आलोचनात्मक मूल्यांकन

यह ध्यान देना आवश्यक है कि **न तो सांस्कृतिक एकीकरण पूर्णतः सकारात्मक है, न सांस्कृतिक संघर्ष पूर्णतः नकारात्मक।**

एकीकरण यदि **सांस्कृतिक समरूपता और वर्चस्व** की दिशा में जाए, तो वह विविधता का नाश करता है। किन्तु यदि यह **संकरण और पारस्परिक संवर्धन** की दिशा में जाए, तो यह मानव सभ्यता को समृद्ध करता है।

संघर्ष यदि **हिंसा और कट्टरता** का रूप ले, तो विनाशकारी है। किन्तु यदि यह **सांस्कृतिक प्रतिरोध और आत्मनिर्णय** के रूप में प्रकट हो, तो यह विविधता की रक्षा का माध्यम बन सकता है।

निष्कर्ष

वैश्वीकरण न तो केवल सांस्कृतिक मुक्तिदाता है, न केवल सांस्कृतिक विनाशक। यह एक **जटिल, द्वंद्वात्मक और बहुदिशीय प्रक्रिया** है जो एक साथ एकीकरण और संघर्ष, समरूपता और विविधता, वर्चस्व और प्रतिरोध को जन्म देती है। आवश्यकता इस बात की है कि वैश्वीकरण को **सांस्कृतिक लोकतंत्र** के सिद्धान्त पर पुनर्गठित किया जाए — जहाँ कोई एक संस्कृति वैश्विक मानक न बने, बल्कि **"विविधता में एकता"** (Unity in Diversity) वैश्विक सांस्कृतिक नीति का मूल आधार हो। **UNESCO का 2005 का सांस्कृतिक विविधता अभिसमय** (Convention on Cultural Diversity) इसी दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

Q5. ग्रामीण भारत में विकासात्मक मुद्दों के सन्दर्भ में निरक्षरता और गरीबी के बीच क्या सम्बन्ध है? आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये। What is the relationship between illiteracy and poverty in the context of developmental issues in rural India? Critically evaluate.

प्रस्तावना

ग्रामीण भारत में निरक्षरता और गरीबी दो ऐसी समस्याएँ हैं जो न केवल साथ-साथ पाई जाती हैं, बल्कि एक-दूसरे को **पारस्परिक रूप से पोषित और सुदृढ़** भी करती हैं। यह सम्बन्ध एकदिशीय नहीं है — गरीबी निरक्षरता को जन्म देती है और निरक्षरता गरीबी को बनाए रखती है। इस **दुष्चक्र (Vicious Cycle)** को तोड़ना ग्रामीण विकास की सबसे बड़ी चुनौती है। **गुन्नार म्यर्डल** ने इसे "circular causation with cumulative effect" कहा था — अर्थात् एक समस्या दूसरी को बढ़ाती है और यह प्रक्रिया संचयी रूप से जारी रहती है।

भारत में ग्रामीण निरक्षरता और गरीबी की स्थिति

निरक्षरता की स्थिति

- **2011 की जनगणना** के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04% थी, किन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में यह केवल **67.77%** थी।
- ग्रामीण महिला साक्षरता दर और भी कम — लगभग **58%** थी।
- **ASER रिपोर्टें** लगातार यह दर्शाती हैं कि ग्रामीण बच्चे विद्यालय में नामांकित होने के बावजूद **बुनियादी पठन-लेखन** में अक्षम हैं — यह **कार्यात्मक निरक्षरता (Functional Illiteracy)** की गम्भीर समस्या है।

गरीबी की स्थिति

- **नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) 2023** के अनुसार भारत में अभी भी लगभग **11.28%** जनसंख्या बहुआयामी गरीबी में है, जिसका बड़ा हिस्सा ग्रामीण है।
- ग्रामीण गरीबी केवल आय की कमी नहीं, बल्कि **स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और बुनियादी सेवाओं से वंचना** का समुच्चय है।

निरक्षरता और गरीबी के बीच सम्बन्ध

क — गरीबी से निरक्षरता की ओर

1. शिक्षा की अवसर लागत (Opportunity Cost)

गरीब परिवारों में बच्चों को विद्यालय भेजने के बजाय **खेत में, भट्टे पर या घरेलू कार्यों में** लगाया जाता है। बच्चे की श्रम-शक्ति परिवार की आर्थिक आवश्यकता है। **बाल श्रम और निरक्षरता** इस प्रकार गरीबी की प्रत्यक्ष संतान हैं।

2. शिक्षा की प्रत्यक्ष लागत का बोझ

यद्यपि सरकारी विद्यालय निःशुल्क हैं, तथापि **पुस्तकें, वर्दी, परिवहन, ट्यूशन** — ये अप्रत्यक्ष लागतें गरीब परिवारों के लिए असहनीय होती हैं। फलतः बच्चे — विशेषतः लड़कियाँ — विद्यालय छोड़ देती हैं।

3. कुपोषण और संज्ञानात्मक विकास पर प्रभाव

गरीबी के कारण **कुपोषण** बच्चों की **संज्ञानात्मक क्षमता (Cognitive Ability)** को प्रभावित करता है। कुपोषित बच्चा विद्यालय में ध्यान केन्द्रित नहीं कर पाता — यह **जैविक तंत्र** के माध्यम से गरीबी को निरक्षरता में परिवर्तित करता है।

4. आवास और पर्यावरण

गरीब परिवारों में **पढ़ने के लिए पर्याप्त प्रकाश, स्थान और शान्त वातावरण** नहीं होता। **बिजली का अभाव** ग्रामीण क्षेत्रों में शाम को पढ़ाई को असम्भव बना देता है।

5. अभिभावकों की स्वयं निरक्षरता

गरीब और निरक्षर माता-पिता शिक्षा के दीर्घकालिक लाभों को नहीं समझ पाते और बच्चों को **शैक्षिक प्रोत्साहन** नहीं दे पाते — यह **सामाजिक पूँजी (Social Capital)** की कमी है।

ख — निरक्षरता से गरीबी की ओर

1. उत्पादकता और आय की हानि

निरक्षर व्यक्ति केवल **अकुशल शारीरिक श्रम** कर सकता है जिसका पारिश्रमिक न्यूनतम होता है। वह नई कृषि तकनीकें, उन्नत बीज, उर्वरक उपयोग की विधियाँ नहीं समझ सकता। **हरित क्रान्ति** का लाभ भी उन किसानों को अधिक मिला जो साक्षर थे।

2. सरकारी योजनाओं से वंचना

ग्रामीण भारत में अनेक कल्याणकारी योजनाएँ हैं — **PM-KISAN, MGNREGA, पीएम आवास योजना, आयुष्मान भारत** — किन्तु निरक्षर व्यक्ति इनके लिए **आवेदन नहीं कर सकता, अपने अधिकार नहीं जानता** और बिचौलियों द्वारा शोषित होता है।

3. वित्तीय समावेशन का अभाव

निरक्षरता **बैंकिंग, बीमा, ऋण** जैसी वित्तीय सेवाओं तक पहुँच को अवरुद्ध करती है। निरक्षर किसान **साहूकारों के चंगुल** में फँसता है और ऊँची ब्याज दरों पर ऋण लेकर और गरीब होता जाता है।

4. स्वास्थ्य और स्वच्छता की अज्ञानता

निरक्षर माताएँ **टीकाकरण, पोषण, स्वच्छता** के महत्त्व को नहीं समझतीं। इससे बच्चों में बीमारी, मृत्यु दर और कुपोषण बढ़ता है — जो अगली पीढ़ी की उत्पादकता को नष्ट करता है और गरीबी को पुनरुत्पादित करता है।

5. राजनीतिक शक्तिहीनता

निरक्षर ग्रामीण **अपने मताधिकार का सोच-समझकर प्रयोग** नहीं कर पाते, जाति और धर्म के आधार पर मतदान करते हैं और **विकास की राजनीति** को प्रभावित करने में असमर्थ रहते हैं। यह राजनीतिक वंचना आर्थिक वंचना को स्थायी बनाती है।

6. लिंग आधारित दोहरी वंचना

ग्रामीण निरक्षर महिला **दोहरे शोषण** की शिकार है — गरीबी और पितृसत्ता दोनों का। निरक्षरता उसे **बाल विवाह, घरेलू हिंसा और आर्थिक परनिर्भरता** के दुष्चक्र में कैद रखती है।

दुष्चक्र का रेखाचित्रीय विश्लेषण

गरीबी

↓

बच्चे विद्यालय नहीं जाते / बीच में छोड़ देते हैं

↓

निरक्षरता

↓

अकुशल श्रम → कम आय → सरकारी योजनाओं से वंचना

→ वित्तीय शोषण → स्वास्थ्य हानि

↓

अगली पीढ़ी की गरीबी

↓

(चक्र पुनः आरम्भ)

आलोचनात्मक मूल्यांकन

1. सम्बन्ध एकरेखीय नहीं है

यह मानना सरलीकरण होगा कि **केवल निरक्षरता ही गरीबी का कारण है** या **केवल गरीबी ही निरक्षरता का।** वास्तव में दोनों के मूल में **संरचनात्मक कारण** हैं — जाति व्यवस्था, भूमि का असमान वितरण, ऐतिहासिक वंचना और राज्य की विफलताएँ। **अम्बेडकर** ने सही कहा था कि दलितों की निरक्षरता और गरीबी का मूल कारण **जाति-आधारित भेदभाव** है, न केवल व्यक्तिगत अभाव।

2. साक्षरता बनाम शिक्षा की गुणवत्ता

ASER रिपोर्टें बार-बार दिखाती हैं कि भारत में **नामांकन तो बढ़ा है, किन्तु सीखने के परिणाम (Learning Outcomes) अत्यंत दयनीय हैं।** कक्षा 5 का बच्चा कक्षा 2 की पुस्तक नहीं पढ़ पाता। यह **"साक्षरता का भ्रम"** है — जो न तो गरीबी हटाने में सक्षम है और न ही वास्तविक सशक्तीकरण का माध्यम।

3. सरकारी नीतियों की सीमाएँ

सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन योजना, RTE 2009 जैसी नीतियों ने नामांकन बढ़ाया, किन्तु **शिक्षकों की अनुपस्थिति, विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव और पाठ्यक्रम की अप्रासंगिकता** ने इन्हें पूर्ण सफल नहीं होने दिया। **MGNREGA** जैसी योजनाओं ने ग्रामीण आय बढ़ाई, किन्तु यह गरीबी-निरक्षरता के मूल ढाँचे को नहीं बदल पाई।

4. डिजिटल विभाजन — नई चुनौती

21वीं सदी में **डिजिटल साक्षरता** का अभाव एक नई निरक्षरता है। **COVID-19 महामारी** ने दिखाया कि ग्रामीण बच्चे ऑनलाइन शिक्षा से पूर्णतः वंचित रह गए — जिससे **डिजिटल विभाजन** ने गरीबी और निरक्षरता के दुष्चक्र को और गहरा कर दिया।

5. सफलता की कहानियाँ भी हैं

केरल मॉडल यह सिद्ध करता है कि उच्च साक्षरता दर गरीबी उन्मूलन में सहायक होती है। **बांग्लादेश** में महिला साक्षरता बढ़ने से **प्रजनन दर में कमी, शिशु मृत्युदर में गिरावट और परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार** हुआ। **अमर्त्य सेन** का **"विकास एक स्वतंत्रता के रूप में" (Development as Freedom)** सिद्धान्त यही कहता है कि शिक्षा एक **सक्षमता (Capability)** है जो लोगों को गरीबी से बाहर निकलने की शक्ति देती है।

सुझाव और आगे की राह

नीतिगत स्तर पर: शिक्षा और गरीबी उन्मूलन को **एकीकृत नीति** के रूप में देखना होगा — अलग-अलग विभागों की खण्डित योजनाएँ पर्याप्त नहीं हैं। **सामाजिक सुरक्षा + गुणवत्तापूर्ण शिक्षा + आजीविका** का त्रिकोण आवश्यक है।

संरचनात्मक सुधार: भूमि सुधार, जाति-आधारित भेदभाव का उन्मूलन और **महिला सशक्तीकरण** के बिना निरक्षरता-गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ना सम्भव नहीं।

सामुदायिक भागीदारी: स्वयं सहायता समूह (SHGs) — विशेषतः महिला SHGs — ने दिखाया है कि जब समुदाय स्वयं अपनी शिक्षा और आर्थिक उत्थान की जिम्मेदारी लेता है, तो परिणाम अधिक स्थायी होते हैं।

निष्कर्ष

ग्रामीण भारत में निरक्षरता और गरीबी का सम्बन्ध **पारस्परिक, संचयी और संरचनात्मक** है। यह केवल दो चरों का सांख्यिकीय सहसम्बन्ध नहीं, बल्कि **सामाजिक न्याय, मानवीय गरिमा और विकास की मूलभूत अवधारणाओं** से जुड़ा प्रश्न है। **अम्बेडकर, गाँधी और अमर्त्य सेन** तीनों इस बात पर सहमत हैं — भले ही उनके दृष्टिकोण भिन्न हों — कि **शिक्षा के बिना मुक्ति सम्भव नहीं और गरीबी के रहते शिक्षा टिकाऊ नहीं।** इस दुष्चक्र को तोड़ने के लिए **राज्य, समाज और व्यक्ति** तीनों स्तरों पर समन्वित और दीर्घकालिक प्रयास अनिवार्य हैं।

Q6. आधुनिक भारत में क्षेत्रवाद चुनौती एवं अवसर दोनों है। स्पष्ट कीजिए। Regionalism in modern India is both a challenge and an opportunity. Clarify.

प्रस्तावना

क्षेत्रवाद (Regionalism) वह राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रवृत्ति है जिसमें किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र के लोग अपनी **भाषाई, जातीय, सांस्कृतिक या आर्थिक पहचान** के आधार पर एक साझा चेतना विकसित करते हैं और अपने हितों की रक्षा के लिए संगठित होते हैं। भारत जैसे विविधताओं से भरे देश में क्षेत्रवाद एक **स्वाभाविक परिघटना** है — यह न तो सर्वथा नकारात्मक है, न सर्वथा सकारात्मक।

के. एम. पणिक्कर के शब्दों में — "भारत विविधताओं का एक संग्रहालय है जहाँ प्रत्येक क्षेत्र की अपनी आत्मा है।" यही विविधता क्षेत्रवाद की जननी है। प्रश्न यह है कि इस क्षेत्रवाद को राष्ट्रीय एकता के लिए खतरे के रूप में देखा जाए या सहकारी संघवाद के अवसर के रूप में।

क्षेत्रवाद के कारण और प्रकार

मूल कारण

ऐतिहासिक कारण: औपनिवेशिक काल में विभिन्न क्षेत्रों का असमान विकास, प्रेसीडेंसी व्यवस्था और रियासतों की विरासत।

भाषाई-सांस्कृतिक कारण: भारत में 22 संवैधानिक भाषाएँ और सैकड़ों बोलियाँ हैं। भाषाई पहचान क्षेत्रीय अस्मिता का सबसे शक्तिशाली आधार है।

आर्थिक कारण: विकास की असमानता — कुछ राज्य औद्योगिक रूप से उन्नत हैं जबकि अन्य पिछड़े हैं। **BIMARU राज्यों** (बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तरप्रदेश) बनाम **दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों** के बीच की खाई क्षेत्रीय असंतोष का प्रमुख स्रोत है।

राजनीतिक कारण: केन्द्र-राज्य सम्बन्धों में असन्तुलन, राज्यपाल पद का दुरुपयोग और संसाधनों के वितरण में कथित पक्षपात।

प्रकार

सांस्कृतिक क्षेत्रवाद: भाषा, परम्परा और पहचान आधारित — जैसे तमिल अस्मिता आन्दोलन।

आर्थिक क्षेत्रवाद: संसाधनों, नदी जल और औद्योगिक निवेश पर दावे — जैसे कावेरी जल विवाद।

राजनीतिक क्षेत्रवाद: पृथक राज्य की माँग — जैसे तेलंगाना, झारखण्ड, उत्तराखण्ड का निर्माण।

अलगाववादी क्षेत्रवाद: राष्ट्र से पृथकता की माँग — जैसे कश्मीर, पूर्वोत्तर के कुछ आन्दोलन।

क्षेत्रवाद एक चुनौती के रूप में

1. राष्ट्रीय एकता और अखण्डता को खतरा

अलगाववादी क्षेत्रवाद भारत की **संप्रभुता और क्षेत्रीय अखण्डता** के लिए सबसे गम्भीर चुनौती है।

कश्मीर समस्या — दशकों से चली आ रही यह समस्या सशस्त्र उग्रवाद, पाकिस्तान की भूमिका और स्थानीय राजनीतिक असंतोष का जटिल संयोजन है। **अनुच्छेद 370 की समाप्ति (2019)** के बाद भी इस क्षेत्र में सामान्यीकरण की प्रक्रिया जारी है।

पूर्वोत्तर भारत — असम में ULFA, मणिपुर में विभिन्न उग्रवादी संगठन, नागालैण्ड में NSCN की माँगें — ये सब दशकों से केन्द्र सरकार के लिए चुनौती बने हुए हैं। **नागा शान्ति वार्ता** वर्षों से चल रही है।

खालिस्तान आन्दोलन — 1980 के दशक में पंजाब में इसने भयंकर हिंसा को जन्म दिया। यद्यपि अब यह आन्दोलन भारत में कमज़ोर पड़ चुका है, किन्तु **प्रवासी भारतीयों में इसकी पुनरुज्जीवन की कोशिशें** चिंता का विषय बनी रहती हैं।

2. अन्तरराज्यीय विवाद और संघर्ष

क्षेत्रवाद अनेक **अन्तरराज्यीय विवादों** को जन्म देता है जो संसाधनों के दोहन, आर्थिक विकास और जनता के जीवन को प्रभावित करते हैं।

नदी जल विवाद: कावेरी (तमिलनाडु-कर्नाटक), कृष्णा (आन्ध्र-तेलंगाना-कर्नाटक), सतलुज-यमुना लिंक नहर (पंजाब-हरियाणा) — ये विवाद कभी-कभी हिंसक रूप भी लेते हैं।

भूमि और सीमा विवाद: महाराष्ट्र-कर्नाटक के बीच बेलगावी (बेलगाम) विवाद दशकों पुराना है। असम-मिज़ोरम सीमा विवाद ने **2021 में पुलिस हिंसा** को जन्म दिया।

'भूमिपुत्र' की राजनीति: महाराष्ट्र में **MNS और शिवसेना** द्वारा उत्तर भारतीयों के विरुद्ध आन्दोलन, कर्नाटक में कन्नड़ रक्षण वेदिके द्वारा अन्य भाषी लोगों का विरोध — ये प्रवृत्तियाँ **संविधान के अनुच्छेद 19(1)(d) और (e)** — देश में कहीं भी निवास और आजीविका के अधिकार — का उल्लंघन करती हैं।

3. राजनीतिक अस्थिरता और क्षेत्रीय दलों का उदय

क्षेत्रवाद ने **क्षेत्रीय राजनीतिक दलों** को जन्म दिया है जो अनेक बार राष्ट्रीय हितों से ऊपर क्षेत्रीय हितों को रखते हैं। गठबन्धन की राजनीति में क्षेत्रीय दलों की **सौदेबाजी की क्षमता** बढ़ी है — जो कभी-कभी **राष्ट्रीय नीतियों को बन्धक** बना लेती है।

4. संसाधनों का असमान वितरण और केन्द्र-राज्य तनाव

राज्य अनुभव करते हैं कि **वित्त आयोग के माध्यम से संसाधनों का वितरण** उनके अनुकूल नहीं है। दक्षिणी राज्य विशेषतः यह तर्क देते हैं कि वे **अधिक कर देते हैं किन्तु कम प्राप्त करते हैं** — जनसंख्या आधारित आवंटन उनके विरुद्ध काम करता है।

15वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर दक्षिणी राज्यों की आपत्ति इसी भावना की अभिव्यक्ति थी।

5. सामाजिक ध्रुवीकरण

क्षेत्रवाद भाषा, जाति और धर्म के साथ मिलकर **सामाजिक ध्रुवीकरण** को बढ़ाता है। यह **राष्ट्रीय पहचान** को कमज़ोर करता है और लोगों को "भारतीय" से पहले "बंगाली", "तमिल" या "मराठी" बनाता है।

क्षेत्रवाद एक अवसर के रूप में

1. भाषाई राज्यों का पुनर्गठन — लोकतंत्र की परिपक्वता

1953 में आन्ध्र प्रदेश का गठन और **1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग** की सिफारिशों के आधार पर भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन वास्तव में **लोकतंत्र की एक बड़ी सफलता** थी। इससे सिद्ध हुआ कि भारतीय राज्य क्षेत्रीय आकांक्षाओं को समायोजित करने में सक्षम है।

नेहरू आरम्भ में भाषाई राज्यों के पक्ष में नहीं थे, किन्तु जनदबाव ने साबित किया कि **भाषाई पहचान का सम्मान** राष्ट्रीय एकता को मज़बूत करता है, कमज़ोर नहीं। तेलंगाना (2014), झारखण्ड, उत्तराखण्ड, छत्तीसगढ़ (2000) का निर्माण इसी परम्परा की निरन्तरता है।

2. सहकारी संघवाद को प्रोत्साहन

क्षेत्रवाद ने **केन्द्र-राज्य सम्बन्धों को पुनर्परिभाषित** करने का दबाव बनाया। **सरकारिया आयोग (1983)**, **पुंछी आयोग (2007-10)** और **NITI आयोग** — सभी ने क्षेत्रीय असंतोष की पृष्ठभूमि में **सहकारी संघवाद** की अवधारणा को आगे बढ़ाया।

GST परिषद सहकारी संघवाद का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जहाँ केन्द्र और राज्य मिलकर कर नीति तय करते हैं।

3. प्रशासनिक दक्षता और विकेन्द्रीकरण

छोटे राज्यों के निर्माण ने **प्रशासनिक दक्षता** में वृद्धि की है। झारखण्ड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखण्ड के निर्माण के बाद इन क्षेत्रों में **आर्थिक विकास, बुनियादी ढाँचे और शासन की गुणवत्ता** में उल्लेखनीय सुधार हुआ। **"Small is Beautiful"** — शासन के संदर्भ में यह सिद्धान्त कार्य करता है।

4. सांस्कृतिक विविधता का संरक्षण और सम्वर्धन

क्षेत्रवाद ने **स्थानीय भाषाओं, कलाओं, साहित्य और परम्पराओं** को जीवित रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। **तमिल, बंगाली, मलयालम, मराठी** साहित्य और सिनेमा की समृद्धि क्षेत्रीय अस्मिता की ही देन है। यह विविधता भारत की **"Soft Power"** का आधार है।

संविधान की आठवीं अनुसूची में भाषाओं को स्थान देना और **साहित्य अकादेमी** द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं को पुरस्कृत करना इसी दिशा में राज्य का प्रयास है।

5. राजनीतिक भागीदारी और लोकतंत्र की जड़ें

क्षेत्रीय दलों ने **स्थानीय जनता की राजनीतिक भागीदारी** को बढ़ाया है। DMK, AIADMK, TRS (अब BRS), TMC, BJD, SAD — ये दल स्थानीय मुद्दों को केन्द्रीय राजनीति में लाते हैं। इससे **भारतीय लोकतंत्र अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण और बहुलतावादी** बना है।

1967 के चुनाव जब कई राज्यों में कांग्रेस की पराजय हुई — वह क्षेतत्रवाद की लोकतांत्रिक शक्ति का पहला प्रदर्शन था।

Kredoz IAS

6. आर्थिक प्रतिस्पर्धा और विकास का इंजन

राज्यों के बीच **निवेश आकर्षित करने की प्रतिस्पर्धा** — "Competitive Federalism" — ने विकास को गति दी है। गुजरात का **"Vibrant Gujarat Summit"**, तेलंगाना का **"Global Investors' Summit"**, तमिलनाडु की **औद्योगिक नीतियाँ** — ये सब क्षेत्रीय महत्त्वाकांक्षा के सकारात्मक परिणाम हैं।

NITI आयोग का "Aspirational Districts Programme" भी इसी प्रतिस्पर्धी संघवाद की भावना से प्रेरित है।

7. पूर्वोत्तर का रूपान्तरण — नकारात्मक से सकारात्मक

"Act East Policy" के अन्तर्गत पूर्वोत्तर भारत को **दक्षिण-पूर्व एशिया से जोड़ने का प्रयास** हो रहा है। यहाँ का क्षेत्रवाद, जो कभी अलगाववाद का रूप लेता था, अब **आर्थिक विकास और सांस्कृतिक कूटनीति** का अवसर बन रहा है। **मिज़ोरम, सिक्किम, मेघालय** में शान्ति और विकास का नया अध्याय लिखा जा रहा है।

आलोचनात्मक मूल्यांकन

क्षेत्रवाद और राष्ट्रवाद — अनिवार्य विरोध नहीं

यह मानना गलत है कि **क्षेत्रीय पहचान और राष्ट्रीय पहचान परस्पर विरोधी** हैं। एक व्यक्ति एक साथ **"तमिल भी हो सकता है और भारतीय भी"** — ये पहचानें एक-दूसरे की पूरक हैं। **रवीन्द्रनाथ ठाकुर** बंगाल की आत्मा थे और भारत के सबसे बड़े राष्ट्रवादी भी।

क्षेत्रवाद की सीमाएँ

जब क्षेत्रवाद **हिंसा, अलगाववाद और बाहरी शक्तियों का उपकरण** बनता है, तब वह लोकतंत्र विरोधी हो जाता है। पाकिस्तान और चीन द्वारा भारत के क्षेत्रीय असंतोष का **भू-राजनीतिक शोषण** एक वास्तविक खतरा है।

संस्थागत प्रतिक्रिया की सफलता

भारतीय राज्य ने क्षेत्रवाद से निपटने में **संस्थागत लचीलापन** दिखाया है — **अनुच्छेद 371** के विशेष प्रावधान, **स्वायत्त जिला परिषदें (छठी अनुसूची)**, **भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए आयुक्त** — ये सब इसी लचीलेपन के प्रमाण हैं।

निष्कर्ष

आधुनिक भारत में क्षेत्रवाद न तो सर्वथा शत्रु है, न सर्वथा मित्र। यह **एक वास्तविकता है जिसे न तो नकारा जा सकता है, न उपेक्षित किया जा सकता है।** आवश्यकता है कि इसे **"प्रबन्धित विविधता" (Managed Diversity)** के दृष्टिकोण से देखा जाए।

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा था — *"हमें एक राष्ट्र होना है — और उसके लिए हमें अपनी विविधताओं को शक्ति बनाना होगा, कमज़ोरी नहीं।"* यही क्षेत्रवाद के प्रति सही दृष्टिकोण है।

सहकारी संघवाद, सांस्कृतिक बहुलवाद, समावेशी आर्थिक विकास और संवैधानिक संस्थाओं की मज़बूती — इन चार स्तम्भों पर खड़ा भारत क्षेत्रवाद को चुनौती से अवसर में बदलने में सक्षम है। **"अनेकता में एकता"** केवल नारा नहीं, भारतीय लोकतंत्र की जीवनीशक्ति है।

Q7. भारत में हिमनदों की प्रकृति में विभिन्नताओं की समीक्षा कीजिये। Examine the variations in nature of glaciers in India.

परिचय | Introduction

भारत विश्व के तीसरे सबसे बड़े हिमनद भंडार का घर है — आर्कटिक और अंटार्कटिका के बाद। देश में लगभग 9,500 से अधिक हिमनद हैं, जो मुख्यतः हिमालय, काराकोरम और जास्कर श्रेणियों में फैले हैं। इनकी प्रकृति, आकार, गति और व्यवहार में व्यापक भिन्नताएँ पाई जाती हैं।

1. भौगोलिक वितरण के आधार पर विभिन्नताएँ | Variations Based on Geographic Distribution

क) पश्चिमी हिमालय (काराकोरम व लद्दाख)

काराकोरम के हिमनद भारत के सबसे विशाल हिमनद हैं। सियाचिन हिमनद (76 किमी) ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर विश्व का सबसे लंबा हिमनद है। बाल्टोरो, बियाफो और हिस्पर हिमनद भी यहीं स्थित हैं। इस क्षेत्र की विशेषता यह है कि ये हिमनद अपेक्षाकृत स्थिर हैं या कुछ मामलों में आगे बढ़ रहे हैं — इसे **"काराकोरम विसंगति" (Karakoram Anomaly)** कहते हैं।

ख) मध्य हिमालय (हिमाचल प्रदेश)

बड़ा शिगड़ी, चंद्रा, पार्वती और कुल्टी हिमनद यहाँ पाए जाते हैं। ये हिमनद आकार में मध्यम और मानसून तथा पश्चिमी विक्षोभ दोनों से प्रभावित होते हैं।

ग) उत्तराखंड (गढ़वाल-कुमाऊँ हिमालय)

गंगोत्री (30 किमी), जोहड़ी, मिलम, पिंडारी और खतलिंग प्रमुख हिमनद हैं। गंगोत्री हिमनद गंगा नदी का उद्गम है। ये हिमनद तेजी से पिघल रहे हैं और सबसे अधिक मानवीय दबाव में हैं।

घ) सिक्किम व अरुणाचल प्रदेश

जेमू (26 किमी) और कंचनजंघा हिमनद पूर्वी हिमालय में स्थित हैं। ये हिमनद अधिक वर्षा और आर्द्रता के कारण पश्चिमी हिमालय के हिमनदों से भिन्न प्रकृति के होते हैं।

2. प्रकार के आधार पर विभिन्नताएँ | Variations Based on Type

प्रकार	उदाहरण	विशेषता
घाटी हिमनद (Valley Glacier)	गंगोत्री, सियाचिन	घाटियों में बहते हैं, सर्वाधिक सामान्य
सर्क हिमनद (Cirque Glacier)	पिंडारी	कटोरेनुमा गर्त में जमे, छोटे आकार
पीडमॉन्ट हिमनद (Piedmont Glacier)	काराकोरम के कुछ भाग	पर्वत के आधार पर फैले हुए
लटकते हिमनद (Hanging Glacier)	नंदा देवी क्षेत्र	खड़ी ढलानों पर अस्थिर स्थिति
जमे हुए हिमनद (Surge-type)	काराकोरम के कुछ	अचानक तेज गति से खिसकते हैं

3. आहार-स्रोत के आधार पर विभिन्नताएँ | Variations Based on Regime / Feeding Source

क) शीतकालीन संचय वाले हिमनद (Winter-Fed / Western Disturbance Fed)

लद्दाख और काराकोरम के हिमनद मुख्यतः पश्चिमी विक्षोभों से प्राप्त शीतकालीन हिमपात से पोषित होते हैं। इन्हें **"शीत-पोषित हिमनद"** कहते हैं। ये अपेक्षाकृत स्थिर हैं क्योंकि मानसून इन तक कम पहुँचता है।

ख) मानसूनी संचय वाले हिमनद (Monsoon-Fed)

उत्तराखंड और हिमाचल के हिमनद मानसूनी वर्षा व हिमपात दोनों से पोषित होते हैं। इन पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव अधिक है और ये तेजी से घट रहे हैं।

4. गतिशीलता के आधार पर विभिन्नताएँ | Variations Based on Dynamics & Movement

काराकोरम विसंगति (Karakoram Anomaly) एक महत्वपूर्ण घटना है — जब शेष हिमालय के हिमनद सिकुड़ रहे हैं, काराकोरम के कुछ हिमनद स्थिर हैं या बढ़ रहे हैं। इसका कारण पश्चिमी विक्षोभों से बढ़ी हुई शीतकालीन वर्षा माना जाता है।

इसके विपरीत, **गंगोत्री हिमनद** 1780 से अब तक लगभग 22 किमी पीछे हट चुका है और वर्तमान में प्रतिवर्ष 20–22 मीटर की दर से सिकुड़ रहा है।

सर्ज-प्रकार के हिमनद (जैसे काराकोरम के कुछ) अचानक असामान्य रूप से तेज गति (सामान्य से 10–100 गुना) से खिसकते हैं — यह एक अलग भौतिक प्रक्रिया है।

5. हिमनद झीलों के निर्माण में विभिन्नताएँ | Glacial Lakes & GLOF Risk

हिमनदों के पिघलने से निर्मित **हिमनद झीलें (Proglacial Lakes)** सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल में विशेष रूप से देखी जाती हैं। **South Lhonak झील** (सिक्किम) का 2023 में विस्फोट GLOF (Glacial Lake Outburst Flood) का हालिया उदाहरण है। काराकोरम में ऐसी झीलों का निर्माण कम होता है।

6. जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता में विभिन्नताएँ | Differential Sensitivity to Climate Change

क्षेत्र	प्रवृत्ति	कारण
उत्तराखंड	तेज पीछेहटाव	मानसून निर्भरता, कम ऊँचाई
हिमाचल	मध्यम पीछेहटाव	मिश्रित पोषण
सिक्किम/पूर्वी हिमालय	तीव्र ह्रास	उच्च आर्द्रता, तापमान वृद्धि
काराकोरम	अपेक्षाकृत स्थिर/वृद्धि	पश्चिमी विक्षोभ, उच्च ऊँचाई

निष्कर्ष | Conclusion

भारत के हिमनदों की प्रकृति में यह विभिन्नता — भौगोलिक स्थिति, आहार-स्रोत, प्रकार, गतिशीलता और जलवायु प्रतिक्रिया के संदर्भ में — इन्हें एक समान नीति से नहीं समझा जा सकता। **"एशिया के जल मीनार" (Third Pole / Water Towers of Asia)** कहलाने वाले ये हिमनद करोड़ों लोगों की जल आपूर्ति, कृषि और ऊर्जा के आधार हैं। इनके वैज्ञानिक अध्ययन, संरक्षण और GLOF-जोखिम प्रबंधन की दिशा में क्षेत्रीय विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए नीतियाँ बनाना आवश्यक है।

Q8. भारत में मैंग्रोव और प्रवाल भित्ति समुद्री संसाधन प्रबन्धन में किस प्रकार योगदान प्रदान करते हैं? How do India's mangroves and corals reefs contribute to marine resource management?

परिचय | Introduction

भारत की 7,516 किमी लंबी तटरेखा पर मैंग्रोव वन और प्रवाल भित्तियाँ दो सर्वाधिक जैव-विविध और पारिस्थितिक रूप से महत्त्वपूर्ण समुद्री पारितंत्र हैं। ये न केवल जैव-विविधता के केंद्र हैं, बल्कि **समुद्री संसाधन प्रबन्धन** के अपरिहार्य स्तम्भ भी हैं। इन्हें क्रमशः **"समुद्र के फेफड़े"** और **"समुद्र के वर्षावन"** कहा जाता है।

भाग I: मैंग्रोव | Part I: Mangroves

वितरण | Distribution

भारत में कुल मैंग्रोव क्षेत्र लगभग **4,992 वर्ग किमी** है (FSI 2021)। प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

क्षेत्र	विशेषता
सुंदरबन (पश्चिम बंगाल)	विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव, UNESCO विरासत
भितरकनिका (ओडिशा)	द्वितीय सबसे बड़ा, रामसर स्थल
कच्छ की खाड़ी (गुजरात)	शुष्क क्षेत्र में विशिष्ट मैंग्रोव
अंडमान-निकोबार	सर्वाधिक विविध प्रजातियाँ
पिचावरम (तमिलनाडु)	नहर-नेटवर्क युक्त
गोदावरी-कृष्णा डेल्टा (आंध्र प्रदेश)	विस्तृत डेल्टाई मैंग्रोव

समुद्री संसाधन प्रबन्धन में योगदान | Contribution to Marine Resource Management

1. मत्स्य संसाधन प्रबन्धन (Fisheries Resource Management)

मैंग्रोव की जड़ें असंख्य मछलियों, झींगों और केकड़ों के लिए **नर्सरी आवास** प्रदान करती हैं। अनुमानतः भारत के उष्णकटिबंधीय तटीय मत्स्य उत्पादन का **80% भाग** मैंग्रोव पारितंत्र पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्भर है। पिचावरम और भितरकनिका में मैंग्रोव-आधारित मत्स्य पालन लाखों मछुआरों की आजीविका का आधार है।

2. तटीय संरक्षण एवं आपदा न्यूनीकरण (Coastal Protection & Disaster Mitigation)

मैंग्रोव की सघन जड़ प्रणाली तरंग ऊर्जा को **70-90% तक** अवशोषित करती है। 2004 की सुनामी में पिचावरम और भितरकनिका के मैंग्रोव वाले क्षेत्रों में मैंग्रोव-रहित क्षेत्रों की तुलना में कहीं कम क्षति हुई। इसीलिए मैंग्रोव को **"जैविक तटबंध" (Bio-shield)** कहा जाता है। यह तटीय अपरदन को रोककर मत्स्य पालन क्षेत्रों और बंदरगाहों की सुरक्षा करता है।

3. कार्बन पृथक्करण और जलवायु विनियमन (Blue Carbon Sequestration)

मैंग्रोव **"ब्लू कार्बन"** के सर्वाधिक प्रभावी स्रोतों में से एक हैं। ये सामान्य स्थलीय वनों की तुलना में प्रति हेक्टेयर **3-5 गुना अधिक कार्बन** संग्रहीत करते हैं। यह जलवायु स्थिरता बनाए रखकर समुद्री पारितंत्र की दीर्घकालिक उत्पादकता सुनिश्चित करता है।

4. जल गुणवत्ता और पोषक तत्व प्रबन्धन (Water Quality Management)

मैंग्रोव प्राकृतिक **जैव-फिल्टर** की भूमिका निभाते हैं — कृषि व उद्योग से आने वाले प्रदूषकों, नाइट्रेट और फॉस्फेट को अवशोषित करते हैं। इससे तटीय जल की गुणवत्ता बनी रहती है, जो मत्स्य एवं शैवाल संसाधनों के लिए आवश्यक है।

5. जैव-विविधता संरक्षण (Biodiversity Conservation)

सुंदरबन मैंग्रोव रॉयल बंगाल टाइगर, इरावदी डॉल्फिन, खारे पानी के मगरमच्छ और अनेक प्रवासी पक्षियों का आवास है। यह जैव-विविधता पारितंत्र की स्थिरता और पारिस्थितिक पर्यटन के माध्यम से समुद्री संसाधन अर्थव्यवस्था को सहारा देती है।

6. तलछट नियंत्रण एवं डेल्टा स्थिरता (Sediment Trapping & Delta Stability)

मैंग्रोव की जड़ें तलछट को पकड़कर डेल्टाओं को स्थिर रखती हैं, जिससे नदियों के मुहाने पर मत्स्य पालन और नेविगेशन संभव होता है।

भाग II: प्रवाल भित्तियाँ | Part II: Coral Reefs

वितरण | Distribution

भारत में प्रवाल भित्तियाँ मुख्यतः चार क्षेत्रों में पाई जाती हैं:

क्षेत्र	प्रकार	विशेषता
अंडमान-निकोबार	फ्रिंजिंग व बैरियर रीफ	सर्वाधिक विविध, 572+ प्रजातियाँ
लक्षद्वीप	एटोल रीफ	भारत का एकमात्र एटोल, अत्यंत नाजुक
कच्छ की खाड़ी	फ्रिंजिंग रीफ	मानवीय दबाव में
मन्नार की खाड़ी	फ्रिंजिंग रीफ	रामसर स्थल, जैवमंडल आरक्षित

समुद्री संसाधन प्रबन्धन में योगदान | Contribution to Marine Resource Management

1. मत्स्य उत्पादन एवं पोषण आधार (Fisheries Productivity)

प्रवाल भित्तियाँ विश्व के समुद्री क्षेत्र के मात्र 1% भाग को आच्छादित करती हैं किंतु **25% से अधिक समुद्री प्रजातियों** को आवास देती हैं। भारत में लक्षद्वीप और मन्नार की खाड़ी के मछुआरे अपनी आजीविका के लिए पूर्णतः प्रवाल भित्ति मत्स्य पालन पर निर्भर हैं। ट्यूना, स्नैपर, ग्रूपर जैसी उच्च-मूल्य मछलियाँ इन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती हैं।

2. तटीय सुरक्षा एवं लहर-अवरोध (Wave Attenuation & Shoreline Protection)

प्रवाल भित्तियाँ प्राकृतिक **समुद्री दीवार** की भाँति कार्य करती हैं — लहरों की ऊर्जा को **97% तक** कम करने में सक्षम। लक्षद्वीप और अंडमान के द्वीप इन्हीं के कारण चक्रवातों और सुनामी से सुरक्षित रहते हैं। इससे तटीय आधारभूत संरचना, बंदरगाह और मत्स्य केंद्र सुरक्षित रहते हैं।

3. पर्यटन व नीली अर्थव्यवस्था (Blue Economy & Eco-tourism)

अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप की प्रवाल भित्तियाँ **स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग और ग्लास-बॉटम बोट** पर्यटन के माध्यम से करोड़ों रुपये की आय अर्जित करती हैं। यह **"नीली अर्थव्यवस्था"** का प्रमुख घटक है और स्थानीय समुदायों को मत्स्य पालन के वैकल्पिक आजीविका विकल्प उपलब्ध कराती है।

4. जैव-रासायनिक संसाधन एवं औषधि विज्ञान (Biopharmaceutical Resources)

प्रवाल भित्तियों में पाए जाने वाले समुद्री जीव — स्पंज, मोलस्क, एकिनोडर्म — कैंसर-रोधी, एंटी-बायोटिक और एंटी-वायरल दवाइयों के स्रोत हैं। **Ziconotide** (दर्द-निवारक) और **Ara-C** (कैंसर-रोधी) जैसी दवाएँ प्रवाल पारितंत्र से प्राप्त जीवों से विकसित हुई हैं। यह भविष्य के **नीले जैव-प्रौद्योगिकी** क्षेत्र का आधार है।

5. पोषक तत्व चक्रण एवं समुद्री उत्पादकता (Nutrient Cycling)

प्रवाल भित्तियाँ नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के चक्रण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जिससे आसपास के खुले समुद्र में प्लैंकटन उत्पादकता बढ़ती है — यह मत्स्य खाद्य-श्रृंखला का आधार है।

6. जलवायु अभिलेख एवं वैज्ञानिक प्रबन्धन (Paleoclimate Record)

प्रवाल कंकाल हजारों वर्षों के **जलवायु डेटा** संग्रहीत करते हैं। इनके अध्ययन से समुद्री तापमान, pH परिवर्तन और El Niño चक्रों की जानकारी मिलती है — जो दीर्घकालिक समुद्री संसाधन नियोजन में सहायक है।

भाग III: संकट एवं प्रबन्धन नीतियाँ | Part III: Threats & Management Policies

प्रमुख संकट | Major Threats

मैंग्रोव के लिए: झींगा पालन (aquaculture) हेतु वनों की कटाई, तटीय निर्माण, प्रदूषण और समुद्र-स्तर में वृद्धि।

प्रवाल भित्तियों के लिए: प्रवाल विरंजन (Coral Bleaching) — 1998, 2010 और 2016 में व्यापक विरंजन घटनाएँ; महासागरीय अम्लीकरण, अत्यधिक मत्स्य आखेट और पर्यटन।

प्रमुख प्रबन्धन नीतियाँ | Key Management Policies

कानूनी ढाँचा: तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना (CRZ 2019) मैंग्रोव को "No Development Zone" घोषित करती है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत प्रवाल भित्तियाँ संरक्षित हैं।

संरक्षित क्षेत्र: मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गाँधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान (अंडमान), और कच्छ की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान।

पुनर्स्थापन कार्यक्रम: ओडिशा, आंध्र प्रदेश और गुजरात में मैंग्रोव पुनर्रोपण अभियान। **CAMPA** (Compensatory Afforestation) कोष से मैंग्रोव पुनर्स्थापन।

समुदाय-आधारित प्रबन्धन: पिचावरम (तमिलनाडु) और पिछवरम में मछुआरा समुदायों द्वारा **Joint Forest Management**।

निष्कर्ष | Conclusion

मैंग्रोव और प्रवाल भित्तियाँ भारत के समुद्री संसाधन प्रबन्धन की **"दोहरी ढाल"** हैं — एक ओर मत्स्य उत्पादकता, जैव-विविधता और आजीविका सुरक्षा, दूसरी ओर तटीय आपदा न्यूनीकरण और जलवायु अनुकूलन। इनका संरक्षण केवल पर्यावरणीय दायित्व नहीं, बल्कि **नीली अर्थव्यवस्था और तटीय सामुदायिक सुरक्षा** की अनिवार्य शर्त है। **"Mangroves for the Future"** और **IUCN** जैसी अंतर्राष्ट्रीय पहलों के साथ समन्वय करते हुए भारत को इनके एकीकृत, विज्ञान-आधारित और सहभागी प्रबन्धन की दिशा में आगे बढ़ना होगा।

Q9. चीन–भारत सीमा विवाद के उद्भव, विस्तार और निहितार्थ का परीक्षण कीजिये। Examine the origin, dimensions and implications of Sino-Indian border dispute.

परिचय | Introduction

भारत-चीन सीमा विवाद विश्व के सर्वाधिक जटिल, दीर्घकालिक और भू-राजनीतिक दृष्टि से संवेदनशील द्विपक्षीय विवादों में से एक है। लगभग **3,488 किमी लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC)** पर दोनों देशों के बीच न तो कोई स्पष्ट सीमांकन है, न ही सीमा का कोई औपचारिक समझौता। 1962 के युद्ध से लेकर 2020 के गलवान संघर्ष तक यह विवाद क्षेत्रीय स्थिरता, एशियाई शक्ति-संतुलन और वैश्विक भू-राजनीति को गहराई से प्रभावित करता रहा है।

भाग I: उद्भव | Part I: Origin of the Dispute

1. औपनिवेशिक विरासत और अस्पष्ट सीमाएँ (Colonial Legacy & Undefined Boundaries)

भारत-चीन सीमा विवाद की जड़ें ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में हैं। ब्रिटिश भारत ने दो प्रमुख रेखाएँ निर्धारित कीं जो आज भी विवाद का केंद्र हैं:

क) मैकमोहन रेखा (McMahon Line, 1914) 1914 के **शिमला सम्मेलन** में ब्रिटिश भारत और तिब्बत के प्रतिनिधियों के बीच खींची गई यह रेखा पूर्वी क्षेत्र में भारत-चीन सीमा निर्धारित करती है। भारत इसे वैध अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानता है, जबकि चीन इसे **"ब्रिटिश साम्राज्यवाद की उपज"** कहकर अस्वीकार करता है, क्योंकि चीन ने इस सम्मेलन पर हस्ताक्षर नहीं किए थे।

ख) जॉनसन रेखा और मैकार्टनी-मैकडोनाल्ड रेखा (पश्चिमी क्षेत्र) पश्चिमी क्षेत्र (लद्दाख) में 1865 की **जॉनसन रेखा** अक्साई चिन को भारत में दिखाती है, जबकि 1899 की **मैकार्टनी-मैकडोनाल्ड रेखा** इसे चीन को देती है। इस अस्पष्टता का चीन ने पूरा लाभ उठाया।

2. तिब्बत का विलय और भू-राजनीतिक परिवर्तन (Tibet's Annexation, 1950)

1950 में चीन द्वारा तिब्बत के विलय ने भारत-चीन के बीच **सीधी सीमा** स्थापित कर दी। इससे पहले तिब्बत एक **बफर राज्य** की भूमिका निभाता था। **1954 का पंचशील समझौता** ("Hindi-Chini Bhai-Bhai") भारत की उस नीति का प्रतिबिम्ब था जिसमें नेहरू ने तिब्बत पर चीनी संप्रभुता स्वीकार की, किंतु सीमा प्रश्न अनसुलझा रहा।

3. अक्साई चिन राजमार्ग विवाद (Aksai Chin Road, 1957-58)

1957-58 में चीन ने **भारतीय दावे वाले अक्साई चिन** से होते हुए तिब्बत को शिनजियांग से जोड़ने वाला राजमार्ग (G219) बना लिया — और भारत को इसकी जानकारी 1958 तक नहीं हुई। यह घटना विवाद के **प्रत्यक्ष उद्भव** का प्रमुख कारण बनी।

4. 1962 का युद्ध (Sino-Indian War, 1962)

20 अक्टूबर 1962 को चीन ने एक साथ पूर्वी और पश्चिमी दोनों क्षेत्रों में आक्रमण किया। भारत की करारी पराजय हुई। चीन ने **21 नवम्बर 1962** को एकतरफा युद्धविराम घोषित कर अपनी वर्तमान स्थिति बनाए रखी। इस युद्ध ने **LAC (वास्तविक नियंत्रण रेखा)** की अवधारणा को जन्म दिया, किंतु इसका कभी औपचारिक सीमांकन नहीं हुआ।

भाग II: विस्तार / आयाम | Part II: Dimensions of the Dispute

भौगोलिक आयाम | Geographic Dimensions

विवाद तीन क्षेत्रों में विभाजित है:

क) पश्चिमी क्षेत्र — अक्साई चिन

यह लगभग **38,000 वर्ग किमी** का क्षेत्र है जिस पर चीन का वास्तविक नियंत्रण है किंतु भारत इसे **लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश** का अंग मानता है। चीन के लिए यह रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्त्वपूर्ण है क्योंकि G219 राजमार्ग इसी से गुजरता है जो शिनजियांग और तिब्बत को जोड़ता है।

ख) मध्य क्षेत्र — हिमाचल और उत्तराखंड

यह सबसे कम विवादित क्षेत्र है — लगभग **2,000 वर्ग किमी** में छुटपुट दावे हैं। बारहोती (उत्तराखंड) और स्पीति (हिमाचल) में कुछ स्थानीय अतिक्रमण की घटनाएँ होती रही हैं।

ग) पूर्वी क्षेत्र — अरुणाचल प्रदेश

चीन **90,000 वर्ग किमी** के अरुणाचल प्रदेश पर दावा करता है, इसे **"दक्षिण तिब्बत" (Zangnan)** कहता है। तवांग पर चीन का दावा विशेष रूप से आक्रामक है क्योंकि यह छठे दलाई लामा की जन्मस्थली है और तिब्बती बौद्ध धर्म के लिए धार्मिक महत्त्व रखता है।

प्रमुख टकराव बिन्दु और घटनाएँ | Key Flashpoints & Incidents

वर्ष	घटना	क्षेत्र	महत्त्व

1967	नाथू ला और चो ला संघर्ष	सिक्किम	भारत की प्रभावी प्रतिक्रिया
1987	सुमदोरोंग चू विवाद	अरुणाचल	युद्ध की कगार तक पहुँचे
2017	डोकलाम गतिरोध	भूटान-चीन-भारत त्रिसंधि	73 दिन का सैन्य गतिरोध
2020	गलवान घाटी संघर्ष	लद्दाख	45 वर्षों में पहली बार सैनिकों की मृत्यु
2022	तवांग झड़प	अरुणाचल	LAC पर पुनः तनाव

गलवान घाटी (जून 2020) विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है — 15-16 जून 2020 की रात हाथापाई में 20 भारतीय और अनुमानतः 40+ चीनी सैनिक मारे गए। यह 1967 के बाद पहली बार था जब सीमा पर सैनिक शहीद हुए।

रणनीतिक-सैन्य आयाम | Strategic-Military Dimensions

चीन की "सलामी स्लाइसिंग" रणनीति: चीन छोटे-छोटे भूभाग पर धीरे-धीरे कब्जा करता है — एक बड़े अतिक्रमण की बजाय अनेक छोटे अतिक्रमणों के माध्यम से यथास्थिति को बदलता है। देपसांग, हॉट स्प्रिंग्स, पैंगोंग झील क्षेत्र इसके उदाहरण हैं।

आधारभूत संरचना प्रतिस्पर्धा: चीन तिब्बत में सड़कें, रेलवे और हवाईअड्डे बनाकर सैन्य तैनाती क्षमता बढ़ा रहा है। भारत भी **BRO (Border Roads Organisation)** के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों में ऐतिहासिक बुनियादी ढाँचे की कमी को तेजी से पूरा कर रहा है — अटल सुरंग, डरबुक-श्योक-दौलत बेग ओल्डी मार्ग इसके उदाहरण हैं।

परमाणु आयाम: दोनों देश परमाणु शक्ति-संपन्न हैं। चीन ने पाकिस्तान को परमाणु तकनीक हस्तांतरित की है, जिससे भारत दो मोर्चों — पाकिस्तान और चीन — के परमाणु खतरे का सामना करता है।

कूटनीतिक आयाम | Diplomatic Dimensions

द्विपक्षीय वार्ता तंत्र: 1988 से अब तक 18+ दौर की विशेष प्रतिनिधि वार्ता हुई है। **1993, 1996, 2005** के शांति समझौते LAC पर यथास्थिति और सैन्य संयम के लिए बाध्यकारी माने जाते हैं। 2020 के गलवान संघर्ष के बाद **कोर कमांडर स्तर की वार्ताओं** के 21 से अधिक दौर हुए।

बहुपक्षीय मंचों पर विरोधाभास: भारत और चीन एक साथ **SCO, BRICS, G-20** के सदस्य हैं, किंतु द्विपक्षीय तनाव इन मंचों की प्रभावशीलता को सीमित करता है।

भाग III: निहितार्थ | Part III: Implications

1. भारत की सुरक्षा और रणनीतिक निहितार्थ (Security Implications for India)

भारत **दो मोर्चों के युद्ध** (Two-Front War) की चुनौती का सामना करता है — चीन और पाकिस्तान के बीच गहरे रणनीतिक सहयोग के कारण। **CPEC (China-Pakistan Economic Corridor)** पाक-अधिकृत कश्मीर से गुजरता है, जो भारत की संप्रभुता को प्रत्यक्ष चुनौती है। इसके जवाब में भारत ने **अग्निपथ योजना, आत्मनिर्भर भारत रक्षा** और **थिएटर कमांड** जैसे सुधार किए हैं।

2. आर्थिक निहितार्थ (Economic Implications)

गलवान के बाद भारत ने **59 चीनी ऐप्स** (TikTok, WeChat सहित) प्रतिबंधित किए। भारत ने FDI नीति बदलकर **सीमावर्ती देशों के निवेश के लिए सरकारी अनुमोदन** अनिवार्य किया। फिर भी भारत-चीन व्यापार 2022-23 में **136 अरब डॉलर** तक पहुँचा — जो दर्शाता है कि आर्थिक परस्पर-निर्भरता राजनीतिक तनाव से स्वतंत्र चलती है।

3. क्षेत्रीय और भू-राजनीतिक निहितार्थ (Regional & Geopolitical Implications)

QUAD का उद्भव: भारत-चीन तनाव ने भारत को **QUAD (भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया)** में अधिक सक्रिय भागीदारी की दिशा में प्रेरित किया। यह हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रभाव को सीमित करने का प्रमुख तंत्र बन रहा है।

भारत की "Act East" नीति: चीन की घेराबंदी का मुकाबला करने के लिए भारत ने आसियान, जापान, वियतनाम और दक्षिण कोरिया से संबंध गहरे किए।

भूटान और नेपाल पर प्रभाव: चीन ने भूटान के साथ सीधी सीमा वार्ता करके भारत के पारम्परिक प्रभाव क्षेत्र में सेंध लगाने का प्रयास किया है।

4. पर्यावरणीय और जल-संसाधन निहितार्थ (Water Resource Implications)

चीन **ब्रह्मपुत्र (यारलुंग त्सांगपो)** पर बड़े बाँध बना रहा है। भारत को **जल-युद्ध (Water War)** की आशंका है। तिब्बत के हिमनदों पर चीन का नियंत्रण भारत की **जल-सुरक्षा** के लिए दीर्घकालिक खतरा है।

5. घरेलू राजनीतिक निहितार्थ (Domestic Political Implications)

सीमा विवाद भारत में **राष्ट्रवादी राजनीति** को प्रभावित करता है। गलवान के बाद "आत्मनिर्भर भारत" और "वोकल फॉर लोकल" अभियान को जनसमर्थन मिला। चीन में भी "Wolf Warrior Diplomacy" सीमा विवाद से पोषित होती है।

हालिया घटनाक्रम | Recent Developments (2023-24)

2024 में भारत और चीन के बीच **देपसांग और देमचोक** में गश्त व्यवस्था को लेकर समझौता हुआ और LAC पर यथास्थिति आंशिक रूप से बहाल हुई। **BRICS शिखर सम्मेलन (कज़ान, 2024)** में मोदी-शी बैठक हुई जिसमें सीमा पर शांति बहाली की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई।

निष्कर्ष | Conclusion

भारत-चीन सीमा विवाद केवल भूभाग का प्रश्न नहीं है — यह दो उभरती महाशक्तियों के बीच **सभ्यतागत अहंकार, रणनीतिक प्रतिस्पर्धा और एशियाई नेतृत्व** की होड़ है। इस विवाद का समाधान न तो केवल सैन्य शक्ति से संभव है, न ही केवल कूटनीति से। आवश्यकता है **"3D रणनीति"** की — **Deterrence (प्रतिरोध), Dialogue (वार्ता) और Development (विकास)** — जो सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे के विकास, राजनयिक दबाव और बहुपक्षीय साझेदारी को एकीकृत करे। जैसा कि **S. Jaishankar** ने कहा है — *"भारत-चीन संबंध सामान्य नहीं हो सकते जब तक सीमा पर शांति नहीं होगी।"*

Q10. मानसून की उत्पत्ति के अभिनव सिद्धान्तों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये तथा मानसून पर एल-निनो के प्रभावों का विवेचन कीजिये। Examine critically the recent theories of the origin of monsoon and discuss the effects of El-nino on monsoon.

परिचय | Introduction

मानसून शब्द अरबी **"मौसिम"** से व्युत्पन्न है जिसका अर्थ है ऋतु। भारतीय उपमहाद्वीप की कृषि, जल-सुरक्षा और अर्थव्यवस्था का आधार मानसून है। मानसून की उत्पत्ति की व्याख्या सदियों से वैज्ञानिकों को चुनौती देती रही है। परम्परागत **थर्मल सिद्धान्त** से लेकर आधुनिक **जेट स्ट्रीम, ITCZ और वैश्विक परिसंचरण सिद्धान्तों** तक — यह यात्रा विज्ञान की प्रगति का प्रतिबिम्ब है।

भाग I: मानसून की उत्पत्ति के अभिनव सिद्धान्त

Part I: Recent/Modern Theories of Origin of Monsoon

1. जेट स्ट्रीम सिद्धान्त | Jet Stream Theory

(पी. कोटेश्वरम, 1950; फ्लोन, 1960)

यह सर्वाधिक स्वीकृत आधुनिक सिद्धान्त है।

मूल अवधारणा:

वायुमण्डल की **क्षोभसीमा (Tropopause)** के निकट अत्यंत तीव्र गति से बहने वाली वायुधाराओं को **जेट स्ट्रीम** कहते हैं। भारतीय मानसून में दो जेट स्ट्रीम निर्णायक भूमिका निभाती हैं:

क) उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम (Sub-tropical Westerly Jet Stream)

शीतकाल में यह जेट स्ट्रीम हिमालय के दक्षिण में लगभग **25°N** अक्षांश पर प्रवाहित होती है। इसकी उपस्थिति उत्तर-पश्चिम भारत में उच्च दाब बनाए रखती है जिससे शीतकालीन मानसून सक्रिय रहता है। ग्रीष्मकाल में सूर्य के उत्तरायण के साथ यह जेट स्ट्रीम **तिब्बत के उत्तर** में खिसक जाती है — और इसी के साथ भारत पर से उच्च दाब हट जाता है।

ख) उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम (Tropical Easterly Jet Stream)

जून में जब पश्चिमी जेट उत्तर में चली जाती है, तब **उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम** लगभग **15°N** पर भारत के ऊपर प्रवाहित होने लगती है। यह जेट **निम्न दाब** उत्पन्न करती है जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आर्द्र मानसूनी पवनों को भारत की ओर खींचती है। **केरल में मानसून का प्रस्फोट (Burst of Monsoon)** इसी पूर्वी जेट की स्थापना से जुड़ा है।

आलोचनात्मक मूल्यांकन:

सकारात्मक पक्ष यह है कि यह सिद्धान्त मानसून के **अचानक प्रस्फोट**, **वापसी** और **विराम (Break Monsoon)** की व्याख्या सफलतापूर्वक करता है। यह तिब्बत के पठार की भूमिका को स्पष्ट करता है। परन्तु सीमाएँ भी हैं — यह सिद्धान्त मानसून की **अन्तर-वार्षिक परिवर्तनशीलता** (कभी अधिक, कभी कम वर्षा) की पूर्ण व्याख्या नहीं कर पाता और ENSO जैसे वैश्विक कारकों को नजरअंदाज करता है।

2. तिब्बत के पठार का ऊष्मा इंजन सिद्धान्त | Tibetan Plateau as Heat Engine Theory

(फ्लोन, 1968; येह एवं वू, 1955)

मूल अवधारणा:

तिब्बत का पठार औसत ऊँचाई **4,500 मीटर** है। ग्रीष्मकाल में यह पठार अत्यधिक गर्म हो जाता है और **वायुमण्डल का ऊष्मा स्रोत (Heat Source)** बन जाता है। यह ऊष्मीय क्रिया दो स्तरों पर कार्य करती है — पठार की सतह **संवहन धाराएँ (Convective Currents)** उत्पन्न करती है जो ऊपरी वायुमण्डल में **प्रतिचक्रवात (Anticyclone)** बनाती हैं। यह प्रतिचक्रवात **पूर्वी जेट स्ट्रीम** को जन्म देता है जो मानसून को भारत की ओर खींचती है।

तिब्बत पठार की दोहरी भूमिका:

शीतकाल में तिब्बत **ऊष्मा अवशोषक (Heat Sink)** की भूमिका निभाता है — पश्चिमी जेट को दक्षिण में धकेलता है। ग्रीष्मकाल में यह **ऊष्मा स्रोत** बनता है — पश्चिमी जेट को उत्तर में धकेलकर पूर्वी जेट को स्थापित करता है।

आलोचनात्मक मूल्यांकन:

यह सिद्धान्त जेट स्ट्रीम सिद्धान्त का **पूरक** है और दोनों मिलकर मानसून की बेहतर व्याख्या करते हैं। परन्तु आलोचकों का कहना है कि तिब्बत की भूमिका **कारण नहीं, सहायक कारक** है — क्योंकि मानसून तिब्बत के अस्तित्व से पहले भी था (भूगर्भीय प्रमाण)।

3. अन्तःउष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र सिद्धान्त | ITCZ Theory

(Inter-Tropical Convergence Zone)

मूल अवधारणा:

ITCZ वह क्षेत्र है जहाँ उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों की **व्यापारिक पवनें (Trade Winds)** मिलती हैं। यह एक **निम्न दाब की पट्टी** है जो सूर्य की स्थिति के अनुसार उत्तर-दक्षिण खिसकती रहती है।

ग्रीष्मकाल में ITCZ **उत्तर की ओर** (20-25°N तक) खिसकती है। इससे दक्षिणी गोलार्ध की **दक्षिण-पूर्व व्यापारिक पवनें** भूमध्य रेखा पार करके **दक्षिण-पश्चिम मानसूनी पवनों** में बदल जाती हैं। यही पवनें भारत में वर्षा का कारण बनती हैं।

आलोचनात्मक मूल्यांकन:

सकारात्मक पक्ष — यह सिद्धान्त **वैश्विक परिसंचरण** के संदर्भ में मानसून को समझाता है और दक्षिणी गोलार्ध की पवनों की भूमिका स्पष्ट करता है। सीमाएँ — ITCZ की स्थिति सदैव मानसून वर्षा से मेल नहीं खाती। **विराम मानसून (Break Monsoon)** की व्याख्या इस सिद्धान्त से नहीं होती।

4. एल-निनो/ENSO आधारित वैश्विक परिसंचरण सिद्धान्त | ENSO-Based Global Circulation Theory

(Walker Circulation; Bjerknes, 1969)

मूल अवधारणा:

वॉकर सर्कुलेशन प्रशांत महासागर के ऊपर पूर्व-पश्चिम दिशा में चलने वाला वायुमण्डलीय परिसंचरण है। सामान्य स्थिति में पश्चिमी प्रशांत (इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया) में **निम्न दाब** और पूर्वी प्रशांत (पेरू तट) में **उच्च दाब** रहता है। यह परिसंचरण भारतीय मानसून को **अप्रत्यक्ष रूप से** प्रभावित करता है। एल-निनो वर्षों में यह परिसंचरण कमजोर पड़ता है जिससे भारतीय मानसून भी कमजोर होता है।

5. समुद्री तापमान एवं मानसून सिद्धान्त | Sea Surface Temperature (SST) Theory

(आधुनिक जलवायु मॉडल)

आधुनिक शोध ने दर्शाया है कि **हिन्द महासागर का SST** मानसून की तीव्रता का प्रमुख निर्धारक है। **Indian Ocean Dipole (IOD)** — जब पश्चिमी हिन्द महासागर पूर्वी भाग से अधिक गर्म होता है (Positive IOD), तो भारत में **सामान्य या अधिक वर्षा** होती है। **नकारात्मक IOD** मानसून को कमजोर करता है।

आलोचनात्मक मूल्यांकन:

यह सिद्धान्त **अन्तर-वार्षिक परिवर्तनशीलता** की सर्वोत्तम व्याख्या करता है। IMD अब SST और IOD डेटा का उपयोग **मानसून पूर्वानुमान** में करता है। परन्तु SST स्वयं अनेक कारकों से प्रभावित होता है — यह सिद्धान्त **कारण-श्रृंखला** को पूरी तरह नहीं समझाता।

सिद्धान्तों का तुलनात्मक मूल्यांकन | Comparative Assessment

सिद्धान्त	व्याख्या की शक्ति	सीमाएँ
जेट स्ट्रीम	मानसून प्रस्फोट, विराम	अन्तर-वार्षिक परिवर्तन नहीं
तिब्बत ऊष्मा इंजन	तंत्र की भूमिका	कारण नहीं, सहायक
ITCZ	वैश्विक परिसंचरण	विराम मानसून अस्पष्ट
ENSO/वॉकर	वैश्विक सहसंबंध	जटिल, अप्रत्यक्ष
SST/IOD	पूर्वानुमान में उपयोगी	पूर्ण कारण-श्रृंखला नहीं

वस्तुतः **कोई एकल सिद्धान्त** मानसून की सम्पूर्ण व्याख्या करने में सक्षम नहीं है। आधुनिक विज्ञान **बहुकारकीय दृष्टिकोण (Multi-causal Approach)** अपनाता है जिसमें जेट स्ट्रीम + तिब्बत + ITCZ + ENSO + SST सभी मिलकर मानसून की व्याख्या करते हैं।

भाग II: एल-निनो और मानसून

Part II: El-Niño and Its Effects on Monsoon

एल-निनो क्या है? | What is El-Niño?

एल-निनो (स्पेनिश — "The Child/Christ Child") एक **समुद्री-वायुमण्डलीय घटना** है जिसमें मध्य और पूर्वी भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में **समुद्री सतह का तापमान (SST) असामान्य रूप से बढ़ जाता** है।

सामान्य स्थिति बनाम एल-निनो:

सामान्य स्थिति में व्यापारिक पवनें पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, गर्म जल पश्चिमी प्रशांत में एकत्र होता है, पेरू तट पर ठंडा जल ऊपर आता है (Upwelling), और वॉकर सर्कुलेशन सक्रिय रहता है।

एल-निनो में व्यापारिक पवनें कमजोर पड़ती हैं, गर्म जल पूर्वी प्रशांत की ओर फैलता है, पेरू तट पर **Upwelling** रुकती है, और वॉकर सर्कुलेशन उलट जाता है।

ENSO चक्र | ENSO Cycle

ENSO = El-Niño Southern Oscillation

दक्षिणी दोलन (Southern Oscillation): प्रशांत और हिन्द महासागर के ऊपर वायुदाब में होने वाला **आवधिक उतार-चढ़ाव** है। इसे **SOI (Southern Oscillation Index)** से मापते हैं — ताहिती और डार्विन के बीच वायुदाब अंतर।

अवस्था	SOI	प्रशांत SST	भारतीय मानसून
एल-निनो	ऋणात्मक	सामान्य से अधिक	कमजोर/सूखा
ला-निना	धनात्मक	सामान्य से कम	सामान्य/अधिक
तटस्थ	शून्य के निकट	सामान्य	सामान्य

एल-निनो के भारतीय मानसून पर प्रभाव | Effects of El-Niño on Indian Monsoon

1. वर्षा में कमी और सूखा (Reduction in Rainfall & Drought)

एल-निनो वर्षों में भारत में **सामान्य से कम वर्षा** होती है। ऐतिहासिक डेटा दर्शाता है कि 1877, 1899, 1918, 1972, 1987, 2002, 2009, 2015 के **प्रमुख सूखे** एल-निनो वर्षों से जुड़े हैं। IMD के अनुसार लगभग **60% एल-निनो वर्ष** भारत में सामान्य से कम वर्षा लाते हैं।

तंत्र: एल-निनो → वॉकर सर्कुलेशन कमजोर → हिन्द महासागर पर अवतलन (Subsidence) → मानसूनी पवनें कमजोर → कम वर्षा।

2. मानसून के आगमन में विलम्ब (Delayed Onset of Monsoon)

एल-निनो वर्षों में मानसून का **केरल में सामान्य तिथि (1 जून) से देरी** से आगमन होता है। 2015 और 2023 में एल-निनो के कारण मानसून के आगमन और आगे बढ़ने में उल्लेखनीय विलम्ब हुआ।

3. भौगोलिक वितरण में असमानता (Uneven Spatial Distribution)

एल-निनो का प्रभाव पूरे भारत में एकसमान नहीं होता। **सर्वाधिक प्रभावित** क्षेत्र हैं — उत्तर-पश्चिम भारत (राजस्थान, गुजरात), मध्य भारत (विदर्भ, मराठवाड़ा), और दक्षिणी प्रायद्वीप। **अपेक्षाकृत कम प्रभावित** क्षेत्र हैं — उत्तर-पूर्व भारत और केरल (जहाँ स्थानीय कारक अधिक प्रभावी होते हैं)।

4. कृषि और खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव (Agricultural & Food Security Impact)

भारत की लगभग **50% कृषि** मानसून पर निर्भर है। एल-निनो वर्षों में **खरीफ फसलें** (धान, दलहन, तिलहन) सर्वाधिक प्रभावित होती हैं। 2002 एल-निनो में कृषि उत्पादन में **19% गिरावट** आई थी।

5. जल संसाधन और ऊर्जा पर प्रभाव (Water & Energy Impact)

एल-निनो से **जलाशयों का जलस्तर** गिरता है जिससे जल विद्युत उत्पादन घटता है। 2015-16 के एल-निनो में महाराष्ट्र और कर्नाटक के अनेक जलाशय **40% से नीचे** आ गए थे।

6. समुद्री मत्स्य संसाधन पर प्रभाव (Marine Fisheries Impact)

एल-निनो **Upwelling** को रोककर समुद्री पोषक तत्वों की आपूर्ति घटाता है जिससे **मछलियों की संख्या** कम होती है। यह भारत के तटीय मछुआरों की आजीविका को प्रभावित करता है।

एल-निनो और भारतीय मानसून: जटिलताएँ | Complexities in El-Niño–Monsoon Relationship

1:1 संबंध नहीं है — 1997-98 का प्रबलतम एल-निनो होने के बावजूद भारत में **सामान्य मानसून** रहा। इसका कारण था **सकारात्मक IOD** जिसने एल-निनो के प्रभाव को निष्प्रभावी किया।

IOD का संतुलनकारी प्रभाव (Modulating Role of IOD):

जब एल-निनो के साथ **सकारात्मक IOD** हो तो मानसून पर नकारात्मक प्रभाव कम होता है। जब एल-निनो के साथ **नकारात्मक IOD** हो तो सूखे की संभावना और बढ़ जाती है।

ला-निना का प्रतिकारी प्रभाव:

ला-निना (प्रशांत में ठंडा SST) **अधिक वर्षा** और कभी-कभी **बाढ़** का कारण बनता है। 2010, 2020-21 की बाढ़ें ला-निना से जुड़ी थीं।

एल-निनो पूर्वानुमान और नीतिगत निहितार्थ | Forecasting & Policy Implications

IMD की पूर्वानुमान प्रणाली: भारत का मौसम विभाग अब **Statistical और Dynamical Models** दोनों का उपयोग करता है। **Coupled Model Intercomparison Project (CMIP)** और **MONSOON MISSION** (2012 से) ने पूर्वानुमान क्षमता में सुधार किया है।

नीतिगत उपाय: एल-निनो पूर्वानुमान के आधार पर **फसल बीमा** (PMFBY), **बफर स्टॉक** प्रबन्धन और **जल संरक्षण** नीतियाँ बनाई जाती हैं। **NDMA** एल-निनो आधारित **सूखा प्रबन्धन योजना** तैयार करता है।

निष्कर्ष | Conclusion

मानसून की उत्पत्ति के अभिनव सिद्धान्त — जेट स्ट्रीम, तिब्बत ऊष्मा इंजन, ITCZ और ENSO — परस्पर पूरक हैं। कोई एकल सिद्धान्त पर्याप्त नहीं है। एल-निनो और मानसून के बीच संबंध **सांख्यिकीय रूप से महत्त्वपूर्ण** है किंतु **निर्धारक नहीं** — IOD, हिन्द महासागर SST और स्थानीय कारक इसे जटिल बनाते हैं। जलवायु परिवर्तन के युग में एल-निनो की आवृत्ति और तीव्रता बढ़ने की आशंका है जो भारतीय मानसून की **अनिश्चितता** को और बढ़ाएगी। अतः **उन्नत जलवायु मॉडलिंग, वास्तविक समय डेटा संग्रह** और **अनुकूली कृषि नीतियाँ** मानसून प्रबन्धन की अनिवार्य आवश्यकता हैं।

खण्ड – ब / SECTION – B (12 Marks Each)

Q11. स्वतन्त्रता पश्चात भारत के एकीकरण में सरदार पटेल की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।
Critically analyse the role of Sardar Patel in the Unification of India after Independence.

परिचय | Introduction

15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतन्त्र हुआ, तब उसके समक्ष सबसे विकट चुनौती थी — **562 से अधिक देशी रियासतों का एकीकरण**। ये रियासतें भारतीय उपमहाद्वीप के लगभग **48% भूभाग** और **28% जनसंख्या** को आच्छादित करती थीं। प्रत्येक रियासत के पास स्वतन्त्र रहने, भारत में मिलने या पाकिस्तान में जाने का विकल्प था। इस असाधारण चुनौती का सामना किया **सरदार वल्लभभाई पटेल** ने — जो भारत के प्रथम उप-प्रधानमन्त्री और गृहमन्त्री थे। उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि के कारण उन्हें **"भारत का बिस्मार्क"** और **"लौह पुरुष"** कहा जाता है।

भाग I: एकीकरण की चुनौतियाँ | Part I: Challenges of Integration

1. रियासतों की विविधता और जटिलता

रियासतों में अत्यधिक विविधता थी। **हैदराबाद** जितना फ्रांस के बराबर था तो **बिलबारी** मात्र कुछ एकड़ में सिमटी थी। कुछ रियासतों की अपनी सेनाएँ, मुद्राएँ और कानून थे। **माउण्टबेटन योजना** ने रियासतों को तीन विकल्प दिए थे — भारत में विलय, पाकिस्तान में विलय, या स्वतन्त्र रहना।

2. ब्रिटिश नीति की विरासत

ब्रिटेन ने **"Paramountcy"** समाप्त कर रियासतों को स्वतन्त्र निर्णय का अधिकार दे दिया था। **चर्चिल** जैसे नेताओं ने रियासतों को स्वतन्त्र रहने के लिए प्रोत्साहित किया था। कुछ रियासतें **बाल्कनीकरण (Balkanization)** की दिशा में बढ़ रही थीं।

3. पाकिस्तानी षड्यन्त्र

पाकिस्तान चाहता था कि **हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर** जैसी रणनीतिक रियासतें उसमें मिलें। **जिन्ना** ने रियासतों को स्वतन्त्र रहने के लिए प्रेरित किया।

भाग II: पटेल की रणनीति और कार्यप्रणाली | Part II: Patel's Strategy & Methodology

1. रियासती विभाग की स्थापना और V.P. मेनन की भूमिका

पटेल ने **5 जुलाई 1947** को रियासती विभाग (States Department) की स्थापना की और अपने विश्वस्त सहयोगी **V.P. मेनन** को इसका सचिव नियुक्त किया। मेनन और पटेल की जोड़ी ने **"विलय पत्र" (Instrument of Accession)** का एक सरल किन्तु प्रभावी प्रारूप तैयार किया जिसमें रियासतों को केवल **तीन विषयों** — रक्षा, विदेश और संचार — पर भारत की संसद को अधिकार देना था, शेष सभी मामलों में वे स्वायत्त रहतीं।

2. कूटनीतिक दबाव और प्रलोभन की रणनीति

पटेल ने **"गाजर और छड़ी" (Carrot and Stick)** नीति अपनाई। राजाओं को **प्रिवी पर्स** (निजी भत्ता), उपाधियाँ और सम्मान की गारण्टी दी। साथ ही यह स्पष्ट कर दिया कि जो रियासतें स्वेच्छा से नहीं मिलेंगी, उन्हें जनता की क्रान्ति का सामना करना होगा। उन्होंने राजाओं को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में स्थिति समझाई — **"आप स्वतन्त्र नहीं रह सकते, केवल यह तय करना है कि भारत में मिलें या पाकिस्तान में।"**

3. 15 अगस्त 1947 से पूर्व की उपलब्धि

पटेल की सबसे बड़ी सफलता यह थी कि **15 अगस्त 1947 से पहले** अधिकांश रियासतों ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। केवल **हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर** शेष रहे।

भाग III: प्रमुख विलयों का विश्लेषण | Part III: Analysis of Key Mergers

1. जूनागढ़ का विलय (Junagadh, 1947)

परिस्थिति: जूनागढ़ के नवाब **महाबत खान** ने पाकिस्तान में विलय की घोषणा की, जबकि रियासत की **80% जनसंख्या हिन्दू** थी और यह भारतीय भूभाग से घिरी थी।

पटेल की रणनीति: पटेल ने **आर्थिक नाकेबन्दी** की और भारतीय सेना को सीमा पर तैनात किया। नवाब पाकिस्तान भाग गया। फरवरी 1948 में **जनमत संग्रह** हुआ जिसमें **99.5%** मतों से भारत में विलय का समर्थन हुआ।

महत्त्व: यह स्थापित हुआ कि **जनता की इच्छा** ही विलय का आधार होगी।

2. हैदराबाद का विलय — "ऑपरेशन पोलो" (Hyderabad, 1948)

परिस्थिति: हैदराबाद के निजाम **उस्मान अली खान** ने स्वतन्त्र रहने की घोषणा की। उनकी **"रजाकार"** नामक अर्धसैनिक शक्ति ने हिन्दू जनता पर अत्याचार किए। निजाम ने **संयुक्त राष्ट्र** में शिकायत करने की धमकी दी।

पटेल की रणनीति: पटेल ने **नेहरू और माउण्टबेटन** के विरोध के बावजूद सैन्य कार्रवाई का निर्णय लिया। **13 सितम्बर 1948** को जनरल **J.N. चौधरी** के नेतृत्व में **"ऑपरेशन पोलो"** (जिसे "Police Action" भी कहते हैं) प्रारम्भ हुआ। मात्र **5 दिनों** में निजाम ने आत्मसमर्पण किया।

महत्त्व: यह भारत की सबसे बड़ी आन्तरिक सुरक्षा चुनौती थी। इस एकीकरण ने दक्षिण भारत की अखण्डता सुनिश्चित की। पटेल की दृढ़ता के बिना हैदराबाद एक **"दूसरा कश्मीर"** बन सकता था।

आलोचना: कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ऑपरेशन के दौरान और बाद में **मुस्लिम अल्पसंख्यकों पर अत्याचार** हुए। **सुंदरलाल समिति रिपोर्ट (1948)** — जो दशकों तक गुप्त रखी गई — इस हिंसा का उल्लेख करती है।

3. कश्मीर विवाद (Kashmir, 1947)

परिस्थिति: कश्मीर के महाराजा **हरि सिंह** ने न भारत में और न पाकिस्तान में विलय करने की नीति अपनाई। **अक्टूबर 1947** में पाकिस्तान समर्थित कबाइली आक्रमण हुआ।

पटेल की भूमिका: पटेल ने **तत्काल सैन्य सहायता** भेजने का निर्णय लिया। **26-27 अक्टूबर 1947** को **विलय पत्र** पर हस्ताक्षर हुए और भारतीय सेना ने कश्मीर में प्रवेश किया।

नेहरू-पटेल मतभेद: नेहरू ने **संयुक्त राष्ट्र** में मामला ले जाने का निर्णय लिया जिसका पटेल ने विरोध किया। पटेल का मानना था कि **सैन्य बल** से पूरे कश्मीर को मुक्त कराया जा सकता था। यदि पटेल की नीति अपनाई जाती तो शायद **POK (पाक-अधिकृत कश्मीर)** की समस्या न होती — यह एक महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रश्न है।

4. त्रावणकोर, भोपाल और अन्य रियासतें

त्रावणकोर के दीवान **C.P. रामास्वामी अय्यर** ने स्वतन्त्र रहने की घोषणा की थी। पटेल ने कांग्रेस के जन-आन्दोलन और कूटनीतिक दबाव से उन्हें झुकाया।

भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खान पाकिस्तान के समर्थक थे। पटेल ने व्यक्तिगत वार्ता से उन्हें भारत में विलय के लिए राजी किया।

मैसूर, कोचीन, ग्वालियर जैसी प्रजा-प्रिय रियासतें अपेक्षाकृत सहजता से मिलीं।

भाग IV: आलोचनात्मक विश्लेषण | Part IV: Critical Analysis

सकारात्मक पक्ष | Positive Aspects

1. अभूतपूर्व राजनीतिक उपलब्धि: बिना किसी दीर्घकालिक रक्तपात के 562 रियासतों का एकीकरण **विश्व इतिहास में अद्वितीय** है। तुलनात्मक रूप से जर्मनी का एकीकरण (बिस्मार्क) और इटली का एकीकरण (गैरीबाल्डी) कहीं अधिक हिंसक और दीर्घकालिक प्रक्रियाएँ थीं।

2. व्यावहारिक राजनीति का उत्कृष्ट उदाहरण: पटेल ने आदर्शवाद और व्यावहारिकता का सन्तुलन बनाया। राजाओं को सम्मान देकर उनका सहयोग प्राप्त किया — यह **"Coercive Diplomacy"** का श्रेष्ठ उदाहरण है।

3. राष्ट्रीय एकता की नींव: पटेल के एकीकरण ने **संघीय भारत** की नींव रखी। उनके बिना भारत सम्भवतः **"बाल्कन राज्यों"** की तरह विखण्डित होता।

आलोचनाएँ और सीमाएँ | Criticisms & Limitations

1. हैदराबाद में मानवाधिकार: ऑपरेशन पोलो के बाद हुई साम्प्रदायिक हिंसा की पर्याप्त जाँच नहीं हुई। **सुंदरलाल रिपोर्ट** को दशकों तक दबाए रखना लोकतान्त्रिक मूल्यों के विरुद्ध था।

2. कश्मीर में अदूरदर्शिता: संयुक्त राष्ट्र में जाने के नेहरू के निर्णय का पर्याप्त विरोध न करना — या जब विरोध किया तो वैकल्पिक रणनीति पूर्ण नहीं की — एक **रणनीतिक चूक** मानी जाती है।

3. देशी राजाओं के प्रति अत्यधिक उदारता: प्रिवी पर्स व्यवस्था — जो 1971 तक चली — एक **सामन्तवादी अवशेष** था जो लोकतान्त्रिक भावना के विरुद्ध था। यद्यपि यह तत्कालीन आवश्यकता थी।

4. नेहरू के साथ वैचारिक तनाव: पटेल-नेहरू मतभेद कभी-कभी नीतिगत असंगति पैदा करते थे। **सोमनाथ मन्दिर पुनर्निर्माण** पर नेहरू से असहमति इसका उदाहरण है।

5. RSS के प्रति नरम रवैये की आलोचना: गाँधी हत्या के बाद RSS पर प्रतिबन्ध लगाया किन्तु शीघ्र ही हटा लिया — इसकी आलोचना हुई कि पटेल **हिन्दू राष्ट्रवादी** तत्वों के प्रति नरम थे।

भाग V: नेहरू बनाम पटेल — पूरक या प्रतिस्पर्धी? | Part V: Nehru vs. Patel — Complementary or Competitive?

यह ऐतिहासिक प्रश्न महत्त्वपूर्ण है। वास्तव में दोनों की भूमिकाएँ **परस्पर पूरक** थीं:

पक्ष	नेहरू	पटेल
दृष्टि	आदर्शवादी, अन्तर्राष्ट्रीयवादी	व्यावहारिक, राष्ट्रवादी
कश्मीर	UN में ले गए	सैन्य समाधान चाहते थे
रियासतें	वार्ता पक्षधर	दृढ़ कूटनीति
अर्थनीति	समाजवाद	उदारवाद की ओर झुकाव

Stanley Wolpert ने लिखा है कि नेहरू और पटेल भारत की **"दो आँखें"** थे — एक के बिना दूसरे की दृष्टि अधूरी थी।

निष्कर्ष | Conclusion

सरदार पटेल की भारत एकीकरण में भूमिका को **"20वीं शताब्दी की सबसे बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि"** कहा जा सकता है। उनकी **दृढ़ता, व्यावहारिकता और राष्ट्रभक्ति** ने उस भारत को जन्म दिया जो आज हम देखते हैं। आलोचनाएँ यथार्थ हैं — हैदराबाद में मानवाधिकार, कश्मीर की अधूरी रणनीति और सामन्तवादी अवशेष — किन्तु इन्हें तत्कालीन **ऐतिहासिक परिस्थितियों** के सन्दर्भ में देखना होगा। **"Statue of Unity"** (विश्व की सबसे ऊँची प्रतिमा) केवल उनकी भौतिक विरासत है — उनकी वास्तविक प्रतिमा **अखण्ड भारत** की भौगोलिक-राजनीतिक संरचना में अंकित है। जैसा कि **महात्मा गाँधी** ने कहा था — *"रियासतों की समस्या इतनी जटिल थी कि केवल सरदार ही इसे सुलझा सकते थे।"*

Q12. "1857 से 1947 का कालखण्ड भारत के इतिहास का अत्यधिक परिवर्तन का काल था"। इस कथन का विश्लेषण कीजिए। "The period from 1857 to 1947 was a time of immense change of Indian history". Analyse this statement.

परिचय | Introduction

1857 से 1947 का नब्बे वर्षीय कालखण्ड भारतीय इतिहास का सर्वाधिक **बहुआयामी, द्वन्द्वात्मक और परिवर्तनकारी युग** है। यह वह काल है जब एक **औपनिवेशिक दासता** ने राष्ट्रीय चेतना को जन्म दिया, जब **सामन्तवादी समाज** आधुनिकता से टकराया, जब **धार्मिक रूढ़िवाद** सामाजिक सुधार की आँधी में हिला, और जब एक **विखण्डित उपमहाद्वीप** एक राष्ट्र बनने की यात्रा पर निकला। **बिपन चन्द्र** के शब्दों में — *"यह वह काल था जब भारत ने अपने आप को पुनः खोजा।"*

भाग I: राजनीतिक परिवर्तन | Part I: Political Transformation

1. 1857 — प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम और उसके परिणाम

1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास का जलविभाजक (Watershed) है। इसने तीन स्तरों पर आमूल परिवर्तन किए:

ईस्ट इण्डिया कम्पनी का अन्त: 1858 के **भारत शासन अधिनियम** द्वारा भारत का शासन सीधे **ब्रिटिश क्राउन** को हस्तान्तरित हुआ। **गवर्नर-जनरल** का पद **वायसराय** में परिवर्तित हुआ। 1876 में विक्टोरिया ने **"भारत की साम्राज्ञी"** की उपाधि ग्रहण की।

शासन-व्यवस्था में परिवर्तन: 1861 का **भारतीय परिषद अधिनियम** विधायी परिषदों में भारतीयों को सीमित प्रतिनिधित्व देने का प्रथम कदम था। **1909 (मार्ले-मिण्टो सुधार)** ने पृथक निर्वाचन मण्डल की शुरुआत की — जो विभाजन का बीज बोया। **1919 (मॉण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार)** ने द्वैध शासन (Dyarchy) लागू किया। **1935 का अधिनियम** संघीय संरचना और प्रान्तीय स्वायत्तता का आधार बना।

2. राष्ट्रीय चेतना और संगठित राजनीति का उदय

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (1885): A.O. Hume द्वारा स्थापित कांग्रेस प्रारम्भ में **"Safety Valve"** थी किन्तु शीघ्र ही राष्ट्रीय आन्दोलन की धुरी बन गई।

उग्रवाद का उदय (1905-1920): बाल-पाल-लाल त्रिमूर्ति ने **स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा** के चार सूत्र दिए। **बंगाल विभाजन (1905)** ने जन-चेतना को राष्ट्रीय स्वरूप दिया।

गाँधी युग (1919-1947): गाँधी ने राष्ट्रीय आन्दोलन को **अभिजात वर्ग से जनसाधारण** तक पहुँचाया। **असहयोग (1920-22), सविनय अवज्ञा (1930-34), भारत छोड़ो (1942)** आन्दोलनों ने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी।

साम्प्रदायिक राजनीति का उभार: मुस्लिम लीग (1906) की स्थापना, **द्विराष्ट्र सिद्धान्त**, और अन्ततः **1947 का विभाजन** — यह सब इसी काल की राजनीतिक परिणति थी।

3. क्रान्तिकारी आन्दोलन

भगत सिंह, चन्द्रशेखर आजाद, सुभाषचन्द्र बोस ने सशस्त्र क्रान्ति का मार्ग अपनाया। **INA (आजाद हिन्द फौज)** ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्वतन्त्रता का प्रश्न उठाया। **1946 का नौसेना विद्रोह** ब्रिटिश राज के अन्त का संकेत था।

भाग II: आर्थिक परिवर्तन | Part II: Economic Transformation

1. औपनिवेशिक आर्थिक शोषण का चरम

"धन का निष्कासन" (Drain of Wealth): दादाभाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक **"Poverty and Un-British Rule in India" (1901)** में प्रमाणित किया कि भारत से वार्षिक **£ 30-40 मिलियन** का धन इंग्लैण्ड जाता था। **R.C. Dutt** ने दर्शाया कि किस प्रकार ब्रिटिश नीतियों ने भारतीय उद्योग और कृषि दोनों को नष्ट किया।

कृषि का विनाश: स्थायी बन्दोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी व्यवस्थाओं ने किसानों को **भूमिहीन मजदूर** बनाया। **अकाल** इस काल की नियमित त्रासदी बने — 1876-78, 1896-97, 1943 के बंगाल अकाल में करोड़ों लोग काल-कवलित हुए।

कुटीर उद्योगों का पतन: ब्रिटिश मशीन-निर्मित वस्त्रों ने भारतीय बुनकरों को बर्बाद किया। **ढाका की मलमल** और **मुर्शिदाबाद का रेशम** इतिहास की वस्तु बन गए।

2. आधुनिक आर्थिक संरचना का निर्माण

रेलवे (1853 से): यद्यपि रेलवे ब्रिटिश हितों के लिए बनी, इसने भारत में **राष्ट्रीय बाजार** की नींव रखी। **1947 तक 65,000 किमी** रेल नेटवर्क तैयार था।

आधुनिक उद्योगों का उदय: 1851 — पहली कपास मिल (बम्बई), 1854 — पहला जूट कारखाना (कलकत्ता)। **टाटा, बिड़ला, डालमिया** जैसे उद्योगपतियों का उदय इसी काल में हुआ। **1907 — TISCO (जमशेदपुर)** की स्थापना औद्योगिक स्वदेशीकरण का प्रतीक बनी।

बैंकिंग और वित्त: 1935 में RBI की स्थापना आधुनिक वित्तीय व्यवस्था का आधार बनी।

स्वदेशी आन्दोलन का आर्थिक प्रभाव: 1905 और 1930 के स्वदेशी आन्दोलनों ने **राष्ट्रीय उद्योग** को प्रोत्साहन दिया और **आर्थिक राष्ट्रवाद** की भावना जगाई।

भाग III: सामाजिक परिवर्तन | Part III: Social Transformation

1. सामाजिक सुधार आन्दोलन

यह काल भारतीय सामाजिक इतिहास का **"Renaissance Period"** था:

सुधारक	संस्था/योगदान	प्रमुख सुधार
राजा राममोहन राय	ब्रह्म समाज (1828)	सती प्रथा उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह
दयानन्द सरस्वती	आर्य समाज (1875)	बाल विवाह विरोध, स्त्री शिक्षा
ज्योतिबा फुले	सत्यशोधक समाज (1873)	जाति-विरोध, दलित उत्थान
विवेकानन्द	रामकृष्ण मिशन (1897)	सेवा, शिक्षा, हिन्दू पुनर्जागरण
B.R. अम्बेडकर	दलित आन्दोलन	जाति उन्मूलन, संवैधानिक अधिकार
सैयद अहमद खान	अलीगढ़ आन्दोलन	मुस्लिम आधुनिक शिक्षा

2. जाति व्यवस्था में परिवर्तन

ब्रिटिश शिक्षा और कानून ने **जाति की कठोरता** को कुछ हद तक शिथिल किया। **1850 का जाति निर्योग्यता निवारण अधिनियम** धर्म परिवर्तन पर सम्पत्ति अधिकार सुरक्षित करने वाला था। **अम्बेडकर** के नेतृत्व में दलित चेतना एक संगठित राजनीतिक शक्ति बनी। **महाड सत्याग्रह (1927)** और **मन्दिर प्रवेश आन्दोलन** सामाजिक न्याय के ऐतिहासिक पड़ाव थे।

3. स्त्री की स्थिति में परिवर्तन

कानूनी सुधार: 1829 — सती प्रथा निषेध, 1856 — विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1929 — शारदा अधिनियम (बाल विवाह निषेध)।

स्त्री शिक्षा: बेथ्यून स्कूल (1849), पुणे की सावित्रीबाई फुले और **पण्डिता रमाबाई** ने स्त्री शिक्षा में क्रान्ति लाई। **1882 के हण्टर आयोग** ने महिला शिक्षा की आवश्यकता स्वीकार की।

राष्ट्रीय आन्दोलन में भागीदारी: सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गाँधी, अरुणा आसफ अली, लक्ष्मी सहगल ने राष्ट्रीय आन्दोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। **1917 में महिला मताधिकार** की माँग संगठित रूप से उठी।

भाग IV: सांस्कृतिक और बौद्धिक परिवर्तन | Part IV: Cultural & Intellectual Transformation

1. आधुनिक शिक्षा का प्रसार

1835 का मैकाले का विवरण पत्र (Minute): इसने **अंग्रेजी माध्यम** की शिक्षा को भारत में स्थापित किया। यद्यपि इसका उद्देश्य **"Indian in blood but English in taste"** जैसा वर्ग बनाना था, इसने अनजाने में राष्ट्रवाद का भी बीज बोया।

1857 — तीन विश्वविद्यालयों की स्थापना (कलकत्ता, बम्बई, मद्रास) ने आधुनिक उच्च शिक्षा की नींव रखी। **1902 — रैले आयोग** और **1917 — सैडलर आयोग** ने शिक्षा नीति को आकार दिया।

2. भारतीय भाषाओं और साहित्य का पुनर्जागरण

बंगाली पुनर्जागरण: रवीन्द्रनाथ टैगोर (1913 — नोबेल पुरस्कार), **बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय** (वन्दे मातरम्), **माइकल मधुसूदन दत्त** ने बंगाली साहित्य को विश्व-स्तर पर पहुँचाया।

हिन्दी साहित्य: भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ("हिन्दी नवजागरण के पितामह"), **प्रेमचन्द** (सामाजिक यथार्थवाद), **महावीर प्रसाद द्विवेदी** ने हिन्दी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थापित करने में योगदान दिया।

राष्ट्रीय प्रतीकों का निर्माण: वन्दे मातरम् (1882), जन गण मन (1911), तिरंगा — ये सब इसी काल की सांस्कृतिक उपज हैं।

3. प्रेस और जनसंचार

समाचार पत्रों का उदय राष्ट्रीय चेतना का वाहक बना। **अमृत बाजार पत्रिका, केसरी (तिलक), यंग इण्डिया (गाँधी), अल हिलाल (आजाद)** ने जन-जागृति में अमूल्य योगदान दिया। **1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट** और उसका विरोध प्रेस की शक्ति का प्रमाण था।

भाग V: धार्मिक और दार्शनिक परिवर्तन | Part V: Religious & Philosophical Transformation

नव-वेदान्त: विवेकानन्द ने हिन्दू दर्शन को **"Universal Religion"** के रूप में प्रस्तुत किया। 1893 के **शिकागो धर्म सम्मेलन** में उनके भाषण ने भारतीय आत्म-सम्मान को पुनर्जीवित किया।

सत्य और अहिंसा का राजनीतिकरण: गाँधी ने **धार्मिक मूल्यों** को राजनीतिक हथियार बनाया। **सत्याग्रह** का दर्शन भारतीय आध्यात्मिकता और आधुनिक राजनीति का अद्भुत संयोग था।

इस्लामी पुनर्जागरण: अलीगढ़ आन्दोलन, देवबन्द आन्दोलन और **खिलाफत आन्दोलन** — इस्लामी पहचान की राजनीति इसी काल में परिपक्व हुई।

भाग VI: आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य | Part VI: Critical Perspective

परिवर्तन की सीमाएँ और अन्तर्विरोध

1. परिवर्तन असमान था: शहरी और ग्रामीण भारत के बीच परिवर्तन की गति में **विशाल खाई** थी। **90% जनसंख्या** ग्रामीण थी जो आधुनिकता की परिधि पर ही रही।

2. जाति और पितृसत्ता की निरन्तरता: सामाजिक सुधारों के बावजूद **जाति व्यवस्था और पितृसत्ता** की जड़ें गहरी रहीं। अम्बेडकर की यह आलोचना सही थी कि कांग्रेस का राष्ट्रवाद **सवर्ण हिन्दू हितों** का प्रतिनिधित्व अधिक करता था।

3. साम्प्रदायिकता का उदय — परिवर्तन का स्याह पक्ष: 1947 का विभाजन इस काल का सबसे दुखद परिणाम था। **10-20 लाख लोगों की मृत्यु** और **1.5 करोड़ लोगों का विस्थापन** यह दर्शाता है कि परिवर्तन सदैव प्रगतिशील नहीं था।

4. औपनिवेशिक आधुनिकता का द्वन्द्व: ब्रिटिश शासन ने **आधुनिकता और शोषण** दोनों एक साथ दिए। रेलवे, शिक्षा, कानून — ये सब मुख्यतः **औपनिवेशिक हितों** की सेवा में थे।

निष्कर्ष | Conclusion

1857 से 1947 का कालखण्ड वास्तव में **"अत्यधिक परिवर्तन का काल"** था — किन्तु यह परिवर्तन **रैखिक नहीं, द्वन्द्वात्मक** था। एक ओर राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक सुधार, आधुनिक शिक्षा और औद्योगीकरण था; दूसरी ओर औपनिवेशिक शोषण, साम्प्रदायिक विभाजन, जातीय असमानता और विभाजन की त्रासदी थी। **"यह सर्वश्रेष्ठ काल था, यह सबसे बुरा काल था"** — **चार्ल्स डिकेन्स** के ये शब्द इस युग पर पूरी तरह लागू होते हैं। इस काल की विरासत **स्वतन्त्र, लोकतान्त्रिक और संवैधानिक भारत** के रूप में हमारे सामने है — एक अधूरी परन्तु अद्भुत क्रान्ति की परिणति।

Q13. जर्मनी का एकीकरण 'राष्ट्रवाद के आदर्श' और 'यथार्थवादी शक्ति-राजनीति' के अंतर्विरोध का प्रतीक माना जाता है। इस सन्दर्भ में एकीकरण के मार्गों और उसके अंतर्राष्ट्रीय निहितार्थों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। The Unification of Germany is considered as a symbol of the contradiction between the 'ideal of nationalism' and the 'realities of power politics'. In this context, critically examine the paths of unification and its international implications.

परिचय | Introduction

1871 में **वर्साय के दर्पण कक्ष (Hall of Mirrors)** में जर्मन साम्राज्य की घोषणा विश्व इतिहास की एक निर्णायक घटना थी। यह एकीकरण एक ओर **राष्ट्रवाद के स्वप्न** की परिणति थी — जो 1848 की क्रान्तियों में अभिव्यक्त हुई थी — और दूसरी ओर **"Realpolitik"** (यथार्थवादी शक्ति-राजनीति) की विजय थी, जिसके सूत्रधार **ओटो वॉन बिस्मार्क** थे। **A.J.P. Taylor** के शब्दों में — *"जर्मनी का एकीकरण उदारवादी राष्ट्रवाद की विजय नहीं, बल्कि उसकी पराजय थी।"* यह कथन इस ऐतिहासिक घटना के मूल अन्तर्विरोध को उजागर करता है।

भाग I: पृष्ठभूमि — राष्ट्रवाद का आदर्श | Part I: Background — The Ideal of Nationalism

1. विखण्डित जर्मनी की स्थिति (Pre-Unification Germany)

1815 के **वियना कांग्रेस** के बाद जर्मनी **39 स्वतन्त्र राज्यों के "जर्मन महासंघ" (German Confederation)** में विभाजित था। इन राज्यों में **प्रशा और ऑस्ट्रिया** प्रमुख शक्तियाँ थीं। **नेपोलियन के युद्धों** ने जर्मन राष्ट्रवाद को जगाया था — जर्मन लोगों में यह चेतना उभरी कि वे एक भाषा, एक संस्कृति और एक इतिहास के वाहक हैं।

2. सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उदय (Cultural Nationalism)

फिक्टे (Fichte) के **"Addresses to the German Nation" (1807-08)** ने जर्मन राष्ट्रीय चेतना को दार्शनिक आधार दिया। **हेगेल** ने राज्य को **"नैतिक विचार की वास्तविकता"** कहा। **ग्रिम बन्धुओं** ने लोककथाओं और भाषा के माध्यम से जर्मन सांस्कृतिक एकता को रेखांकित किया। **Zollverein (1834)** — प्रशा के नेतृत्व में बना **आर्थिक सीमा-शुल्क संघ** — जर्मन एकता की दिशा में पहला व्यावहारिक कदम था।

3. 1848 की क्रान्ति — राष्ट्रवाद का आदर्श और उसकी पराजय

मार्च 1848 में पूरे जर्मनी में क्रान्ति की लहर फैली। **फ्रैंकफर्ट संसद (Frankfurt Parliament)** ने एकीकृत जर्मनी का संविधान बनाने का प्रयास किया। यह **उदारवादी राष्ट्रवाद** का स्वर्णिम क्षण था — जनता की इच्छा पर आधारित एकता का स्वप्न।

परन्तु यह प्रयास विफल हुआ क्योंकि:

"महा-जर्मनी" (ऑस्ट्रिया सहित) और "लघु-जर्मनी" (प्रशा केन्द्रित) के बीच **वैचारिक विभाजन** था। **प्रशा के फ्रेडरिक विलियम IV** ने "जनता द्वारा दिया गया मुकुट" अस्वीकार किया — उनके लिए राजसत्ता ईश्वरीय अधिकार थी, जनता का उपहार नहीं। सैन्य शक्ति के बिना उदारवादी सपने खोखले सिद्ध हुए।

1848 का सबक यह था कि **"आदर्श से नहीं, शक्ति से"** जर्मनी का एकीकरण होगा — और यही **बिस्मार्क** ने किया।

भाग II: बिस्मार्क और Realpolitik — यथार्थवादी शक्ति-राजनीति | Part II: Bismarck & Realpolitik

बिस्मार्क का व्यक्तित्व और दर्शन

ओटो वॉन बिस्मार्क (1815-1898) प्रशा के **जंकर (Junker)** कुलीन वर्ग से थे। 1862 में प्रशा के **मन्त्री-अध्यक्ष (Chancellor)** नियुक्त हुए। उनका प्रसिद्ध कथन था — *"महान प्रश्नों का निर्णय भाषणों और बहुमत से नहीं, बल्कि **'लोहे और रक्त' (Blood and Iron)** से होगा।"*

बिस्मार्क **राष्ट्रवाद** में विश्वास नहीं रखते थे — वे **प्रशा की शक्ति** में विश्वास रखते थे। उनके लिए जर्मन एकीकरण **साध्य नहीं, साधन** था — प्रशा की सर्वोच्चता स्थापित करने का साधन।

भाग III: एकीकरण के मार्ग — तीन युद्ध | Part III: Paths of Unification — Three Wars

युद्ध 1: डेनमार्क के विरुद्ध (1864) — श्लेस्विग-होल्स्टीन विवाद

पृष्ठभूमि: श्लेस्विग और होल्स्टीन — दो जर्मन-भाषी प्रान्त डेनमार्क के अधीन थे।

बिस्मार्क की कूटनीति: ऑस्ट्रिया को साथ लेकर डेनमार्क के विरुद्ध युद्ध किया। **गास्टीन सन्धि (1865)** द्वारा श्लेस्विग प्रशा को और होल्स्टीन ऑस्ट्रिया को मिला। **रणनीतिक चतुराई:** बिस्मार्क जानते थे कि यह व्यवस्था अस्थायी है और ऑस्ट्रिया के साथ अगला युद्ध अवश्यम्भावी है।

आलोचनात्मक दृष्टि: यह **राष्ट्रवाद नहीं, साम्राज्यवाद** था — श्लेस्विग की डेनिश जनसंख्या की इच्छा की उपेक्षा की गई।

युद्ध 2: ऑस्ट्रिया के विरुद्ध — सात सप्ताह का युद्ध (1866)

पृष्ठभूमि: जर्मन महासंघ में **प्रशा बनाम ऑस्ट्रिया** के नेतृत्व का प्रश्न।

बिस्मार्क की कूटनीतिक तैयारी:

इटली से गठबन्धन — इटली को **वेनेशिया** का प्रलोभन दिया। फ्रांस को **तटस्थ** रखा — नेपोलियन III को राइन क्षेत्र का अस्पष्ट आश्वासन दिया। रूस को **1863 के पोलिश विद्रोह** में समर्थन देकर पहले ही मित्र बना लिया था।

युद्ध और परिणाम: 3 जुलाई 1866 — Königgrätz (Sadowa) का निर्णायक युद्ध — प्रशा की त्वरित विजय। **प्राग सन्धि (1866):** जर्मन महासंघ भंग, ऑस्ट्रिया को जर्मन मामलों से बाहर किया गया। **"उत्तरी जर्मन महासंघ" (North German Confederation, 1867)** प्रशा के नेतृत्व में स्थापित।

बिस्मार्क की उदारता: विजय के बाद बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया पर **कठोर शर्तें नहीं लगाईं** — यह दूरदर्शिता थी ताकि भविष्य में ऑस्ट्रिया शत्रु न रहे।

आलोचनात्मक दृष्टि: यह **"जर्मन भाइयों के बीच युद्ध"** था। ऑस्ट्रिया भी जर्मन-भाषी था — उसे बाहर करना **राष्ट्रवाद के सिद्धान्त के विरुद्ध** था, किन्तु प्रशा की सर्वोच्चता के लिए अनिवार्य था।

युद्ध 3: फ्रांस के विरुद्ध — फ्रेंको-प्रशियाई युद्ध (1870-71)

पृष्ठभूमि: दक्षिणी जर्मन राज्य (बवेरिया, वुर्तेम्बर्ग आदि) अभी भी उत्तरी महासंघ से बाहर थे। इन्हें एकीकरण में लाने के लिए **"राष्ट्रीय शत्रु"** की आवश्यकता थी — और यह शत्रु था **फ्रांस**।

"Ems Dispatch" — बिस्मार्क की सर्वश्रेष्ठ कूटनीतिक चाल:

स्पेन के सिंहासन पर **होहेंजोलर्न राजकुमार** की उम्मीदवारी का प्रश्न उठा। फ्रांसीसी राजदूत ने प्रशा के राजा विलियम I से Ems में मुलाकात की। विलियम ने बिस्मार्क को एक तार (Telegram) भेजा। **बिस्मार्क ने उस तार को सम्पादित (Edit) करके** इस प्रकार प्रकाशित किया कि फ्रांस को लगे कि प्रशा ने अपमान किया, और प्रशा को लगे कि फ्रांस ने अपमान किया। परिणाम — **फ्रांस ने युद्ध घोषित किया (19 जुलाई 1870)**।

युद्ध का परिणाम: सेडान का युद्ध (1 सितम्बर 1870) — फ्रांसीसी सम्राट **नेपोलियन III** बन्दी। **पेरिस का घेराव** और **28 जनवरी 1871 — फ्रांस का आत्मसमर्पण।**

18 जनवरी 1871 — वर्साय में जर्मन साम्राज्य की घोषणा:

विलियम I को **"जर्मन सम्राट (Kaiser)"** घोषित किया गया। यह घोषणा **फ्रांस की राजधानी के निकट, फ्रांसीसी राजाओं के महल में** की गई — यह प्रतीकात्मक अपमान था।

फ्रैंकफर्ट सन्धि (1871): फ्रांस से **अलसेस-लोरेन** का अपहरण और **5 अरब फ्रैंक** की क्षतिपूर्ति।

भाग IV: राष्ट्रवाद बनाम Realpolitik — मूल अन्तर्विरोध | Part IV: The Core Contradiction

आयाम	राष्ट्रवाद का आदर्श	Realpolitik की वास्तविकता
एकता का आधार	जनइच्छा, सांस्कृतिक समानता	सैन्य विजय, कूटनीतिक छल
नेतृत्व	लोकतान्त्रिक संसद	सत्तावादी राजतन्त्र
साधन	संविधान, संसद	युद्ध, षड्यन्त्र
समावेश	सभी जर्मन-भाषी	केवल प्रशा-हितैषी
1848 की भावना	उदारवाद + राष्ट्रवाद	राष्ट्रवाद - उदारवाद
ऑस्ट्रिया	जर्मन राष्ट्र का भाग	बाहर निकाला गया
अलसेस-लोरेन	फ्रांसीसी पहचान वाला क्षेत्र	बलपूर्वक छीना गया

मूल अन्तर्विरोध यह था कि एकीकरण **राष्ट्रवाद के नाम पर** हुआ किन्तु **राष्ट्रवाद के सिद्धान्तों के विरुद्ध** — जनइच्छा की उपेक्षा, संसदीय प्रक्रिया का अपमान, और सैन्य शक्ति की सर्वोच्चता।

भाग V: अन्तर्राष्ट्रीय निहितार्थ | Part V: International Implications

1. यूरोपीय शक्ति-सन्तुलन का विनाश (Destruction of European Balance of Power)

1815 के **वियना सम्मेलन** ने जो यूरोपीय शक्ति-सन्तुलन बनाया था, जर्मन एकीकरण ने उसे **मूलतः बदल दिया**। **एक शक्तिशाली, केन्द्रीकृत जर्मनी** यूरोप के हृदय में उभरा। फ्रांस कमजोर, अपमानित और **बदले की भावना (Revanchism)** से भरा हो गया। **ऑस्ट्रिया** अपनी जर्मन पहचान खोकर **ऑस्ट्रो-हंगेरियन साम्राज्य** में सिमट गया।

2. बिस्मार्क की गठबन्धन प्रणाली (Alliance System)

एकीकरण के बाद बिस्मार्क जानते थे कि **फ्रांस** बदला लेना चाहेगा। इसलिए उन्होंने जटिल गठबन्धन प्रणाली बनाई:

1873 — तीन सम्राटों का संघ (Three Emperors' League): जर्मनी, ऑस्ट्रिया, रूस। **1879 — द्विगुट संधि (Dual Alliance):** जर्मनी + ऑस्ट्रिया। **1882 — त्रिगुट संधि (Triple Alliance):** जर्मनी + ऑस्ट्रिया + इटली। **1887 — Reinsurance Treaty:** रूस के साथ गुप्त सन्धि।

यह **गठबन्धनों का जाल** यूरोप को दो खेमों में बाँटने की नींव थी — जो 1914 में **प्रथम विश्वयुद्ध** के रूप में फटा।

3. फ्रांस में Revanchism — बदले की राजनीति

अलसेस-लोरेन का अपहरण फ्रांसीसी राष्ट्रीय अपमान बन गया। **"Revanchism"** (बदले की भावना) फ्रांसीसी राजनीति की धुरी बन गई। यह भावना **1914 और 1939** दोनों विश्वयुद्धों का एक कारण बनी।

4. राष्ट्रवाद का सैन्यवाद से विवाह — खतरनाक मिसाल

जर्मन एकीकरण ने यह **खतरनाक मिसाल** कायम की कि **राष्ट्रवाद + सैन्य शक्ति = राजनीतिक सफलता**। इस मॉडल ने अन्य यूरोपीय शक्तियों को भी **सैन्यवाद और साम्राज्यवाद** की दिशा में प्रेरित किया। **"Pan-Germanism"** — जो हिटलर तक पहुँचा — इसी एकीकरण की विकृत सन्तान थी।

5. इटली के एकीकरण पर प्रभाव

जर्मन एकीकरण ने **इतालवी एकीकरण (Risorgimento)** को भी गति दी। **1866** में इटली को वेनेशिया और **1870** में रोम मिला — दोनों जर्मन युद्धों के अप्रत्यक्ष परिणाम।

6. प्रथम विश्वयुद्ध की भूमिका (Path to WWI)

जर्मन एकीकरण और उसके परिणाम — **फ्रांस का अपमान, गठबन्धन प्रणाली, सैन्यवाद, साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा** — सब मिलकर **1914 के विस्फोट** की ओर ले गए। **A.J.P. Taylor** ने लिखा — *"1871 का वर्साय 1919 का वर्साय बना और 1919 का वर्साय 1939 का द्वितीय विश्वयुद्ध।"*

भाग VI: आलोचनात्मक मूल्यांकन | Part VI: Critical Evaluation

बिस्मार्क की महानता और सीमाएँ

महानता: असाधारण कूटनीतिक प्रतिभा, जटिल अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का कुशल प्रबन्धन, एकीकरण के बाद शान्ति बनाए रखना (1871-90)।

सीमाएँ: लोकतान्त्रिक संस्थाओं के प्रति अविश्वास, **Kulturkampf** (कैथोलिक विरोधी नीति) और समाजवाद दमन जैसी नीतियाँ, और सबसे बड़ी सीमा — उनके जाने के बाद जर्मनी उनकी **"कूटनीतिक विरासत"** को सम्भाल नहीं सका।

इतिहासकारों के विभिन्न दृष्टिकोण

A.J.P. Taylor: बिस्मार्क एक **"पारम्परिक राजनयिक"** थे जो यूरोपीय शक्ति-सन्तुलन की भाषा बोलते थे। **Heinrich von Treitschke:** बिस्मार्क **जर्मन राष्ट्रवाद के महानायक** थे। **William Carr:** एकीकरण **"राष्ट्रवाद के बावजूद, राष्ट्रवाद के द्वारा नहीं"** हुआ। **Marxist दृष्टि:** एकीकरण **जंकर-पूँजीपति वर्ग का गठजोड़** था जिसने मजदूर वर्ग को हाशिये पर रखा।

निष्कर्ष | Conclusion

जर्मनी का एकीकरण इतिहास का वह दुर्लभ क्षण है जहाँ **"आदर्श और यथार्थ"** का अन्तर्विरोध इतना स्पष्ट और इतना परिणामकारी था। 1848 की **फ्रैंकफर्ट संसद** जनता की आवाज थी — वह विफल रही। 1871 का **वर्साय** तोपों की आवाज थी — वह सफल हुई। किन्तु इस सफलता की कीमत यूरोप ने **दो विश्वयुद्धों** में चुकाई। जर्मन एकीकरण का सबसे बड़ा सबक यह है कि **"राष्ट्रवाद जब शक्ति-राजनीति का उपकरण बनता है"** तो वह न केवल अपने आदर्शों को विकृत करता है, बल्कि ऐसी शक्तियाँ मुक्त करता है जो पीढ़ियों तक अनियन्त्रित रहती हैं। **"Blood and Iron"** से बना जर्मनी अन्ततः **"Blood and Iron"** में ही डूबा।

Q14. नगरीकरण से संबद्ध समाजिक-आर्थिक समस्याओं की विवेचना कीजिए। सतत शहरी विकास हेतु कौन-से संरचनात्मक उपाय आवश्यक है? Discuss the socio-economic problems associated with urbanization. What structural measures are necessary for sustainable urban development?

भूमिका (Introduction)

नगरीकरण आधुनिक विकास की अनिवार्य प्रक्रिया है, किन्तु जब यह अनियोजित एवं असंतुलित हो, तो यह अनेक सामाजिक-आर्थिक विकृतियों को जन्म देती है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, 2050 तक विश्व की 68% जनसंख्या नगरों में निवास करेगी। भारत में 2030 तक 40% जनसंख्या के शहरी होने का अनुमान है। ऐसे में **सतत शहरी विकास** (SDG-11) की प्राप्ति एक नीतिगत अनिवार्यता बन जाती है।

भाग-1: नगरीकरण से जुड़ी सामाजिक-आर्थिक समस्याएँ

1. आवास संकट एवं मलिन बस्तियाँ (Housing Crisis & Slums)

ग्रामीण-शहरी प्रवास की तीव्र गति के कारण शहरों में नियोजित आवास की उपलब्धता अपर्याप्त हो जाती है। इससे अनाधिकृत बस्तियों (slums) का विस्तार होता है जहाँ स्वच्छ जल, स्वच्छता एवं सुरक्षित आश्रय का अभाव होता है।

उदाहरण: मुंबई की धारावी (एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती), दिल्ली की गोविंदपुरी। विश्व में 1 अरब से अधिक लोग मलिन बस्तियों में निवास करते हैं।

2. बेरोजगारी एवं अनौपचारिक क्षेत्र का विस्तार (Unemployment & Informality)

शहरों में कुशल एवं अकुशल श्रमिकों की भारी संख्या पहुँचती है, किन्तु औपचारिक रोजगार सीमित होते हैं। इससे अनौपचारिक क्षेत्र — फेरीवाले, गिग-वर्कर, दिहाड़ी मजदूर — का अनुपातहीन विस्तार होता है जहाँ न सामाजिक सुरक्षा है, न न्यूनतम वेतन की गारंटी।

तथ्य: भारत के शहरी कार्यबल का लगभग 90% अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत है।

3. बुनियादी ढाँचे का अभाव (Infrastructure Deficit)

नगरों की जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में सड़क, जलापूर्ति, मलजल-निकास एवं विद्युत आपूर्ति का विस्तार नहीं हो पाता। इससे यातायात-जाम, जल-जनित रोग एवं ऊर्जा-कटौती जैसी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।

उदाहरण: दिल्ली में यातायात जाम के कारण प्रतिदिन लगभग 18 लाख मानव-घंटों की क्षति होती है।

4. सामाजिक असमानता एवं विखंडन (Social Inequality & Fragmentation)

नगरीकरण से जाति, वर्ग एवं धर्म के आधार पर आवासीय विभाजन (Ghettoisation) बढ़ता है। महिलाओं की सार्वजनिक स्थानों पर असुरक्षा, प्रवासियों का सामाजिक अलगाव तथा अल्पसंख्यकों का हाशियाकरण प्रमुख सामाजिक समस्याएँ हैं।

तथ्य: भारतीय शहरों में Urban Gini Coefficient लगातार बढ़ रहा है, जो आर्थिक असमानता की गंभीरता को दर्शाता है।

5. पर्यावरणीय ह्रास (Environmental Degradation)

अनियंत्रित शहरीकरण से वायु प्रदूषण, नगरीय ऊष्मा द्वीप (Urban Heat Islands), हरित आवरण की क्षति एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की विफलता जैसी गंभीर समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।

तथ्य: विश्व के 20 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में से 14 भारत में हैं (IQAir Report)।

6. सार्वजनिक सेवाओं पर दबाव (Strain on Public Services)

अस्पताल, विद्यालय एवं सार्वजनिक परिवहन की क्षमता से अधिक उपयोग से सेवाओं की गुणवत्ता घटती है। शहरी जीवन की तेज़ गति मानसिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती है।

भाग-2: सतत शहरी विकास हेतु संरचनात्मक उपाय

1. नियोजन एवं भूमि उपयोग सुधार (Planning & Land Use Reform)

एकीकृत मास्टर प्लान, मिश्रित भूमि उपयोग (mixed-use zoning) एवं पारगमन-उन्मुख विकास (Transit-Oriented Development) के माध्यम से शहरों को सुनियोजित किया जाना चाहिए। In-situ झुग्गी उन्नयन (जैसे PMAY-U के तहत) तथा प्रवासी श्रमिकों हेतु किराया आवास नीति आवश्यक है।

2. आर्थिक विकेंद्रीकरण (Economic Decentralisation)

महानगरों की प्राथमिकता कम करने के लिए द्वितीय श्रेणी के शहरों (Tier-2 cities) को विकास केंद्र (Growth Poles) के रूप में विकसित किया जाए। AMRUT 2.0 इसी दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। SEZ एवं औद्योगिक गलियारे रोजगार के भौगोलिक वितरण में सहायक हैं।

3. स्थानीय शासन को सशक्त बनाना (Empowering ULBs)

74वें संविधान संशोधन (1992) की भावना के अनुरूप नगरीय स्थानीय निकायों (ULBs) को 18 कार्यों का पूर्ण हस्तांतरण, निर्वाचित महापौर को वास्तविक अधिकार एवं नगर-निगमों को स्वयं की राजस्व वसूली (सम्पत्ति कर सुधार, नगरपालिका बॉण्ड) की शक्ति दी जानी चाहिए।

4. हरित एवं लचीली अवसंरचना (Green & Resilient Infrastructure)

नगरीय वन, स्पंज सिटी डिज़ाइन, आर्द्रभूमि संरक्षण एवं सौर ऊर्जा अनिवार्यता जैसे उपाय पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करते हैं। वैज्ञानिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM Rules 2016) का कठोर अनुपालन आवश्यक है।

5. स्मार्ट एवं समावेशी प्रौद्योगिकी (Smart & Inclusive Technology)

GIS आधारित शहरी नियोजन, ICT-सक्षम शिकायत निवारण, डिजिटल सम्पत्ति कर, AI-आधारित यातायात प्रबंधन एवं आपदा पूर्व-चेतावनी प्रणालियाँ शासन को दक्ष बनाती हैं। किन्तु यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि प्रौद्योगिकी समावेशी हो, न कि केवल अभिजात वर्ग के लिए।

6. सामाजिक अवसंरचना एवं कौशल विकास (Social Infrastructure & Skilling)

शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों का कौशल उन्नयन, गिग-वर्करों को सामाजिक सुरक्षा कवच, तथा महिलाओं एवं अल्पसंख्यकों के लिए समावेशी नगर नियोजन अनिवार्य है।

तुलनात्मक उदाहरण (Comparative Examples)

शहर	विशेषता
इंदौर	SWM में सर्वश्रेष्ठ — स्वच्छ सर्वेक्षण में लगातार प्रथम
सूरत	1994 प्लेग के बाद आपदा-सह शासन का आदर्श मॉडल
अहमदाबाद	BRTS, साबरमती रिवरफ्रंट — नियोजित पुनर्विकास
सिंगापुर	विश्व का सर्वश्रेष्ठ नियोजित शहर — हरित, घना, समावेशी
कुरीतिबा (ब्राजील)	पारगमन-उन्मुख विकास का वैश्विक आदर्श

निष्कर्ष (Conclusion)

नगरीकरण न तो रोका जा सकता है, न रोका जाना चाहिए — क्योंकि यह विकास का स्वाभाविक मार्ग है। आवश्यकता है कि इसे **"अनुकूल नगरीकरण"** (Managed Urbanisation) की दिशा दी जाए। 74वें संविधान संशोधन की भावना को वास्तविक रूप देना, SDG-11 के लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता, एवं स्थानीय शासन को सशक्त करना — ये तीन स्तम्भ भारत के सतत शहरी भविष्य की नींव हैं। जैसा कि **Jawaharlal Nehru** ने कहा था — *"शहर राष्ट्र के फेफड़े हैं"* — इन्हें स्वस्थ रखना राष्ट्र-निर्माण की पूर्वशर्त है।

Q15. भारतीय परम्परागत मूल्यों पर आधुनिकीकरण एवं पश्चिमीकरण के प्रभावों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये। Critically evaluate the impact of modernisation and westernisation on the traditional Indian values.

भूमिका (Introduction)

भारत एक **बहुस्तरीय सभ्यता** है जिसकी जड़ें वेद, उपनिषद, बौद्ध दर्शन एवं लोक-परम्पराओं में गहरी हैं। परम्परागत भारतीय मूल्यों में **धर्म, कर्म, अहिंसा, सामूहिकता, वसुधैव कुटुम्बकम्** एवं **ऋणानुबन्ध** (पारस्परिक दायित्व) जैसी अवधारणाएँ केन्द्रीय हैं।

किन्तु 18वीं शताब्दी से प्रारम्भ हुई **औपनिवेशिक प्रक्रिया** तथा उसके बाद की **वैश्वीकरण की लहर** ने इन मूल्यों को दोहरी चुनौती दी — एक ओर **पश्चिमीकरण** (Westernisation) ने बाह्य जीवन-शैली, संस्थाएँ एवं मूल्य आरोपित किए; दूसरी ओर **आधुनिकीकरण** (Modernisation) ने तर्क, विज्ञान एवं व्यक्ति-स्वातन्त्र्य के नए मानदण्ड प्रस्तुत किए। दोनों के प्रभावों का **निष्पक्ष एवं आलोचनात्मक** मूल्यांकन आवश्यक है।

M.N. Srinivas ने "पश्चिमीकरण" को परिभाषित करते हुए कहा — यह ब्रिटिश शासन के 150 वर्षों में भारतीय समाज, संस्थाओं, विचार एवं मूल्यों में आए परिवर्तनों की वह प्रक्रिया है जो पश्चिमी संस्कृति के सम्पर्क से उत्पन्न हुई।

भाग-1: परम्परागत भारतीय मूल्य — एक संक्षिप्त रूपरेखा

मूल्य-क्षेत्र	परम्परागत स्वरूप
पारिवारिक संरचना	संयुक्त परिवार, पितृसत्तात्मक व्यवस्था, अन्तर-पीढ़ीय देखभाल
सामाजिक संगठन	जाति-आधारित श्रम-विभाजन, सामुदायिक एकजुटता
नैतिक मूल्य	अहिंसा, सत्य, दान, सेवा, त्याग
ज्ञान-परम्परा	गुरु-शिष्य परम्परा, श्रुति-स्मृति, मौखिक ज्ञान-संचार
आर्थिक नीति	सहकारिता, न्यूनतम उपभोग, प्रकृति के साथ सामंजस्य
आध्यात्मिक दृष्टि	मोक्ष, कर्म-फल सिद्धान्त, ईश्वर में आस्था

भाग-2: पश्चिमीकरण के प्रभाव — आलोचनात्मक विश्लेषण

2अ. सकारात्मक प्रभाव

i. सामाजिक सुधार एवं कुरीतियों का उन्मूलन पश्चिमी तर्कबुद्धि एवं मानवतावाद ने राममोहन राय, विवेकानन्द एवं अम्बेडकर जैसे सुधारकों को वैचारिक आधार दिया। सती-प्रथा उन्मूलन (1829), विधवा-पुनर्विवाह अधिनियम (1856), एवं अस्पृश्यता के विरुद्ध आन्दोलन पश्चिमी समानता-मूल्यों से प्रेरित थे।

ii. विधि एवं संस्थागत आधुनिकता भारतीय संविधान की संरचना — मौलिक अधिकार, न्यायिक स्वतन्त्रता, संसदीय लोकतन्त्र — पश्चिमी उदारवादी परम्परा से अनुप्राणित है। इसने व्यक्ति-स्वातन्त्र्य एवं विधि के शासन को संस्थागत रूप दिया।

iii. वैज्ञानिक एवं शैक्षिक प्रसार मैकाले की शिक्षा नीति (1835) की आलोचना उचित है, किन्तु आधुनिक विज्ञान, चिकित्सा एवं तकनीकी शिक्षा के प्रसार में पश्चिमी शिक्षा-पद्धति की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता।

2ब. नकारात्मक एवं आलोचनात्मक प्रभाव

i. सांस्कृतिक अवमूल्यन (Cultural Devaluation) पश्चिमीकरण ने भारतीय भाषाओं, लोक-कलाओं एवं ज्ञान-परम्पराओं को हीन दृष्टि से देखने की मानसिकता उत्पन्न की। **Macaulay का "Minute on Education" (1835)** इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है जिसने "अंग्रेजी-दाँ भारतीय" की एक ऐसी पीढ़ी बनाई जो न पूर्णतः पश्चिमी थी, न भारतीय।

ii. उपभोक्तावाद एवं व्यक्तिवाद का आरोपण पश्चिमी उपभोक्ता-संस्कृति ने भारत के **"अपरिग्रह"** (न्यूनतम संचय) एवं **"सादा जीवन उच्च विचार"** जैसे मूल्यों को प्रतिस्थापित किया। सामूहिक उत्तरदायित्व की जगह व्यक्तिगत उपभोग केन्द्रीय हो गया।

iii. पारिवारिक-सामाजिक विघटन एकल परिवार की पश्चिमी अवधारणा ने संयुक्त परिवार की देखभाल-व्यवस्था (वृद्धों, बच्चों की सामूहिक जिम्मेदारी) को कमजोर किया। वृद्धाश्रमों की बढ़ती संख्या इसका सामाजिक प्रमाण है।

भाग-3: आधुनिकीकरण के प्रभाव — आलोचनात्मक विश्लेषण

3अ. सकारात्मक प्रभाव

i. जाति-भेद एवं लैंगिक असमानता में कमी औद्योगीकरण, शहरीकरण एवं शिक्षा के प्रसार ने जाति-आधारित पेशों की कठोरता को शिथिल किया। महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी, उच्च शिक्षा एवं राजनीतिक प्रतिनिधित्व में वृद्धि आधुनिकीकरण की उपलब्धि है।

ii. तर्कबुद्धि एवं वैज्ञानिक सोच आधुनिकीकरण ने अन्धविश्वास, कर्मकाण्डीय रूढ़िवाद एवं ज्योतिष-निर्भरता को चुनौती दी। **वैज्ञानिक चेतना** (Scientific Temper) — जो संविधान के अनुच्छेद 51(A)(h) में मूल कर्तव्य के रूप में वर्णित है — आधुनिकीकरण की देन है।

iii. लोकतान्त्रिक मूल्यों का विस्तार समानता, स्वतन्त्रता एवं बन्धुत्व — ये आधुनिक लोकतान्त्रिक मूल्य — यद्यपि बौद्ध एवं भक्ति-परम्परा में भी विद्यमान थे, किन्तु आधुनिकीकरण ने इन्हें संस्थागत एवं कानूनी रूप दिया।

3ब. नकारात्मक एवं आलोचनात्मक प्रभाव

i. आध्यात्मिक एवं नैतिक शून्यता भौतिक प्रगति के साथ नैतिक मूल्यों का क्षरण हुआ है। **Durkheim** के "Anomie" (मानदण्ड-विघटन) की अवधारणा भारतीय संदर्भ में प्रासंगिक है — तेज़ सामाजिक परिवर्तन ने पुराने मूल्य नष्ट किए, नए अभी स्थापित नहीं हुए।

ii. पर्यावरणीय असंवेदनशीलता भारतीय परम्परा में **"वसुधैव कुटुम्बकम्"** एवं **"प्रकृति-पूजा"** पर्यावरण-चेतना के प्राचीन रूप थे। आधुनिक औद्योगिक विकास ने इस दर्शन को अस्वीकार कर अंधाधुंध प्रकृति-दोहन को प्रोत्साहित किया।

iii. सांस्कृतिक पहचान का संकट Yogendra Singh के अनुसार, भारत में आधुनिकीकरण ने एक "खण्डित आधुनिकता" (Fragmented Modernity) उत्पन्न की — जहाँ तकनीक आधुनिक है, किन्तु जाति-प्रथा, दहेज एवं सांप्रदायिकता यथावत् हैं।

भाग-4: संतुलित एवं समन्वयकारी दृष्टि

आधुनिकीकरण एवं पश्चिमीकरण को **अस्वीकार** करना न व्यावहारिक है, न वांछनीय। आवश्यकता **"सार-ग्रहण एवं असार-त्याग"** की है —

M.K. Gandhi — *"मैं चाहता हूँ कि मेरे घर की खिड़कियाँ सभी दिशाओं से खुली रहें, किन्तु मैं किसी भी हवा से अपने पैर न उखड़ने दूँगा।"*

Swami Vivekananda — *"पश्चिम से विज्ञान और तकनीक लो, पूर्व से आध्यात्मिकता और नैतिकता — यही आदर्श समन्वय है।"*

Dr. B.R. Ambedkar — जाति-व्यवस्था जैसी परम्पराओं की आलोचना करते हुए भी भारतीय बौद्ध परम्परा की समानतावादी विरासत को स्वीकार किया।

"Neo-Vedantic Synthesis" — विवेकानन्द, अरविन्द एवं राधाकृष्णन की परम्परा — यह सिद्ध करती है कि भारतीय मूल्य इतने सशक्त हैं कि वे आधुनिकता को आत्मसात कर सकते हैं, उससे पराजित नहीं होते।

निष्कर्ष (Conclusion)

पश्चिमीकरण एक **बाह्य आरोपण** था, आधुनिकीकरण एक **आन्तरिक आवश्यकता** भी है। भारत की चुनौती यह है कि वह **"परम्परा और परिवर्तन"** के बीच सृजनात्मक तनाव बनाए रखे। जो परम्पराएँ मानवीय गरिमा, समता एवं न्याय की विरोधी हैं — उनका परित्याग आधुनिकता नहीं, **नैतिक अनिवार्यता** है। और जो मूल्य — अहिंसा, सामुदायिकता, प्रकृति-सम्मान — मानवता को दिशा दे सकते हैं, उनका संरक्षण राष्ट्रीय कर्तव्य है।

"The best of the East and the best of the West — not in conflict, but in creative synthesis." — यही भारत का भविष्य-पथ है।

Q16. परिवार, विवाह एवं नातेदारी व्यवस्था पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव दिखाई देता हैं? भारतीय समाज के सन्दर्भ में इसका विश्लेषण कीजिए। What are the visible effects of globalization on family, marriage and kinship system? Analyse with reference to the Indian society.

भूमिका (Introduction)

वैश्वीकरण केवल एक आर्थिक प्रक्रिया नहीं है — यह एक **सर्वग्रासी सांस्कृतिक-सामाजिक शक्ति** है जो व्यक्ति की दैनिक जीवन-शैली, पारिवारिक सम्बन्धों एवं विवाह-संस्था तक को पुनर्परिभाषित कर रही है। भारत में परिवार, विवाह एवं नातेदारी — ये तीनों संस्थाएँ सामाजिक संरचना की **आधारशिला** रही हैं।

Anthony Giddens के अनुसार — *"वैश्वीकरण केवल 'बाहर' की घटना नहीं है; यह 'भीतर' को भी बदल देती है — व्यक्तिगत जीवन, परिवार एवं यौन-पहचान तक को।"*

1991 के आर्थिक उदारीकरण के पश्चात् भारत में वैश्वीकरण की गति तीव्र हुई। इसके फलस्वरूप पारिवारिक संरचना, विवाह-प्रतिमान एवं नातेदारी के स्वरूप में आमूल परिवर्तन परिलक्षित हो रहे हैं। इन परिवर्तनों का **वस्तुनिष्ठ एवं बहुआयामी विश्लेषण** आवश्यक है।

भाग-1: परिवार संस्था पर वैश्वीकरण का प्रभाव

1अ. संयुक्त से एकल परिवार की ओर संक्रमण

भारत की परम्परागत संयुक्त परिवार प्रणाली — जिसमें तीन-चार पीढ़ियाँ एक छत के नीचे निवास करती थीं — वैश्वीकरण के दबाव में तेज़ी से विघटित हो रही है।

कारण:

- रोज़गार हेतु भौगोलिक प्रवासन (IT, BPO, बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ)
- शहरीकरण एवं आवासीय स्थान की सीमितता
- व्यक्तिवादी मूल्यों का उदय (Privacy, Personal Space)
- महिलाओं की आर्थिक स्वतन्त्रता एवं कार्यबल भागीदारी

तथ्य: 2001 की जनगणना में एकल परिवारों की संख्या 70% थी जो 2011 में बढ़कर 74% हो गई। महानगरों में यह अनुपात और अधिक है।

1ब. परिवार के कार्यों में परिवर्तन

परम्परागत कार्य	वैश्वीकरण के बाद की स्थिति

आर्थिक उत्पादन की इकाई	उपभोग की इकाई में रूपान्तरण
शिक्षा एवं समाजीकरण	विद्यालय, मीडिया एवं इंटरनेट ने ले लिया
वृद्धों की देखभाल	वृद्धाश्रम एवं Paid Care Services
धार्मिक-सांस्कृतिक पुनरुत्पादन	वैश्विक Pop Culture से प्रतिस्पर्धा
मनोवैज्ञानिक सुरक्षा	Nuclear Family में एकाकीपन बढ़ा

1ग. नए पारिवारिक स्वरूपों का उदय

वैश्वीकरण ने परिवार की **एकरेखीय परिभाषा** को तोड़ा है। अब भारत में भी नए पारिवारिक स्वरूप उभर रहे हैं —

- **Single-parent families** — विशेषतः तलाक-दर में वृद्धि के कारण
- **Child-free couples** — करियर एवं जीवन-शैली को प्राथमिकता
- **Live-in relationships** — महानगरों में बढ़ती स्वीकार्यता
- **Transnational families** — NRI परिवार जहाँ सदस्य अनेक देशों में हैं
- **Same-sex partnerships** — सुप्रीम कोर्ट के Navtej Johar निर्णय (2018) के बाद

उदाहरण: मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु जैसे महानगरों में PG culture, Co-living spaces का विस्तार — परिवार से बाहर "वैकल्पिक जीवन-व्यवस्था" का प्रमाण।

1घ. वृद्धों की स्थिति एवं अन्तर-पीढ़ीय तनाव

संयुक्त परिवार में वृद्ध **आदरणीय अभिभावक** थे; एकल परिवार में वे **"समस्या"** बन गए हैं। वृद्धाश्रमों की संख्या में तीव्र वृद्धि — जो 2000 में लगभग 700 थी, अब 3000+ हो गई है — इस सामाजिक परिवर्तन का मार्मिक प्रमाण है।

Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 का निर्माण ही इस तथ्य को स्वीकार करता है कि परिवार अब स्वाभाविक रूप से वृद्धों की देखभाल नहीं कर रहा।

भाग-2: विवाह संस्था पर वैश्वीकरण का प्रभाव

2अ. विवाह की आयु एवं प्राथमिकताओं में परिवर्तन

उच्च शिक्षा, करियर-निर्माण एवं आर्थिक स्वावलम्बन की आकांक्षा ने विवाह की औसत आयु बढ़ा दी है। महिलाओं के लिए विशेषतः यह परिवर्तन क्रान्तिकारी है —

तथ्य: भारत में महिलाओं की विवाह की औसत आयु 1990 में 18.3 वर्ष थी जो 2020 में बढ़कर 22.1 वर्ष हो गई। पुरुषों में भी यह वृद्धि 23.3 से 26.1 वर्ष तक हुई।

2ब. अन्तर-जातीय एवं अन्तर-धार्मिक विवाह

वैश्वीकरण ने शैक्षणिक संस्थाओं, कार्यस्थलों एवं डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से विभिन्न जातियों एवं धर्मों के युवाओं को परस्पर मिलने के अवसर दिए हैं। इससे **Love marriages एवं Inter-caste marriages** की दर में वृद्धि हुई है।

तथ्य: IHDS (India Human Development Survey) के अनुसार, भारत में Inter-caste विवाह की दर अभी भी केवल 5-7% है, किन्तु महानगरों में यह 15-20% तक पहुँच रही है।

विरोधाभास: एक ओर Matrimonial websites (Shaadi.com, BharatMatrimony) जो जाति-आधारित मिलान को डिजिटल रूप देती हैं — यह दर्शाता है कि वैश्वीकरण ने परम्परागत ढाँचों को **तोड़ा कम, डिजिटल किया अधिक।**

2ग. तलाक-दर एवं वैवाहिक अस्थिरता

वैश्वीकरण ने विवाह को **"पवित्र संस्कार"** की जगह **"सामाजिक अनुबन्ध"** के रूप में पुनर्परिभाषित किया है। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, आर्थिक स्वावलम्बन एवं सामाजिक कलंक में कमी के कारण तलाक की दर बढ़ रही है।

तथ्य: भारत में तलाक-दर 1990 में प्रति 1000 विवाह पर 7 थी जो 2020 में 13 हो गई। मुंबई फैमिली कोर्ट में 2022 में 14,000+ तलाक के मामले दर्ज हुए।

2घ. विवाह-विलम्ब एवं "Never-married" प्रवृत्ति

महानगरों में युवाओं में **"विवाह संस्था से मोहभंग"** की प्रवृत्ति उभर रही है। करियर, स्वतन्त्रता एवं व्यक्तिगत विकास को विवाह से अधिक प्राथमिकता दी जा रही है। यह पश्चिमी देशों में पहले घटित हुआ, अब भारत के महानगरों में दिखने लगा है।

2ङ. Matrimonial Economy का उदय

वैश्वीकरण ने विवाह को एक **उद्योग** बना दिया है — Wedding Planning, Destination Weddings, Bridal Fashion Industry, Catering Chains। भारत का Wedding Industry 2023 में लगभग $130 billion का हो चुका है।

विरोधाभास: विवाह अधिक "व्यक्तिगत पसन्द" बना, किन्तु साथ ही अधिक "उपभोक्तावादी प्रदर्शन" भी।

भाग-3: नातेदारी व्यवस्था पर वैश्वीकरण का प्रभाव

3अ. नातेदारी के कार्यों का ह्रास

परम्परागत भारतीय समाज में नातेदारी (Kinship) — **आर्थिक सहयोग, सामाजिक सुरक्षा, राजनीतिक गठबन्धन एवं विवाह-निर्धारण** — सभी का आधार थी। वैश्वीकरण ने इन कार्यों को बाज़ार एवं राज्य को हस्तांतरित कर दिया है।

नातेदारी कार्य	आज का विकल्प
आर्थिक सहयोग	बैंक, बीमा, SIP
सामाजिक सुरक्षा	सरकारी योजनाएँ, NGO
विवाह-निर्धारण	Matrimonial Apps, Dating Apps
भावनात्मक समर्थन	Social Media, Therapy, Counselling

3ब. "Fictive Kinship" एवं नए सामाजिक नेटवर्क

वैश्वीकरण ने जैविक नातेदारी को कमजोर किया, किन्तु साथ ही **"Fictive Kinship"** — मित्र, सहकर्मी, WhatsApp Groups, Online Communities — के नए स्वरूप उभरे हैं। Giddens इसे **"Friendship as the New Kinship"** कहते हैं।

3ग. Diaspora एवं Transnational Kinship

वैश्वीकरण ने **Transnational Kinship Networks** को जन्म दिया है जहाँ नातेदारी सम्बन्ध राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर जाते हैं। NRI परिवारों में Remittances (धन-प्रेषण), Video Calls एवं Virtual Family Gatherings नातेदारी के नए स्वरूप हैं।

उदाहरण: भारत 2023 में $125 billion की Remittances प्राप्त कर विश्व में प्रथम रहा — यह Transnational Kinship की आर्थिक शक्ति का प्रमाण है।

3घ. जाति-आधारित नातेदारी का द्वन्द्व

वैश्वीकरण ने जाति-आधारित नातेदारी को चुनौती दी है, किन्तु **पूर्णतः समाप्त नहीं किया।** ग्रामीण क्षेत्रों में Khap Panchayats, जाति-पंचायतें अभी भी सक्रिय हैं। शहरी मध्यवर्ग में जाति की "Private" भूमिका (विवाह में जाति-वरीयता) यथावत् है।

Dipankar Gupta इसे **"Verticalization of Caste"** कहते हैं — जाति का सार्वजनिक महत्त्व घटा, किन्तु निजी जीवन में वह अभी भी जीवित है।

भाग-4: आलोचनात्मक मूल्यांकन — क्या खोया, क्या पाया?

जो सकारात्मक हुआ:

- महिलाओं को विवाह, परिवार एवं नातेदारी में अधिक **agency** मिली
- जाति-कठोरता में आंशिक शिथिलता
- व्यक्तिगत स्वतन्त्रता एवं जीवन-शैली विकल्पों में वृद्धि
- LGBTQ+ समुदाय की सामाजिक स्वीकार्यता में प्रारम्भिक वृद्धि

जो चिन्ताजनक है:

- वृद्धों एवं बच्चों की **सामाजिक देखभाल का संकट**
- अन्तर-पीढ़ीय सांस्कृतिक (Cultural Disconnect)
- शहर-ग्रामीण विभाजन — परिवर्तन असमान एवं द्विखण्डित
- उपभोक्तावादी विवाह-संस्कृति में भावनात्मक सम्बन्धों का वस्तुकरण
- मानसिक स्वास्थ्य संकट — एकाकीपन, अवसाद, Relationship Anxiety

Kredoz IAS

निष्कर्ष (Conclusion)

वैश्वीकरण ने भारतीय परिवार, विवाह एवं नातेदारी को **"संकट में"** नहीं डाला — उसे **"रूपान्तरित"** किया है। यह रूपान्तरण न पूर्णतः नकारात्मक है, न पूर्णतः सकारात्मक। **Patricia Uberoi** के शब्दों में — *"भारतीय परिवार न टूट रहा है, वह बदल रहा है — और इस बदलाव में भारतीय समाज की अद्भुत अनुकूलनशीलता परिलक्षित होती है।"*

आवश्यकता इस बात की है कि परिवर्तन की इस प्रक्रिया में **लैंगिक न्याय, अन्तर-पीढ़ीय सम्मान एवं सामाजिक एकजुटता** के मूल्यों को सुरक्षित रखा जाए। वैश्वीकरण की शर्तों पर नहीं, भारतीय समाज की **अपनी शर्तों पर** यह परिवर्तन हो — यही सबसे बड़ी चुनौती एवं अपेक्षा है।

Q17. भारत के वन संसाधनों का परीक्षण कीजिये तथा उन संरक्षण सिद्धान्तों को समझाइये जो देश की वन सम्पदा के विकास में प्रयुक्त किये जा सकते है। Examine the forest resources of India and explain the principles of conservation which could be applied to improve the forest wealth of India.

भूमिका (Introduction)

वन किसी भी राष्ट्र की **"हरित सम्पदा"** होते हैं — वे केवल लकड़ी एवं औषधि के स्रोत नहीं, अपितु **जलवायु नियमन, जैव-विविधता संरक्षण, मृदा सुरक्षा एवं करोड़ों आदिवासियों की आजीविका** के आधार हैं। भारत विश्व के 17 **"Megadiverse"** देशों में से एक है।

Champaran से Chipko तक — भारत में वन-संरक्षण की एक सशक्त जन-परम्परा रही है। किन्तु स्वतन्त्रता के पश्चात् विकास की अन्धी दौड़ में वनों का अभूतपूर्व दोहन हुआ।

राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के **33%** भाग पर वन होने चाहिए — किन्तु वास्तविकता इससे बहुत दूर है। ऐसे में वन संसाधनों की वर्तमान स्थिति का परीक्षण एवं संरक्षण सिद्धान्तों की समझ अत्यन्त प्रासंगिक है।

भाग-1: भारत के वन संसाधन — वर्तमान स्थिति का परीक्षण

1अ. वन आवरण — मात्रा एवं वितरण

India State of Forest Report (ISFR) 2021 के अनुसार —

वर्ग	क्षेत्रफल	कुल भौगोलिक क्षेत्र का %
कुल वन एवं वृक्ष आवरण	8,09,537 वर्ग कि.मी.	24.62%
वन आवरण (Forest Cover)	7,13,789 वर्ग कि.मी.	21.71%
घने वन (Dense Forest)	99,779 वर्ग कि.मी.	3.04%
मध्यम घने वन	3,06,890 वर्ग कि.मी.	9.33%
खुले वन (Open Forest)	3,07,120 वर्ग कि.मी.	9.34%
वृक्ष आवरण (Tree Cover)	95,748 वर्ग कि.मी.	2.91%

तथ्य: राष्ट्रीय वन नीति के 33% लक्ष्य के सापेक्ष वास्तविक वन आवरण मात्र 21.71% है — **11.29% की कमी** अभी भी बनी हुई है।

1ब. वन आवरण में वृद्धि — उत्साहजनक संकेत

ISFR 2021 के अनुसार 2019 की तुलना में वन एवं वृक्ष आवरण में **2,261 वर्ग कि.मी.** की वृद्धि हुई। **आन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा** में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई।

1ग. राज्यवार वन वितरण — असमानता

सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य	न्यूनतम वन आवरण
मध्यप्रदेश — 77,482 वर्ग कि.मी.	हरियाणा — 3.62%
अरुणाचल प्रदेश — 66,431 वर्ग कि.मी.	पंजाब — 3.67%
छत्तीसगढ़ — 55,611 वर्ग कि.मी.	राजस्थान — 4.87%
ओडिशा — 51,619 वर्ग कि.मी.	—

उत्तर-पूर्व भारत में भौगोलिक क्षेत्र का 65%+ वनाच्छादित है, किन्तु यहाँ **Shifting Cultivation (Jhum)** एवं अवैध कटाई से वन क्षेत्र तेज़ी से घट रहा है।

1घ. वनों के प्रकार — वर्गीकरण

Champion & Seth (1968) के वर्गीकरण के अनुसार भारत में 16 प्रकार के वन हैं, जिन्हें प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है —

i. उष्णकटिबन्धीय वर्षा वन (Tropical Rainforests) अण्डमान-निकोबार, पश्चिमी घाट, उत्तर-पूर्व भारत में पाए जाते हैं। अत्यधिक जैव-विविधता, सदाबहार वृक्ष (Rosewood, Ebony, Mahogany)।

ii. उष्णकटिबन्धीय पर्णपाती वन (Tropical Deciduous Forests) भारत में सर्वाधिक विस्तृत वन प्रकार। मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, ओडिशा। सागौन (Teak), साल, शीशम प्रमुख वृक्ष। **"आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण"** वन।

iii. उष्णकटिबन्धीय काँटेदार वन (Tropical Thorn Forests) राजस्थान, गुजरात, उत्तरप्रदेश के शुष्क क्षेत्र। बबूल, खेजड़ी, कैक्टस।

iv. पर्वतीय वन (Montane Forests) हिमालय की तलहटी से शिखर तक — Subtropical → Temperate → Alpine का क्रमिक परिवर्तन। चीड़, देवदार, ओक, रोडोडेण्ड्रन।

v. मैंग्रोव वन (Mangrove Forests) सुन्दरवन (पश्चिम बंगाल) — विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन। तटीय सुरक्षा, मत्स्य-पालन एवं तूफ़ान-अवरोध में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण।

1ङ. वनों पर दबाव — प्रमुख चुनौतियाँ

i. वनोन्मूलन (Deforestation) कृषि विस्तार, खनन, बाँध-निर्माण एवं अवसंरचना परियोजनाओं के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई। भारत में प्रतिवर्ष अनुमानतः **1.5 लाख हेक्टेयर** वन नष्ट हो रहे हैं।

ii. अतिक्रमण एवं अवैध कटाई वन-क्षेत्रों पर आदिवासी एवं गैर-आदिवासी अतिक्रमण। माफिया द्वारा अवैध लकड़ी-व्यापार।

iii. वन-अग्नि (Forest Fires) उत्तराखण्ड, हिमाचल, ओडिशा में प्रतिवर्ष व्यापक वन-अग्नि। जलवायु परिवर्तन से इसकी आवृत्ति एवं तीव्रता बढ़ रही है।

iv. आक्रामक प्रजातियाँ (Invasive Species) Lantana camara, Eupatorium जैसी विदेशी प्रजातियाँ देशी वनस्पति को नष्ट कर रही हैं।

v. मानव-वन्यजीव संघर्ष वन-सिकुड़न के कारण हाथी, बाघ, तेंदुए मानव-बस्तियों में घुसने को विवश हैं।

भाग-2: वन संरक्षण के सिद्धान्त

सिद्धान्त-1: सतत उपयोग का सिद्धान्त (Principle of Sustainable Use)

वन का उपयोग इस प्रकार हो कि **वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताएँ पूरी हों, किन्तु भावी पीढ़ी की क्षमता से समझौता न हो।** यह **Brundtland Commission (1987)** की "Sustainable Development" की परिभाषा का सार है।

व्यावहारिक अनुप्रयोग:

- Scientific Felling — जितनी लकड़ी काटी जाए, उससे अधिक रोपी जाए
- Selective Logging — केवल परिपक्व वृक्षों की कटाई
- Non-Timber Forest Products (NTFP) को प्राथमिकता — लकड़ी से अधिक शहद, औषधि, गोंद, रेशम
- **Working Plans** के माध्यम से वन-चक्र का वैज्ञानिक प्रबन्धन

सिद्धान्त-2: जैव-विविधता संरक्षण का सिद्धान्त (Principle of Biodiversity Conservation)

वन केवल लकड़ी के भण्डार नहीं, **जीवन के भण्डार** हैं। भारत में 45,000+ पादप प्रजातियाँ एवं 90,000+ जन्तु प्रजातियाँ पाई जाती हैं।

व्यावहारिक अनुप्रयोग:

- **Protected Area Network** — National Parks (106), Wildlife Sanctuaries (573), Biosphere Reserves (18)
- **Project Tiger (1973)** — 53 Tiger Reserves; बाघों की संख्या 1973 के 1827 से बढ़कर 2022 में 3167
- **Project Elephant (1992)** — हाथी संरक्षण
- **In-situ एवं Ex-situ** दोनों संरक्षण विधियों का समन्वय
- **Biological Diversity Act, 2002** का प्रभावी क्रियान्वयन

सिद्धान्त-3: सहभागी प्रबन्धन का सिद्धान्त (Principle of Participatory Management)

वन संरक्षण केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं हो सकता — **स्थानीय समुदायों, आदिवासियों एवं वन-निर्भर जनता की सक्रिय भागीदारी** अनिवार्य है।

व्यावहारिक अनुप्रयोग:

- **Joint Forest Management (JFM)** — 1988 की राष्ट्रीय वन नीति के बाद प्रारम्भ; अब 1.18 लाख JFM Committees
- **Forest Rights Act (FRA), 2006** — आदिवासियों को वन-भूमि पर अधिकार; सामुदायिक वन अधिकार
- **Van Panchayats** — उत्तराखण्ड की परम्परागत वन-स्वशासन व्यवस्था
- **Chipko आन्दोलन (1973)** — गौरादेवी एवं सुन्दरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में वृक्ष-आलिंगन आन्दोलन — सहभागी संरक्षण का ऐतिहासिक उदाहरण

उदाहरण: ओडिशा के **Niyamgiri** के डोंगरिया कोंध आदिवासियों ने अपने वनों को खनन-कम्पनी से बचाया — यह सिद्ध करता है कि समुदाय सर्वश्रेष्ठ वन-संरक्षक होते हैं।

सिद्धान्त-4: पारिस्थितिक पुनर्स्थापना का सिद्धान्त (Principle of Ecological Restoration)

जो वन नष्ट हो चुके हैं, उन्हें वैज्ञानिक विधियों से **पुनर्स्थापित** करना आवश्यक है।

व्यावहारिक अनुप्रयोग:

- **Compensatory Afforestation** — CAMPA Fund के माध्यम से; किन्तु "Net Present Value" का भुगतान मात्र पर्याप्त नहीं
- **Miyawaki Method** — जापानी तकनीक द्वारा घने देशी वनों का तीव्र पुनर्निर्माण; मुम्बई, हैदराबाद में सफल प्रयोग
- **Degraded Land Restoration** — भारत ने UNCCD को 2030 तक 2.6 करोड़ हेक्टेयर भूमि पुनर्स्थापित करने की प्रतिबद्धता दी है
- **Watershed Management** — वन-पुनर्स्थापना एवं जल-संरक्षण का समन्वय

सिद्धान्त-5: "प्रदूषक भुगतान करे" एवं "उपयोगकर्ता भुगतान करे" सिद्धान्त (Polluter Pays & User Pays Principle)

वनों से लाभ उठाने वाले उद्योग एवं व्यक्ति — **वनों के संरक्षण की लागत भी वहन करें।**

व्यावहारिक अनुप्रयोग:

- **Ecosystem Services Valuation** — वनों की आर्थिक मूल्य-निर्धारण (carbon sequestration, water recharge, biodiversity)

- **REDD+** (Reducing Emissions from Deforestation & Forest Degradation) — अन्तर्राष्ट्रीय कार्बन-क्रेडिट तन्त्र
- **Green GDP** की अवधारणा को राष्ट्रीय लेखांकन में शामिल करना
- **Payment for Ecosystem Services (PES)** — वन-संरक्षकों को प्रत्यक्ष भुगतान

सिद्धान्त-6: समन्वित वन प्रबन्धन का सिद्धान्त (Principle of Integrated Forest Management)

वन प्रबन्धन **एकल-उद्देश्यीय** (केवल लकड़ी या केवल वन्यजीव) नहीं, बल्कि **बहु-उद्देश्यीय** होना चाहिए।

व्यावहारिक अनुप्रयोग:

- **Agroforestry** — कृषि एवं वन का समन्वय; NITI Aayog ने 2030 तक 4.5 करोड़ हेक्टेयर कृषि-वन का लक्ष्य रखा
- **Social Forestry** — सड़कों, नहरों के किनारे वृक्षारोपण
- **Urban Forestry** — शहरी ताप-द्वीप समस्या के समाधान हेतु
- **Eco-Tourism** — वन से आय एवं संरक्षण का समन्वय (Kerala, Uttarakhand के सफल मॉडल)

सिद्धान्त-7: विधिक एवं संस्थागत सुदृढ़ता का सिद्धान्त (Legal & Institutional Strengthening)

प्रमुख विधायी प्रावधान:

कानून/नीति	वर्ष	प्रमुख प्रावधान
Indian Forest Act	1927	Reserved, Protected & Village Forests का वर्गीकरण
Wildlife Protection Act	1972	वन्यजीव संरक्षण, शिकार-निषेध
Forest Conservation Act	1980	वन-भूमि के गैर-वन उपयोग पर नियन्त्रण
National Forest Policy	1988	33% वन आवरण लक्ष्य, JFM
Forest Rights Act	2006	आदिवासी अधिकार, सामुदायिक वन
CAMPA Act	2016	प्रतिपूरक वनीकरण निधि

सुप्रीम कोर्ट का T.N. Godavarman Case (1996) — वन-संरक्षण में न्यायिक सक्रियता का ऐतिहासिक उदाहरण। न्यायालय ने "वन" की व्यापक परिभाषा दी एवं अनाधिकृत कटाई पर रोक लगाई।

सिद्धान्त-8: जलवायु-संवेदनशील वन प्रबन्धन (Climate-Sensitive Forest Management)

वन एवं जलवायु परिवर्तन परस्पर प्रभावित करते हैं — **वन कार्बन सिंक हैं, किन्तु जलवायु परिवर्तन से स्वयं वन भी संकट में हैं।**

व्यावहारिक अनुप्रयोग:

- **India's NDC** — 2030 तक 2.5-3 अरब टन CO_2 equivalent का अतिरिक्त कार्बन सिंक वन एवं वृक्ष आवरण से निर्मित करना

- **Green India Mission** — National Action Plan on Climate Change के 8 मिशनों में से एक; 10 मिलियन हेक्टेयर वन पुनर्स्थापना लक्ष्य
- वन-अग्नि प्रबन्धन हेतु **Early Warning Systems** एवं Satellite Monitoring

भारतीय परम्परा में वन-संरक्षण

भारत में वन-संरक्षण केवल आधुनिक नीति नहीं — यह **सांस्कृतिक विरासत** है —

- **"अरण्य"** (वन) को भारतीय संस्कृति में पवित्र माना गया — ऋषि-आश्रम वनों में थे
- **"Sacred Groves" (देववन/ओरान)** — राजस्थान, केरल, मेघालय में हज़ारों पवित्र वन-खण्ड जो सदियों से अछूते हैं
- **बिश्नोई समुदाय** — 1730 में अमृता देवी के नेतृत्व में 363 लोगों ने खेजड़ी वृक्षों की रक्षा में प्राण दिए — **"वृक्ष रक्षार्थे शीश कटावे"**
- **अथर्ववेद** — *"माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः"* (पृथ्वी माता है, मैं उसका पुत्र हूँ)

निष्कर्ष (Conclusion)

भारत के वन संसाधन **विशाल किन्तु दबावग्रस्त** हैं। 21.71% वन आवरण 33% के लक्ष्य से दूर है। किन्तु Project Tiger की सफलता, JFM का विस्तार एवं Miyawaki जैसी नवीन तकनीकें आशा का संचार करती हैं।

"वनों को बचाना केवल पर्यावरण की नहीं, सभ्यता की रक्षा है।" — सुन्दरलाल बहुगुणा

वन-संरक्षण के लिए **"State-Community-Market"** त्रिकोण का समन्वय, परम्परागत ज्ञान एवं आधुनिक विज्ञान का संयोजन, तथा **"Rights with Responsibilities"** का सन्तुलन — यही भारत की वन-सम्पदा के दीर्घकालिक विकास की कुंजी है।

Q18. शरणार्थियों एवं घुसपैठियों में भेद कीजिए। शरणार्थियों की सुरक्षा और सहायता के लिए भारत सरकार ने कौन-से कदम उठाये है? Differentiate between refugees and infiltrators. What steps have been taken by the Government of India for the security and assistance of refugees?

भूमिका (Introduction)

विश्व आज एक **विस्थापन के महासंकट** से गुज़र रहा है। UNHCR 2023 के अनुसार विश्व में **11 करोड़ से अधिक** लोग जबरन विस्थापित हैं — यह द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद का सर्वोच्च आँकड़ा है। भारत, अपनी **भौगोलिक स्थिति, सांस्कृतिक विविधता एवं लोकतान्त्रिक मूल्यों** के कारण, विश्व के सर्वाधिक शरणार्थी-प्रभावित देशों में से एक रहा है।

किन्तु **"शरणार्थी"** एवं **"घुसपैठिया"** — ये दोनों शब्द प्रायः भ्रमित करने वाले हैं। इन दोनों में स्पष्ट विभेद करना — **कानूनी, नैतिक एवं नीतिगत** — अत्यन्त आवश्यक है। साथ ही भारत सरकार द्वारा शरणार्थियों के लिए उठाए गए कदमों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन भी प्रासंगिक है।

Elie Wiesel (नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता) — *"कोई भी व्यक्ति शरणार्थी नहीं बनना चाहता — यह उसकी मजबूरी होती है, उसकी पसन्द नहीं।"*

भाग-1: शरणार्थी एवं घुसपैठिये में भेद

1अ. परिभाषाएँ

शरणार्थी (Refugee) की परिभाषा:

1951 के Geneva Convention के अनुसार — *"शरणार्थी वह व्यक्ति है जो जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, किसी विशेष सामाजिक समूह की सदस्यता अथवा राजनीतिक विचारधारा के आधार पर उत्पीड़न के **सुस्थापित भय** के कारण अपना देश छोड़ने पर विवश हो तथा जो अपने देश की सुरक्षा प्राप्त करने में असमर्थ हो।"*

घुसपैठिया (Infiltrator) की परिभाषा:

घुसपैठिया वह व्यक्ति है जो **बिना वैध दस्तावेज़, बिना अनुमति एवं गुप्त रूप से** किसी दूसरे देश की सीमा में प्रवेश करता है। इसके पीछे आर्थिक लाभ, राष्ट्र-विरोधी गतिविधियाँ अथवा अन्य अनुचित उद्देश्य हो सकते हैं।

1ब. तुलनात्मक विश्लेषण

आधार	शरणार्थी (Refugee)	घुसपैठिया (Infiltrator)
प्रवेश का कारण	उत्पीड़न, युद्ध, हिंसा, प्राकृतिक आपदा से भय	आर्थिक लाभ, अवैध व्यापार, जासूसी, आतंकवाद
प्रवेश की प्रकृति	विवशता एवं भय के कारण	स्वैच्छिक एवं सुनियोजित
दस्तावेज़ स्थिति	प्रायः दस्तावेज़-विहीन, किन्तु सुरक्षा का दावा करता है	जानबूझकर बिना दस्तावेज़ के प्रवेश
अन्तर्राष्ट्रीय संरक्षण	1951 Geneva Convention के तहत संरक्षण का अधिकार	कोई अन्तर्राष्ट्रीय संरक्षण नहीं
UNHCR की भूमिका	UNHCR पंजीयन एवं सुरक्षा	कोई भूमिका नहीं
Non-Refoulement सिद्धान्त	लागू — उत्पीड़न वाले देश वापस नहीं भेजा जा सकता	लागू नहीं — निर्वासन (Deportation) संभव
राष्ट्रीय सुरक्षा	प्रायः कोई खतरा नहीं; पीड़ित वर्ग	प्रायः राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संभावित खतरा
कानूनी दर्जा	शरणार्थी दर्जा (Refugee Status) प्राप्त करने का अधिकार	अवैध अप्रवासी (Illegal Immigrant)
भारतीय उदाहरण	तिब्बती, श्रीलंकाई तमिल, म्यांमार के रोहिंग्या (विवादित)	बांग्लादेशी अवैध प्रवासी, पाकिस्तानी संदिग्ध
नैतिक दायित्व	मानवीय सहायता एवं सुरक्षा अनिवार्य	विधि के अनुसार कार्यवाही

1ग. व्यावहारिक जटिलताएँ — भेद क्यों कठिन है?

यद्यपि सैद्धान्तिक भेद स्पष्ट है, व्यवहार में यह अत्यन्त जटिल है —

i. बांग्लादेश से आने वाले व्यक्ति — कुछ 1971 के युद्ध पीड़ित थे, कुछ आर्थिक प्रवासी। **वर्गीकरण कठिन।**

ii. रोहिंग्या — म्यांमार में उत्पीड़ित, किन्तु भारत ने उन्हें "घुसपैठिया" घोषित किया। **UNHCR एवं भारत सरकार में मतभेद।**

iii. अफ़ग़ान शरणार्थी — तालिबान शासन के बाद 2021 में आए; कुछ के पास UNHCR कार्ड, कुछ के पास नहीं।

"The line between a refugee and an economic migrant is not always clear — it is often a spectrum, not a binary." — UNHCR

भाग-2: भारत एवं शरणार्थी — संदर्भ एवं विविधता

2अ. भारत में प्रमुख शरणार्थी समूह

शरणार्थी समूह	मूल देश	अनुमानित संख्या	प्रमुख राज्य
तिब्बती	चीन (1959 से)	~72,000	हिमाचल, उत्तराखण्ड, कर्नाटक
श्रीलंकाई तमिल	श्रीलंका (1983 से)	~58,000	तमिलनाडु
चकमा-हाजोंग	बांग्लादेश (1964 से)	~65,000	अरुणाचल प्रदेश
अफ़ग़ान	अफ़ग़ानिस्तान	~16,000	दिल्ली, राजस्थान
रोहिंग्या	म्यांमार	~40,000 (UNHCR पंजीकृत)	दिल्ली, जम्मू, हैदराबाद
म्यांमार	म्यांमार (2021 coup)	~20,000+	मिज़ोरम, मणिपुर

भाग-3: भारत सरकार के कदम — शरणार्थी सुरक्षा एवं सहायता

3अ. विधायी एवं नीतिगत ढाँचा

i. भारत की असाधारण स्थिति

भारत **1951 के Geneva Convention** तथा **1967 के Protocol** का हस्ताक्षरकर्ता **नहीं** है। इसके बावजूद भारत ने **मानवीय परम्परा** एवं **संवैधानिक मूल्यों** के आधार पर शरणार्थियों की सहायता की है।

संविधान का अनुच्छेद 21 — "प्राण एवं दैहिक स्वतन्त्रता का अधिकार" सभी व्यक्तियों (नागरिक एवं विदेशी) को प्राप्त है। सुप्रीम कोर्ट ने **NHRC v. State of Arunachal Pradesh (1996)** में कहा कि चकमा शरणार्थियों को अनुच्छेद 21 का संरक्षण मिलेगा।

ii. Foreigners Act, 1946 विदेशियों के प्रवेश, उपस्थिति एवं निर्वासन का प्राथमिक कानून। शरणार्थियों को इसी के अन्तर्गत प्रबन्धित किया जाता है।

iii. Registration of Foreigners Act, 1939 भारत में प्रवेश करने वाले विदेशियों का पंजीयन अनिवार्य।

iv. Citizenship Amendment Act (CAA), 2019 पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं अफ़गानिस्तान के **हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी एवं ईसाई** अल्पसंख्यकों को — जो 31 दिसम्बर 2014 से पहले भारत आए — नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान। यह धार्मिक उत्पीड़न पीड़ित शरणार्थियों के लिए एक **विशेष नीतिगत कदम** है।

3ब. विशिष्ट शरणार्थी समूहों के लिए उठाए गए कदम

i. तिब्बती शरणार्थी

1959 में दलाई लामा के भारत आगमन के बाद भारत सरकार ने **धर्मशाला (हिमाचल प्रदेश)** को तिब्बती सरकार-निर्वासन का मुख्यालय बनने दिया।

- **Tibetan Rehabilitation Policy, 2014** — आवास, रोज़गार, शिक्षा सुविधाएँ
- **Central Tibetan Schools Administration (CTSA)** — तिब्बती बच्चों हेतु शिक्षा
- **Tibetan Settlements** — कर्नाटक, उत्तराखण्ड में 70+ बस्तियाँ
- व्यापार एवं व्यवसाय हेतु **Registration Certificate (RC)** प्रदान करना

ii. श्रीलंकाई तमिल शरणार्थी

1983 के जातीय हिंसा के बाद लाखों तमिल शरणार्थी भारत आए।

- तमिलनाडु में **232 Refugee Camps** — 57,000+ शरणार्थियों हेतु
- **मासिक वित्तीय सहायता** — ₹1,500 प्रति व्यक्ति (हालाँकि यह अपर्याप्त है)
- **मुफ्त शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ** तमिलनाडु सरकार द्वारा
- **Voluntary Repatriation** — स्वैच्छिक वापसी का विकल्प; 1995 से लगभग 40,000 वापस लौटे
- **India-Sri Lanka Joint Working Group** — शरणार्थी प्रबन्धन हेतु द्विपक्षीय तन्त्र

iii. चकमा-हाजोंग शरणार्थी

1964-65 में तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में कापतई बाँध-निर्माण एवं धार्मिक उत्पीड़न से विस्थापित।

- **सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय (1996)** — चकमाओं को नागरिकता के आवेदन का अधिकार
- **CAA 2019** के अन्तर्गत नागरिकता का मार्ग प्रशस्त
- किन्तु अरुणाचल के स्थानीय समुदायों के विरोध के कारण पूर्ण पुनर्वास अभी भी अधूरा

iv. अफ़गान शरणार्थी (2021 के बाद)

तालिबान के पुनः सत्तारोहण के बाद भारत ने —

- **e-Emergency X-Misc Visa** — अफ़गान हिन्दुओं, सिखों एवं अन्य अल्पसंख्यकों हेतु

- **Operation Devi Shakti** — अफ़गानिस्तान से भारतीय नागरिकों एवं अफ़गान साझेदारों की निकासी
- UNHCR के साथ समन्वय में शरणार्थी पंजीयन की अनुमति

v. म्यांमार शरणार्थी (2021 Military Coup के बाद)

- मिज़ोरम एवं मणिपुर सरकारों ने मानवीय आधार पर सीमा-पार आने वाले शरणार्थियों को आश्रय दिया
- केन्द्र-राज्य में **नीतिगत तनाव** — केन्द्र ने सख्त सीमा-नीति अपनाई, राज्यों ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाया
- **India-Myanmar Free Movement Regime (FMR)** का निलम्बन (2023) — सीमा प्रबन्धन को कड़ा किया

3ग. संस्थागत एवं प्रशासनिक तन्त्र

i. UNHCR के साथ सहयोग भारत ने UNHCR को दिल्ली में कार्यालय स्थापित करने की अनुमति दी है। UNHCR शरणार्थियों का **पंजीयन, Refugee Status Determination (RSD)** एवं पुनर्वास में सहायता करता है। 2023 में भारत में UNHCR-पंजीकृत शरणार्थियों की संख्या लगभग **2.08 लाख** है।

ii. गृह मन्त्रालय (MHA) शरणार्थी प्रबन्धन का प्रमुख मन्त्रालय। Long Term Visa (LTV), Residential Permit एवं अन्य दस्तावेज़ जारी करने का अधिकार।

iii. राज्य सरकारों की भूमिका भारत में शरणार्थी प्रबन्धन **केन्द्र-राज्य साझेदारी** पर निर्भर है। तमिलनाडु (श्रीलंकाई तमिल), हिमाचल (तिब्बती), मिज़ोरम (म्यांमार) की सरकारें प्रत्यक्ष सहायता प्रदान करती हैं।

3घ. UNHCR एवं भारत की नीति की आलोचनात्मक समीक्षा

सकारात्मक पहलू	चिन्ताजनक पहलू
Geneva Convention न होते हुए भी मानवीय सहायता	कोई राष्ट्रीय शरणार्थी कानून नहीं — ad-hoc नीति
तिब्बतियों को दशकों से आश्रय	रोहिंग्या को "खतरा" मानकर निर्वासन प्रयास
CAA द्वारा विशेष वर्गों को नागरिकता मार्ग	CAA मुस्लिम शरणार्थियों को बाहर करता है — भेदभाव का आरोप
UNHCR के साथ सहयोग	RSD प्रक्रिया अत्यन्त धीमी एवं अनिश्चित
संवैधानिक न्यायपालिका की सक्रियता	शरणार्थियों की आजीविका, स्वास्थ्य पर पर्याप्त ध्यान नहीं

भारतीय दर्शन एवं शरणार्थी

भारत की शरणार्थी-सहायता की परम्परा कोई आधुनिक नीतिगत आविष्कार नहीं —

"अतिथि देवो भव" — अथर्ववेद की यह उक्ति भारतीय आतिथ्य-परम्परा का सार है।

- 8वीं शताब्दी में **पारसियों** को भारत ने आश्रय दिया — आज भारत में 60,000+ पारसी हैं
- **यहूदी समुदाय** को केरल के Cochin में 2000 वर्ष पहले आश्रय मिला

- **तिब्बती बौद्धों** को 1959 में आश्रय — "भारत की सबसे बड़ी मानवीय कूटनीति"

निष्कर्ष (Conclusion)

शरणार्थी एवं घुसपैठिये के बीच **स्पष्ट विधिक एवं नैतिक भेद** अनिवार्य है — एक पीड़ित है, दूसरा संभावित खतरा। भारत को **एक व्यापक राष्ट्रीय शरणार्थी कानून** की तत्काल आवश्यकता है जो — मानवीय सुरक्षा, राष्ट्रीय हित एवं अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों का सन्तुलन स्थापित करे।

"A nation's greatness is measured not only by its GDP, but by how it treats the most vulnerable at its borders."

भारत की **"Vasudhaiva Kutumbakam"** की परम्परा यही कहती है कि शरणार्थी समस्या मानवता की समस्या है — और मानवता का उत्तर करुणा, न्याय एवं गरिमा में निहित है।

Q19. "भारत का महाद्वीपीय मग्नतट खनिज और ऊर्जा का भण्डार है"। उपयुक्त उदाहरणों के साथ इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये। "India's continental shelf is a store house of mineral and energy resources". Critically examine this statement with suitable examples.

भूमिका (Introduction)

महाद्वीपीय मग्नतट (Continental Shelf) किसी देश के तटवर्ती क्षेत्र का वह उथला समुद्री भाग है जो मुख्य भूमि से समुद्र की ओर क्रमशः ढलान लेता हुआ **200 मीटर की गहराई** तक विस्तृत होता है। यह क्षेत्र **जैविक, खनिज एवं ऊर्जा संसाधनों** की दृष्टि से असाधारण रूप से समृद्ध होता है।

भारत की **7,516 किलोमीटर लम्बी तटरेखा** तीन ओर से समुद्र से घिरी है — पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी एवं दक्षिण में हिन्द महासागर। **UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea), 1982** के अन्तर्गत भारत को अपने तट से **200 नॉटिकल मील** तक के Exclusive Economic Zone (EEZ) तथा **350 नॉटिकल मील** तक के विस्तारित महाद्वीपीय मग्नतट पर संसाधन-अधिकार प्राप्त हैं।

भारत का कुल EEZ क्षेत्र लगभग **20.12 लाख वर्ग किलोमीटर** है — जो देश के स्थलीय क्षेत्रफल का लगभग **61%** है।

यह कथन कि *"भारत का महाद्वीपीय मग्नतट खनिज और ऊर्जा का भण्डार है"* — **कहाँ तक सत्य है, कहाँ तक अतिशयोक्ति** — इसका आलोचनात्मक परीक्षण आवश्यक है।

भाग-1: भारत के महाद्वीपीय मग्नतट की भौगोलिक विशेषताएँ

1अ. विस्तार एवं संरचना

क्षेत्र	विशेषता
पश्चिमी मग्नतट	अरब सागर — चौड़ा (300-400 कि.मी.), तेल-गैस में समृद्ध
पूर्वी मग्नतट	बंगाल की खाड़ी — संकरा (100-150 कि.मी.), गाँगेय तलछट
दक्षिणी क्षेत्र	हिन्द महासागर — गहरा, Polymetallic Nodules

अण्डमान-निकोबार	विवर्तनिक रूप से सक्रिय, अद्वितीय जैव-विविधता
लक्षद्वीप	प्रवाल भित्ति आधारित, सीमित खनिज

1ब. UNCLOS के अन्तर्गत भारत के अधिकार

- **Territorial Sea** — 12 नॉटिकल मील — पूर्ण सम्प्रभुता
- **Contiguous Zone** — 24 नॉटिकल मील — सीमित नियन्त्रण
- **EEZ** — 200 नॉटिकल मील — संसाधन-दोहन का एकाधिकार
- **Extended Continental Shelf** — 350 नॉटिकल मील तक — समुद्री तल संसाधनों पर अधिकार

भारत ने CLCS (Commission on the Limits of the Continental Shelf) के समक्ष 2009 में दावा प्रस्तुत किया — जिसके अनुसार पश्चिम एवं पूर्व दोनों ओर विस्तारित मग्नतट के संसाधनों पर भारत का अधिकार माना गया।

भाग-2: खनिज एवं ऊर्जा संसाधन — विस्तृत परीक्षण

2अ. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस (Petroleum & Natural Gas)

भारत के मग्नतट का सर्वाधिक आर्थिक महत्त्व **हाइड्रोकार्बन संसाधनों** के कारण है।

i. मुम्बई हाई (Mumbai High)

भारत का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण अपतटीय तेल-क्षेत्र — मुम्बई से लगभग 160 कि.मी. दूर अरब सागर में।

- खोज — 1974 (ONGC द्वारा)
- उत्पादन आरम्भ — 1976
- चरम उत्पादन — 1989-90 में 21 मिलियन टन/वर्ष
- वर्तमान उत्पादन — लगभग 11-12 मिलियन टन/वर्ष (घटती प्रवृत्ति)
- भारत के कुल घरेलू कच्चे तेल उत्पादन में **40%+** योगदान

ii. कृष्णा-गोदावरी बेसिन (KG Basin)

बंगाल की खाड़ी में आन्ध्र प्रदेश के तट के समीप।

- **KG-D6 Block** (Reliance Industries) — 2002 में विश्व की सबसे बड़ी गैस खोजों में से एक
- प्राकृतिक गैस का विशाल भण्डार — अनुमानित **10 TCF (Trillion Cubic Feet)**
- 2010 में उत्पादन चरम — 60 MMSCMD; किन्तु भूवैज्ञानिक जटिलताओं से उत्पादन तेज़ी से घटा
- **ONGC का KG-DWN 98/2 Block** — 2022 में उत्पादन आरम्भ

iii. अन्य तेल-गैस क्षेत्र

बेसिन	स्थिति	महत्त्व
कावेरी बेसिन	तमिलनाडु तट	ONGC उत्पादन-सक्रिय
पालार-पेन्नार बेसिन	आन्ध्र तट	संभावित भण्डार
केरल-कोंकण बेसिन	अरब सागर	अन्वेषण चरण
अण्डमान बेसिन	अण्डमान सागर	गहरे जल में संभावनाएँ
Kutch Basin	गुजरात तट	तेल-गैस दोनों

तथ्य: भारत अपनी कुल पेट्रोलियम आवश्यकता का **85%+** आयात करता है — यह दर्शाता है कि मग्नतट की क्षमता के बावजूद **अन्वेषण एवं उत्पादन की गति अपर्याप्त** है।

2ब. मीथेन हाइड्रेट (Methane Hydrate / Gas Hydrate)

यह भविष्य का **"Game Changer"** ईंधन माना जाता है।

- मीथेन हाइड्रेट — बर्फ जैसी संरचना में मीथेन गैस का संघनन, गहरे समुद्री तल में पाया जाता है
- **भारत के पास विश्व के सबसे बड़े Gas Hydrate भण्डारों में से एक** — अनुमानित **1,894 Trillion Cubic Meters**
- प्रमुख क्षेत्र — **KG Basin, Mahanadi Basin, Andaman Basin**
- **NGHP (National Gas Hydrate Programme)** — 1997 से भारत सरकार एवं USGS का संयुक्त कार्यक्रम
- NGHP Expedition-02 (2015) — KG Basin में विश्व-स्तरीय भण्डार की पुष्टि

चुनौती: व्यावसायिक दोहन की तकनीक अभी विकसित नहीं; जापान सबसे आगे है। भारत 2030 तक व्यावसायिक उत्पादन का लक्ष्य रखता है।

2ग. बहुधात्विक पिण्ड (Polymetallic Nodules — PMN)

गहरे समुद्री तल पर **मैंगनीज, निकेल, कोबाल्ट, कॉपर** से बने आलू के आकार के पिण्ड।

- **भारत का आवंटित क्षेत्र** — हिन्द महासागर में Central Indian Ocean Basin (CIOB) में **75,000 वर्ग कि.मी.**
- **ISA (International Seabed Authority)** ने भारत को Pioneer Investor का दर्जा दिया — **1987**
- अनुमानित भण्डार — **380 मिलियन टन** PMN; जिसमें 4.7 MT निकेल, 4.3 MT कॉपर, 0.55 MT कोबाल्ट
- **DRISHTI (Deep sea Research & Intelligent exploration Submarine)** — भारत की स्वदेशी गहरे जल अन्वेषण पनडुब्बी

Samudrayaan Mission (2021) — भारत का पहला मानव-युक्त गहरे समुद्र मिशन — 6000 मीटर गहराई तक। **"MATSYA 6000"** पनडुब्बी वाहन।

2घ. बहुधात्विक सल्फाइड (Polymetallic Sulphides)

- **हाइड्रोथर्मल वेंट्स (Hydrothermal Vents)** के समीप पाए जाते हैं

- **तांबा, जस्ता, सीसा, सोना, चाँदी** के समृद्ध भण्डार
- भारत को ISA से **Central Indian Ocean Ridge** में 10,000 वर्ग कि.मी. क्षेत्र आवंटित — **2016**
- **NCPOR (National Centre for Polar and Ocean Research)** इस क्षेत्र में अनुसन्धान कर रहा है

2ङ. कोबाल्ट-समृद्ध क्रस्ट (Cobalt-Rich Ferromanganese Crusts)

- Seamounts (समुद्री पर्वतों) की ढलानों पर पाए जाते हैं
- **कोबाल्ट, प्लेटिनम, दुर्लभ मृदा तत्व (Rare Earth Elements)** से समृद्ध
- **हिन्द महासागर के Afanasy-Nikitin Seamount** में भारत को ISA से अन्वेषण अधिकार — **2021**
- REE (Rare Earth Elements) — इलेक्ट्रिक वाहन, रक्षा उपकरण, Solar Panels के लिए अनिवार्य

2च. भारी खनिज बालू (Heavy Mineral Sands / Placer Deposits)

तटवर्ती एवं अपतटीय क्षेत्रों में नदी-लाई तलछट में मिलते हैं।

खनिज	प्रमुख क्षेत्र	उपयोग
Ilmenite (TiO_2)	केरल, तमिलनाडु	टाइटेनियम उत्पादन
Rutile	आन्ध्र, ओडिशा	Aircraft, Paint
Zircon	केरल, गुजरात	परमाणु उद्योग
Monazite	केरल, झारखण्ड	थोरियम — परमाणु ऊर्जा
Garnet	तमिलनाडु, ओडिशा	Abrasives, Export

भारत के पास विश्व का सबसे बड़ा Ilmenite भण्डार — लगभग **35% वैश्विक भण्डार।**

Monazite एवं थोरियम — भारत के पास विश्व का **25%** थोरियम भण्डार। **Thorium-based nuclear energy** भारत की दीर्घकालिक परमाणु नीति का आधार।

2छ. समुद्री नवीकरणीय ऊर्जा (Marine Renewable Energy)

i. ज्वारीय ऊर्जा (Tidal Energy)

- खम्भात की खाड़ी (गुजरात) — विश्व के सर्वाधिक ज्वारीय आयाम वाले क्षेत्रों में — अनुमानित **7000 MW** क्षमता
- सुन्दरवन क्षेत्र — बंगाल की खाड़ी में ज्वारीय ऊर्जा की संभावना

ii. तरंग ऊर्जा (Wave Energy)

- भारत की तटरेखा पर **5-15 kW/m** Wave Power Density
- **TERI एवं IIT Madras** — तरंग ऊर्जा परियोजनाओं पर कार्यरत

iii. महासागरीय तापीय ऊर्जा (OTEC — Ocean Thermal Energy Conversion)

- उष्ण कटिबन्धीय समुद्र में सतही एवं गहरे जल के तापमान-अन्तर से विद्युत उत्पादन
- **NIOT (National Institute of Ocean Technology), Chennai** — 1 MW OTEC प्रायोगिक संयन्त्र

iv. अपतटीय पवन ऊर्जा (Offshore Wind)

- भारत सरकार का लक्ष्य — **2030 तक 30 GW Offshore Wind**
- गुजरात एवं तमिलनाडु के तट — सर्वाधिक संभावना
- **ReNew Power, Adani Green** जैसी कम्पनियाँ निवेश हेतु तैयार

भाग-3: आलोचनात्मक मूल्यांकन — चुनौतियाँ एवं सीमाएँ

यद्यपि भारत का महाद्वीपीय मग्नतट संसाधनों से समृद्ध है, तथापि **"भण्डार होना"** एवं **"दोहन कर पाना"** — दोनों में बड़ा अन्तर है।

3अ. तकनीकी चुनौतियाँ

- गहरे जल अन्वेषण के लिए **अत्याधुनिक तकनीक एवं उपकरण** की आवश्यकता
- भारत अभी भी **विदेशी Deep-Water Drilling Technology** पर निर्भर
- Gas Hydrate का व्यावसायिक दोहन **तकनीकी रूप से अनसुलझी चुनौती**
- Samudrayaan जैसे मिशन प्रारम्भिक चरण में हैं

3ब. पर्यावरणीय चिन्ताएँ

- गहरे समुद्री खनन से **Benthic Ecosystem** को अपूरणीय क्षति की आशंका
- **Oil Spills** का तटीय पारिस्थितिकी पर विनाशकारी प्रभाव — Ennore Oil Spill (2017)
- **Coral Reef एवं Mangrove** पर अपतटीय गतिविधियों का दबाव
- **UNCLOS का Part XII** — समुद्री पर्यावरण संरक्षण का दायित्व

3ग. भूवैज्ञानिक जटिलताएँ

- KG Basin में उत्पादन का तेज़ी से घटना — **"Geologically Complex Reservoir"**
- मुम्बई हाई के पुराने क्षेत्रों में **Enhanced Oil Recovery (EOR)** की आवश्यकता
- अनेक क्षेत्रों में **Commercial Viability** संदिग्ध

3घ. निवेश एवं नीतिगत बाधाएँ

- **HELP (Hydrocarbon Exploration Licensing Policy, 2016)** के बावजूद निजी निवेश सीमित

- **KG Basin विवाद** (Reliance vs सरकार) ने निवेशकों में अनिश्चितता बढ़ाई
- **Coastal Regulation Zone (CRZ) नियम** — तटीय विकास पर प्रतिबन्ध
- **Maritime Boundary विवाद** — श्रीलंका के साथ Palk Strait में, पाकिस्तान के साथ Kutch में

3ङ. मानव संसाधन एवं संस्थागत सीमाएँ

- **समुद्री वैज्ञानिकों एवं तकनीशियनों** की कमी
- **NIOT, NIO, NCPOR** जैसी संस्थाओं को अधिक निवेश की आवश्यकता
- **Data Sharing एवं Inter-Agency Coordination** की कमी

भाग-4: भारत सरकार के प्रयास एवं नीतिगत पहल

पहल	विवरण
Deep Ocean Mission (2021)	₹4,077 करोड़ — गहरे समुद्र संसाधन, जैव-विविधता, जलवायु अनुसन्धान
Samudrayaan Mission	Manned Deep Sea Submersible — 6000 मीटर गहराई
HELP Policy (2016)	Open Acreage Licensing — निजी निवेश को प्रोत्साहन
Blue Economy Policy	2022 में मसौदा — समुद्री संसाधनों का सतत दोहन
Sagarmala Project	बन्दरगाह विकास एवं तटीय अर्थव्यवस्था
ISA में Pioneer Investor	Polymetallic Nodules — 75,000 वर्ग कि.मी.
OTEC परियोजना	NIOT द्वारा अक्षय समुद्री ऊर्जा

निष्कर्ष (Conclusion)

यह कथन कि *"भारत का महाद्वीपीय मग्नतट खनिज और ऊर्जा का भण्डार है"* — **मूलतः सत्य है, किन्तु आंशिक रूप से अतिरंजित भी।** संसाधन निःसन्देह विशाल हैं — पेट्रोलियम, Gas Hydrate, PMN, REE, Heavy Minerals — किन्तु इनका **वास्तविक एवं सतत दोहन** अभी बहुत सीमित है।

"Blue Economy" भारत का अगला बड़ा आर्थिक अवसर है। **Deep Ocean Mission** इस दिशा में एक सकारात्मक कदम है। किन्तु इसके लिए —

- **तकनीकी आत्मनिर्भरता** — Atmanirbhar Bharat in Ocean Technology
- **पर्यावरण-संवेदनशील दोहन** — Sustainable Blue Economy
- **अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग** — ISA, UNCLOS, bilateral agreements
- **निजी निवेश-अनुकूल नीतियाँ** — निश्चित एवं पारदर्शी नियामक ढाँचा

इन चारों की आवश्यकता है। **"समुद्र हमारा भविष्य है"** — और इस भविष्य को वास्तविकता में बदलने की क्षमता भारत में है, इच्छाशक्ति एवं नीतिगत निरन्तरता की आवश्यकता है।

Q20. सीमान्त और सीमाओं में अन्तर स्पष्ट कीजिये और भारतीय उपमहाद्वीप से उपयुक्त उदाहरण देते हुये सीमाओं के प्रकारों पर विस्तृत विवरण प्रस्तुत कीजिये। Differentiate between frontiers and boundaries and present a detailed account on the types of boundaries giving suitable examples from Indian subcontinent.

भूमिका (Introduction)

राजनीतिक भूगोल में राज्य की स्थानिक अभिव्यक्ति के सन्दर्भ में सीमान्त (Frontier) और सीमा (Boundary) दो मूलभूत संकल्पनाएँ हैं। आधुनिक राष्ट्र-राज्य व्यवस्था में इन दोनों की भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। **Ratzel** ने राज्य को एक जीवित जीव माना और सीमाओं को उसकी त्वचा की संज्ञा दी। **Fawcett** के अनुसार — *"Frontier is a zone whereas Boundary is a line."* भारतीय उपमहाद्वीप विविध प्रकार की सीमाओं का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है।

भाग-1: सीमान्त और सीमा में अन्तर

(Difference between Frontier and Boundary)

सीमान्त (Frontier) की अवधारणा

सीमान्त एक विस्तृत संक्रमण मण्डल (Transitional Zone) है जो दो राज्यों के मध्य स्थित होता है। यह एक भौगोलिक वास्तविकता है जिसमें किसी एक राज्य का पूर्ण नियंत्रण नहीं होता। **Holdich** के अनुसार सीमान्त एक भौगोलिक संकल्पना है। ऐतिहासिक रूप से सीमान्त प्राचीन एवं मध्यकालीन राज्यों में प्रचलित था जब राज्यों की परिधि अनिश्चित होती थी। भारत-तिब्बत के मध्य हिमालयी क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से ऐसे ही सीमान्त का उदाहरण था।

सीमा (Boundary) की अवधारणा

सीमा एक काल्पनिक रेखा है जो दो राज्यों की संप्रभुता को पृथक करती है। यह एक राजनीतिक संकल्पना है जो संधियों और समझौतों द्वारा निर्धारित होती है। **Jones** के अनुसार सीमा-निर्धारण की प्रक्रिया में आवंटन (Allocation), परिसीमन (Delimitation), सीमांकन (Demarcation) तथा प्रशासन (Administration) के चार चरण होते हैं।

तुलनात्मक अन्तर (Comparative Differences)

स्वरूप की दृष्टि से — सीमान्त एक चौड़ा अनिश्चित क्षेत्र होता है जबकि सीमा एक सुनिश्चित एकल रेखा होती है। **प्रकृति की दृष्टि से** — सीमान्त भौगोलिक वास्तविकता है जबकि सीमा राजनीतिक संकल्पना है। **नियंत्रण की दृष्टि से** — सीमान्त पर किसी एक राज्य का पूर्ण नियंत्रण नहीं होता जबकि सीमा के दोनों ओर स्पष्ट प्रशासनिक नियंत्रण होता है। **ऐतिहासिक सन्दर्भ में** — सीमान्त प्राचीन एवं मध्यकालीन राज्यों में प्रचलित था जबकि सीमा आधुनिक राष्ट्र-राज्य की देन है। **कार्य की दृष्टि से** — सीमान्त बफर जोन का कार्य करता है जबकि सीमा संप्रभुता का निर्धारण करती है। **जनसंख्या की दृष्टि से** — सीमान्त प्रायः विरल जनसंख्या वाला होता है जबकि सीमा के दोनों ओर सघन जनसंख्या हो सकती है।

भाग-2: सीमाओं के प्रकार

(Types of Boundaries)

सीमाओं को तीन प्रमुख आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है — प्राकृतिक, सांस्कृतिक तथा ज्यामितीय। **Prescott** ने सीमाओं को उनकी उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकृत किया है।

1. प्राकृतिक/भौतिक सीमाएँ (Physical/Natural Boundaries)

ये सीमाएँ प्राकृतिक भू-आकृतिक तत्त्वों पर आधारित होती हैं। **Curzon** ने इन्हें सर्वश्रेष्ठ सीमाएँ माना क्योंकि ये स्थायी, स्पष्ट एवं सुरक्षात्मक होती हैं।

(क) पर्वतीय सीमाएँ (Mountain Boundaries)

पर्वत श्रेणियाँ प्राचीनकाल से प्राकृतिक अवरोधक का कार्य करती रही हैं। ये सर्वाधिक स्थायी सीमाएँ होती हैं क्योंकि पर्वत अपरिवर्तनीय भू-आकृतियाँ हैं।

भारतीय उपमहाद्वीप में **हिमालय पर्वत श्रेणी** भारत को चीन एवं तिब्बत से पृथक करती है। यह विश्व की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है जो प्राकृतिक दुर्भेद्य सीमा का निर्माण करती है। **काराकोरम श्रेणी** भारत-चीन के मध्य वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के निर्धारण में आधार प्रदान करती है। **हिन्दूकुश पर्वत** ऐतिहासिक रूप से भारतीय उपमहाद्वीप की उत्तर-पश्चिमी सीमा रही है जो अफगानिस्तान से पृथक करती है। **सुलेमान एवं किरथर श्रेणियाँ** पाकिस्तान-अफगानिस्तान के मध्य सीमा-निर्धारण में सहायक हैं।

पर्वतीय सीमाओं की सीमा यह है कि दर्रों (Passes) के माध्यम से आवागमन सम्भव होता है, जैसे — खैबर दर्रा, बोलन दर्रा आदि जो ऐतिहासिक रूप से आक्रमणकारियों के मार्ग रहे हैं।

(ख) नदी सीमाएँ (River Boundaries)

नदियाँ स्पष्ट रेखाएँ प्रदान करती हैं किन्तु इनमें मार्ग-परिवर्तन की समस्या रहती है जो सीमा विवादों को जन्म देती है।

सिन्धु नदी भारत-पाकिस्तान के मध्य आंशिक सीमा का कार्य करती है। 1960 की **सिन्धु जल सन्धि** इसी नदी के जल-बँटवारे से सम्बन्धित है। **ब्रह्मपुत्र नदी** भारत-बांग्लादेश सीमा क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। **तीस्ता नदी** भारत-बांग्लादेश के मध्य जल-विवाद का विषय रही है। **मेघना एवं पद्मा नदियाँ** बांग्लादेश की सीमाओं के निर्धारण में सहायक हैं। **काबुल नदी** अफगानिस्तान-पाकिस्तान सीमा क्षेत्र में प्रवाहित होती है।

(ग) मरुस्थलीय सीमाएँ (Desert Boundaries)

थार मरुस्थल भारत-पाकिस्तान के मध्य राजस्थान एवं सिन्ध के क्षेत्र में प्राकृतिक बाधा का कार्य करता है। यह क्षेत्र विरल जनसंख्या एवं कठोर जलवायु के कारण स्वाभाविक बफर का कार्य करता है।

(घ) समुद्री सीमाएँ (Maritime Boundaries)

पाक जलडमरूमध्य (Palk Strait) भारत को श्रीलंका से पृथक करता है। **मन्नार की खाड़ी** भी इस सीमा का अंग है। **हिन्द महासागर** में भारत की सामुद्रिक सीमाएँ मालदीव, इंडोनेशिया तथा म्यांमार से मिलती हैं। **अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह**

की सीमाएँ म्यांमार, इंडोनेशिया एवं थाईलैंड से लगती हैं। UNCLOS 1982 के अनुसार 12 नॉटिकल मील प्रादेशिक जल, 200 नॉटिकल मील विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ) तथा 350 नॉटिकल मील तक महाद्वीपीय मग्नतट का प्रावधान है।

2. सांस्कृतिक सीमाएँ (Cultural Boundaries)

ये सीमाएँ मानवीय सांस्कृतिक तत्त्वों — धर्म, भाषा, जाति एवं जनजाति के आधार पर निर्धारित होती हैं। **Hartshorne** ने इन्हें नृजातीय सीमाएँ (Ethnographic Boundaries) कहा है।

(क) धार्मिक सीमाएँ (Religious Boundaries)

धर्म के आधार पर निर्मित सीमाएँ भारतीय उपमहाद्वीप का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण उदाहरण हैं।

Radcliffe Line (1947) — Sir Cyril Radcliffe द्वारा निर्धारित यह रेखा हिन्दू-मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर भारत और पाकिस्तान को पृथक करती है। यह पंजाब एवं बंगाल प्रान्तों से होकर गुजरती है। इस रेखा की विफलता यह थी कि दोनों ओर मिश्रित जनसंख्या थी जिसके परिणामस्वरूप विभाजन के समय अभूतपूर्व जनसंख्या स्थानान्तरण एवं साम्प्रदायिक हिंसा हुई। **पूर्वी पाकिस्तान (1947) एवं बांग्लादेश (1971)** — मुस्लिम बहुल पूर्वी बंगाल के आधार पर पूर्वी पाकिस्तान का निर्माण हुआ जो बाद में बांग्लादेश बना। यह धार्मिक सीमाओं की सीमितता का प्रमाण है क्योंकि सांस्कृतिक एवं भाषाई भिन्नता (बंगाली अस्मिता) ने धार्मिक एकता को पराजित किया।

(ख) भाषाई सीमाएँ (Linguistic Boundaries)

भारत में **1956 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम** भाषाई आधार पर राज्यों की आन्तरिक सीमाओं के पुनर्निर्धारण का सर्वोत्तम उदाहरण है। **फजल अली आयोग (1953)** की संस्तुतियों के आधार पर तेलुगु भाषी आन्ध्र प्रदेश, मराठी भाषी महाराष्ट्र, गुजराती भाषी गुजरात, कन्नड़ भाषी कर्नाटक एवं मलयालम भाषी केरल का निर्माण हुआ। **बेलगावी विवाद** (कर्नाटक-महाराष्ट्र) भाषाई सीमाओं की जटिलता का उदाहरण है जहाँ मराठी भाषी जनसंख्या का एक भाग कर्नाटक में रह गया। **असम-मिज़ोरम सीमा विवाद** भी भाषाई एवं जनजातीय पहचान से सम्बन्धित है।

(ग) जनजातीय/नृजातीय सीमाएँ (Tribal/Ethnic Boundaries)

Durand Line (1893) — Sir Mortimer Durand द्वारा निर्धारित यह रेखा पश्तून जनजातीय क्षेत्र को अफगानिस्तान और तत्कालीन ब्रिटिश भारत (अब पाकिस्तान) के मध्य विभाजित करती है। पाकिस्तान इसे अन्तर्राष्ट्रीय सीमा मानता है जबकि अफगानिस्तान ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया। यह पश्तून जनजाति की एकता को विभाजित करती है और आज भी विवाद का प्रमुख कारण है। **पूर्वोत्तर भारत** — नागालैंड, मिज़ोरम, मणिपुर आदि राज्यों की सीमाएँ जनजातीय वितरण पर आधारित हैं। नागा जनजाति की माँग — जो भारत और म्यांमार दोनों में वितरित है — नृजातीय सीमाओं की जटिलता प्रदर्शित करती है।

3. ज्यामितीय/कृत्रिम सीमाएँ (Geometric/Artificial Boundaries)

ये सीमाएँ अक्षांश-देशान्तर रेखाओं अथवा सीधी ज्यामितीय रेखाओं पर आधारित होती हैं। प्रायः उपनिवेशकाल में ये सीमाएँ बिना स्थानीय भूगोल एवं संस्कृति के ज्ञान के खींची गईं।

McMahon Line (1914) — Sir Henry McMahon द्वारा शिमला सम्मेलन में निर्धारित यह रेखा भारत-चीन-तिब्बत के मध्य सीमा निर्धारण का प्रयास थी। यह हिमालय की उच्चतम श्रेणियों के जलविभाजक के आधार पर खींची गई थी। चीन इसे अवैध

मानता है जिसके कारण 1962 का भारत-चीन युद्ध हुआ और अरुणाचल प्रदेश का बड़ा भाग विवादित है। **LOC (Line of Control)** — 1972 की शिमला सन्धि के पश्चात् जम्मू-कश्मीर में भारत-पाकिस्तान के मध्य वास्तविक नियंत्रण रेखा निर्धारित हुई। यह 1949 की युद्धविराम रेखा (CFL) का परिष्कृत रूप है। **LAC (Line of Actual Control)** — भारत-चीन के मध्य 3488 किमी लम्बी यह रेखा वास्तविक नियंत्रण को दर्शाती है। लद्दाख, उत्तराखण्ड एवं अरुणाचल में इसके सन्दर्भ में विवाद है। गलवान घाटी संघर्ष (2020) इसी क्षेत्र में हुआ।

4. उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण (Classification based on Origin)

Hartshorne ने सीमाओं को उनकी उत्पत्ति के आधार पर चार वर्गों में विभाजित किया —

पूर्वकालिक सीमाएँ (Antecedent Boundaries) वे हैं जो मानव बसाव से पूर्व निर्धारित हुईं। भारत-बांग्लादेश के मध्य सुन्दरवन क्षेत्र की सीमा इसका उदाहरण है।

परवर्ती सीमाएँ (Subsequent Boundaries) वे हैं जो मानव बसाव के पश्चात् सांस्कृतिक परिदृश्य के विकास के साथ निर्मित हुईं। 1956 का भारतीय भाषाई पुनर्गठन इसका उत्तम उदाहरण है।

अधिरोपित सीमाएँ (Superimposed Boundaries) वे हैं जो बाहरी शक्तियों द्वारा थोपी गई हों। Radcliffe Line, McMahon Line एवं Durand Line ब्रिटिश साम्राज्यवादी शक्ति द्वारा अधिरोपित सीमाओं के उदाहरण हैं।

अवशिष्ट सीमाएँ (Relict Boundaries) वे हैं जो राजनीतिक रूप से समाप्त हो जाने के बाद भी सांस्कृतिक प्रभाव छोड़ती हैं। भारत-पाकिस्तान के मध्य पूर्व-1947 की रियासतों की सीमाएँ इसके उदाहरण हैं।

निष्कर्ष (Conclusion)

भारतीय उपमहाद्वीप सीमाओं की विविधता एवं जटिलता का विश्व में अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करता है। यहाँ प्राकृतिक (हिमालय), सांस्कृतिक (Radcliffe Line), ज्यामितीय (McMahon Line) एवं जनजातीय (Durand Line) — सभी प्रकार की सीमाएँ विद्यमान हैं। **Prescott** के अनुसार सर्वोत्तम सीमाएँ वे होती हैं जो भौगोलिक एवं सांस्कृतिक यथार्थ के अनुरूप हों। उपनिवेशकाल में अधिरोपित कृत्रिम सीमाओं ने इस क्षेत्र में दीर्घकालिक विवादों को जन्म दिया है। आधुनिक सन्दर्भ में सीमाओं का प्रश्न केवल भौगोलिक नहीं अपितु भू-राजनीतिक, आर्थिक एवं मानवीय सुरक्षा का भी प्रश्न बन गया है।

विषयवार विश्लेषण / Topic-wise Analysis

Section A के प्रमुख विषय:

- इतिहास (Maurya Period, 19th Century Reform Movements, Extremism) — 3 प्रश्न
- समाजशास्त्र (Globalization, Regionalism, Illiteracy & Poverty) — 3 प्रश्न
- भूगोल (Glaciers, Mangroves, Monsoon, Sino-India Border) — 4 प्रश्न

Section B के प्रमुख विषय:

- आधुनिक भारतीय इतिहास (Sardar Patel, 1857-1947, Germany Unification) — 3 प्रश्न
- समाजशास्त्र (Urbanization, Modernisation, Globalization & Family) — 3 प्रश्न
- भूगोल (Forest Resources, Continental Shelf, Frontiers & Boundaries) — 3 प्रश्न
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे (Refugees & Infiltrators) — 1 प्रश्न

परीक्षार्थियों के लिए सुझाव / Tips for Aspirants

1. Section A में उत्तर संक्षिप्त और सटीक रखें — 8 अंक के लिए लगभग 150-200 शब्द पर्याप्त हैं।
2. Section B में विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाएं — 12 अंक के लिए 300-350 शब्द लिखें।
3. भूगोल के प्रश्नों में मानचित्र और आरेख का उपयोग करें।
4. इतिहास के प्रश्नों में तथ्य और तिथियां स्पष्ट रूप से उल्लेख करें।
5. समाजशास्त्र के प्रश्नों में समसामयिक उदाहरण दें।

निष्कर्ष / Conclusion

UPPCS Mains 2025 GS Paper-I में इतिहास, भूगोल और समाजशास्त्र का संतुलित मिश्रण देखने को मिला। प्रश्नों की प्रकृति विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक थी जो UPSC के पैटर्न के अनुरूप है। अभ्यर्थियों को NCERT और मानक पुस्तकों के साथ-साथ समसामयिक घटनाओं पर भी ध्यान देना चाहिए।

Kredoz IAS